



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2021

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2021

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: अवलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
7.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
8.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
9.	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	1.4.1	8
10.	सरकार की परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन	1.4.2	8
11.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	9
12.	मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ	1.5.1	11
13.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.5.2	12
14.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.5.3	13
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.6	15
16.	पश्च लेखापरीक्षा-घाटा	1.6.1	15
17.	पश्च लेखापरीक्षा-कुल लोक ऋण	1.6.2	15
18.	निष्कर्ष	1.7	16
19.	संस्तुतियाँ	1.8	17
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2018-19 के सापेक्ष 2019-20 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	19
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	19
22.	राज्य के संसाधन	2.3	20
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	22
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	24
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	24
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	25
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	27

30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	28
31.	केंद्रीय अंतरण	2.3.4	29
32.	केंद्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	30
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	31
34.	चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.3	32
35.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	32
36.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.5	33
37.	संसाधनों का उपयोग	2.6	34
38.	राजस्व व्यय	2.6.1	36
39.	राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव	2.6.1.1	38
40.	वचनबद्ध व्यय	2.6.2	39
41.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.1	40
42.	ब्याज भुगतान	2.6.2.2	41
43.	पेंशन	2.6.2.3	41
44.	सब्सिडी	2.6.2.4	42
45.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.5	43
46.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	44
47.	पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव	2.6.3.1	45
48.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	45
49.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	52
50.	लोक लेखा	2.8	54
51.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	54
52.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	56
53.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	56
54.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	56
55.	गारंटी मोचन निधि	2.8.2.3	57
56.	राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि	2.8.2.4	59
57.	आरक्षित निधियों एवं ब्याज सहित जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना	2.8.3	59
58.	ऋण प्रबंधन	2.9	59
59.	सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति	2.9.1	60
60.	ऋण संरचना: घटक	2.9.2	60
61.	वर्ष 2019-20 के अंत में कुल बकाया ऋणों का घटक-वार विवरण	2.9.3	61
62.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति	2.9.4	61

63.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	62
64.	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	64
65.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	65
66.	ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति	2.9.8	66
67.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.9	67
68.	गारंटी की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	2.10	68
69.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	70
70.	नगद बकाये का निवेश	2.11.1	70
71.	निष्कर्ष	2.12	73
72.	संस्तुतियाँ	2.13	74
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
73.	बजट प्रक्रिया	3.1	75
74.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	76
75.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों एवं बचतों का सारांश	3.2.1	77
76.	भारित एवं दत्तमत वितरण	3.2.2	77
77.	विनियोग लेखे	3.3	78
78.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	78
79.	विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना	3.3.1.1	78
80.	अंतरण विनियोग अधिनियम/अनुदान के लिए विस्तृत माँग द्वारा आदेशित न होना (लोक लेखा/बैंक खातों में)	3.3.2	79
81.	पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में एवं इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.3.3	79
82.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.4	81
83.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें वैधानिक प्राधिकार की अग्रिम आवश्यकता है	3.4	83
84.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	83
85.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/समर्पण	3.5	84
86.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ	3.5.1	86
87.	₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	86
88.	उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा वर्गीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण	3.5.3	87
89.	वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	87
90.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	88

91.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	88
92.	2019-20 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	89
93.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	89
94.	कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	90
95.	विगत वित्तीय वर्षों के व्ययाधिक्य का नियमितीकरण	3.6.4	90
96.	पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	3.7	91
97.	बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतर	3.8	92
98.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	94
99.	विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन	3.10	95
100.	व्यय की तीव्रता	3.11	95
101.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.12	97
102.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.12.1	97
103.	निष्कर्ष	3.13	103
104.	संस्तुतियाँ	3.14	104
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
105.	राज्य के लोक लेखा अथवा समेकित निधि के अलावा कोष	4.1	105
106.	श्रम उपकर	4.1.1	105
107.	नियामक	4.1.2	106
108.	राज्य सरकार के ऋण जो संचित निधि में जमा नहीं किए गए	4.2	107
109.	विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना	4.3	107
110.	ब्याज आरक्षित जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना	4.4	107
111.	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.5	108
112.	स्थानीय निधियों में जमा	4.6	109
113.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.7	110
114.	अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.7.1	111
115.	सार-आकस्मिक बिल	4.8	112
116.	व्यक्तिगत जमा लेखे	4.9	113
117.	निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	4.9.1	114
118.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग	4.10	115
119.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष	4.11	117
120.	विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना	4.12	119
121.	नगद शेष राशि का मिलान	4.13	120
122.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.14	120
123.	स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना	4.15	121

124.	निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया	4.15.1	122
125.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियाँ	4.16	122
126.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने में देरी	4.16.1	123
127.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे प्रस्तुत करने में देरी	4.16.2	123
128.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.17	124
129.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.18	125
130.	गबन, हानि, चोरी आदि	4.19	125
131.	लेखा शीर्षों का अनाधिकृत संचालन	4.20	125
132.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.21	126
133.	निष्कर्ष	4.22	126
134.	संस्तुतियाँ	4.23	127
अध्याय-5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
135.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	129
136.	लेखापरीक्षा अधिदेश	5.2	129
137.	रा सा क्षे उ तथा राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान	5.3	130
138.	रा सा क्षे उ में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	131
139.	रा सा क्षे उ में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	5.4.1	131
140.	रा सा क्षे उ में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण	5.4.2	131
141.	विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	5.4.3	131
142.	रा सा क्षे उ से प्रतिफल	5.5	131
143.	रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	131
144.	रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.2	132
145.	ऋण सेवा	5.6	133
146.	ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	133
147.	निजी कंपनियों के सापेक्ष सूचीबद्ध रा सा क्षे उ का प्रदर्शन	5.7	134
148.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.7.1	134
149.	रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.2	134
150.	रा सा क्षे उ जिनमें हानि हुई	5.8	135
151.	वहन की गई हानि	5.8.1	135
152.	रा सा क्षे उ में पूँजी का क्षरण	5.8.2	136
153.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.9	136
154.	नि म ले प द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	136
155.	रा सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	5.11	136
156.	समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	136

157.	रा सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	5.11.2	137
158.	सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	5.11.3	138
159.	नि म ले प का पर्यवेक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	138
160.	वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा	5.12.1	138
161.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.12.2	138
162.	सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	138
163.	नि म ले प की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	139
164.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	139
165.	वित्तीय विवरणों का संशोधन	5.13.2	139
166.	लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण	5.13.3	139
167.	सरकारी कंपनियों पर नि म ले प की सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.13.4	139
168.	सांविधिक निगम जहाँ नि म ले प एकमात्र लेखापरीक्षक है	5.13.5	141
169.	प्रबंधन पत्र	5.14	142
170.	निष्कर्ष	5.15	142
171.	संस्तुतियाँ	5.16	143

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	145
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	146
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	149
परिशिष्ट-5.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची	151
परिशिष्ट-6.1	शब्दावली	152

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और पूर्व और पश्च लेखापरीक्षा में राज्य की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2 एवं 3** में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के राज्य के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों की लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। जहाँ आवश्यक समझा गया उत्तराखण्ड सरकार से सूचना भी प्राप्त की गई है।

अध्याय-4 लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रतिवेदनों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव की चर्चा करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 के दौरान बजट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) और चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) की सिफरिशों के सापेक्ष राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने और प्रभावी प्रवृत्तियों और सरकार की प्राप्तियों और वितरण की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वित्तीय विवरण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा पाँच अध्यायों में प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 राज्य की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

अध्याय-2 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2020 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋण पद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण एवं वह ढंग, जिसमें सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-4 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण का विवरण प्रदान करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों पर टिप्पणियों के प्रभाव की चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

अवलोकन

- वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटे की स्थिति खराब हुई और यह ₹ 2,136 करोड़ (स रा घ उ का 0.84 प्रतिशत) थी। स्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का हस्तांतरण न करने आदि के कारण राजस्व घाटे को ₹ 273 करोड़ (12.78 प्रतिशत) तक न्यून दर्शित किया गया था।।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

- चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 7,657 करोड़ (स रा घ उ का 3.02 प्रतिशत) रहा जो चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2018-19 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20

में 28 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटा स्थगित देयता, घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश, ब्याज दायित्व का गैर-हस्तांतरण आदि के कारण ₹ 446 करोड़ (5.82 प्रतिशत) कम दर्शाया गया।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

अध्याय-2

राज्य का वित्त

- गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में ₹ 493 करोड़ (1.58 प्रतिशत) कमी आई। गत वर्ष की अपेक्षा राज्य का स्वयं कर राजस्व ₹ 675 करोड़ कम रहा। स्वयं कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में वर्ष 2015-16 में 44.16 से वर्ष 2019-20 में 37.47 तक लगातार गिरावट देखी गई।

[प्रस्तर 2.3.2.1 एवं 2.3.3.1]

- 2015-20 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसत 83.89 प्रतिशत (2017-18 में 82.92 प्रतिशत से 2019-20 में 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने अस्थिर प्रवृत्ति प्रस्तुत किए। प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 59 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ के 63 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।

[प्रस्तर 2.6.1 एवं 2.6.2]

- पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 770 करोड़ की कमी दर्ज की गई और यह राज्य सरकार द्वारा अपने बजट और एम टी एफ पी एस में बताए गए प्रक्षेपण से भी काफी कम था।

[प्रस्तर 2.6.3]

- राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनमें संचित हानि थी तथा सरकारी निगम एवं कंपनियाँ भी जिन्होंने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था को बजटीय समर्थन दिया था और निवेश किया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर औसत लाभ लगभग नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतानित राशि ₹ 18.92 करोड़ थी जो 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण (₹ 2,033.40 करोड़) पर 0.93 प्रतिशत थी।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (i), (v)]

- वर्ष 2019-20 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2020 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 886.43 करोड़ की 210 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (vi)]

- ₹ 8.93 करोड़ प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस के सापेक्ष, ₹ 4.45 करोड़ की प्राप्ति हुई फलस्वरूप ₹ 4.48 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त होने वाली गारंटी फीस

को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटा कम हुआ।

[प्रस्तर 2.8.2.3]

- भविष्य में पुनर्भुगतान देनदारियाँ बहुत बढ़ जाएंगी और रा प्रा तथा रा व्य के विकास की वर्तमान दरों पर, राज्य को भविष्य में पर्याप्त राजस्व घाटा होता रहेगा। इसलिए, राज्य को अपनी ऋण देयता को पूरा करने के लिए उधारी को बढ़ाना पड़ेगा।

[प्रस्तर 2.9.6]

- कुल राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात में 2019-20 की तुलना में 2.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 26.01 प्रतिशत पर रहा, जो कि एफ आर बी एम लक्ष्य 25 प्रतिशत से अधिक था।

[प्रस्तर 2.9.2]

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

- 2019-20 के दौरान, कुल अनुदान और विनियोग ₹ 51,197.80 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹ 3,224.61 करोड़ की बचत हुयी।

[प्रस्तर 3.2]

- 45 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 2,481.20 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 15 प्रकरणों में धनराशि का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण प्रकार से किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों के सापेक्ष एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।

[प्रस्तर 3.3.4 एवं 3.4.1]

- विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस में ₹ 259 करोड़ का समर्पण कर दिया जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों का उपयोग करने के लिए कोई स्थान नहीं बचा।

[प्रस्तर 3.5.4]

- वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक के लिए ₹ 35,659.13 करोड़ के व्यायाधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना था।

[प्रस्तर 3.6.4]

- ₹ 330.35 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को पूँजीगत खंड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह वृहद कार्यों से संबन्धित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत खंड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार, पूँजीगत के अंतर्गत ₹ 82.44 करोड़ का व्यय दर्ज हुआ था। इस व्यय को राजस्व खंड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्यों तथा अनुरक्षण से संबन्धित था।

[प्रस्तर 3.3.3]

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2019 तक दिये गए ₹ 99.44 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 52 उपयोगिता प्रमाण पत्र (मार्च 2020 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2020 तक, ₹ 3.01 करोड़ के 37 संक्षिप्त आकस्मिक बिल बकाया थे। पाँच स्वायत्त निकायों और 25 सार्वजनिक उपक्रमों से संबन्धित लेखे बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित वाले बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। ये बिन्दु राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त अनुश्रवण तंत्र को अपर्याप्त दर्शाते हैं।

[प्रस्तर 4.7, 4.8 4.15.1, 4.16.1 एवं 4.16.2]

- 2019-20 के दौरान, मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय का मिलान 55.27 प्रतिशत था। राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बुक किए गए प्राप्तियों और व्यय का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकड़ों के साथ मिलान न किया जाना सरकार के भीतर खराब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है और लेखों की शुद्धता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

[प्रस्तर 4.12]

- वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800-अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय और प्राप्तियाँ बुक की गई थीं। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को असुरक्षित किया।

[प्रस्तर 4.10]

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

[प्रस्तर 4.14]

अध्याय 5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- 31 मार्च 2020 तक, तीन सांविधिक निगमों सहित 30 रा सा क्षे उ थे। 30 रा सा क्षे उ में से, आठ अकार्यरत रा सा क्षे उ हैं। ये रा सा क्षे उ विगत आठ से 33 वर्षों से अकार्यरत हैं।

[प्रस्तर 5.3]

- रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित ₹ 258.80 करोड़ के कुल लाभ में से 91.28 प्रतिशत का योगदान केवल तीन रा सा क्षे उ द्वारा किया गया था। 13 रा सा क्षे उ द्वारा ₹ 634.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 577.31 करोड़ की हानि में एक रा सा क्षे उ द्वारा योगदान दिया गया था।

[प्रस्तर 5.5.1 एवं 5.8.1]

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रा सा क्षे उ, अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 21 सरकारी कंपनियों के 248 लेखे बकाया थे।

[प्रस्तर 5.11.2]

- 2019-20 के दौरान, रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर नि म ले प की टिप्पणियों से लाभप्रदता पर ₹ 163.65 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 57.22 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

[प्रस्तर 5.13.4 एवं 5.13.5]

अध्याय-1
अवलोकन

अध्याय-1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

भारत के उत्तरी भाग में उत्तराखण्ड एक राज्य है, जिसे पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, इसकी सीमाओं के उत्तर में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। राज्य को दो मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 13 जिले (10 पर्वतीय जिले और तीन मैदानी जिले) हैं। यह 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय है तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 प्रतिशत) वन क्षेत्र भी है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की आबादी 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है।

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (वि श्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स से 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता सम्मिलित है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक की अवधि के लिए राज्य के प्रचलित दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 10.35 प्रतिशत तथा 9.00 प्रतिशत रही, यह तथापि, विशेष श्रेणी राज्यों के सी ए जी आर क्रमशः 11.24 प्रतिशत तथा 9.93 प्रतिशत के सापेक्ष कम थी। इसके अतिरिक्त, 2019-20 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (9.00 प्रतिशत) अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (9.84 प्रतिशत) से कम था।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 73 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत) से बेहतर साक्षरता दर (78.80 प्रतिशत) तथा नवजात शिशु मृत्यु दर (32 प्रति 1,000 जीवित जन्म) थी। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (परिशिष्ट-1.1)।

1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और

तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। देश के स घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ (नाममात्र) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18*	2018-19*	2019-20*
राष्ट्रीय स घ उ (2011-12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का स रा घ उ (2011-12 श्रृंखला)	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895	2,53,666
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.74	10.14	14.20	10.35	3.16

आँकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।


* अनंतिम।

जैसा कि ऊपर दिये गए विवरण से देखा जा सकता है, 2017-18 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, 2018-19 से 2019-20 के दौरान यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम थी।

1.1.2 स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.1 से पता चलता है कि 2015-16 से 2019-20 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा घ उ में कृषि और उद्योग के संबंधित अंश में मामूली कमी हुई है, जो क्रमशः 2015-16 में 9.19 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 8.06 प्रतिशत और 2015-16 में 47.66 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 46.19 प्रतिशत हो गई है। सेवाओं के संबंधित अंश में वृद्धि देखी गई।


चार्ट-1.1: प्रचलित दर पर स रा घ उ (2015-16 से 2019-20) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

जैसा कि चार्ट-1.2 में देखा जा सकता है, 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्रों में वृद्धि दर में गिरावट देखी गयी थी जबकि कृषि क्षेत्र तथा उत्पादों पर कर-उत्पादों पर सब्सिडी में वृद्धि देखी गई:

चार्ट-1.2: प्रचलित दर में स रा घ उ में क्षेत्रीय वृद्धि



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में किसी राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल को सौंपी जानी है, जो उसे राज्य की विधायिका के समक्ष रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सी ए जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और सी ए जी द्वारा प्रमाणित की जाती है।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का बजट आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है-राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य डाटा;
- स रा घ उ डाटा और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2015-20 के दौरान भारत के सी ए जी के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उपयोग इस विश्लेषण/टिप्पणी को उपयुक्त के रूप में तैयार करने के लिए भी किया गया है।

यह विश्लेषण, चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी), उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग के सचिव के साथ सितंबर 2020 में एक प्रवेश गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। ड्राफ्ट प्रतिवेदन दिसंबर 2020 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और जनवरी 2021 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, प्रतिवेदन में दिये गए सभी सुझावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

रा वि ले प्र निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	अवलोकन यह अध्याय रिपोर्ट और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है, तथा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहद राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय - 2	राज्य का वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है; पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियाँ, राज्य की ऋण स्थिति और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है।
अध्याय - 4	लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा की गयी है, जैसा कि उनके लेखों से प्रकट हुआ।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अतिरिक्त किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर भारत होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (मतदेय व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा एक कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामे करते हुए निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा {संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे के अंतर्गत

देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों ही क्षणिक शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लंबित होने पर) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार (अनुच्छेद 202) राज्य की विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों पर होने वाले व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का अंश और भारत सरकार से अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

पूँजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) और अन्य दलों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो क्रियाशील और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद

करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4 अंकों के मुख्य शीर्ष के प्रथम अंक में एम्बेडेड संख्या तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए आदि है। आर्थिक वर्गीकरण भी एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत, राज्य का राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग प्रदान करने के लिए विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखा परीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में वर्णित हैं।

1.4.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

तालिका-1.2 वर्ष 2018-19 के वास्तविक के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: वास्तविक के सापेक्ष बजट की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	वास्तविक से ब अ की प्रतिशतता	वास्तविक का स रा घ उ से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	12,188	14,737	11,513	78.12	4.54
2.	करेत्तर राजस्व	3,310	4,255	3,999	93.98	1.58
3.	केंद्रीय करों का अंश	8,011	8,885	6,902	77.68	2.72
4.	सहायता अनुदान और योगदान	7,707	11,079	8,309	75.00	3.28
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	31,216	38,956	30,723	78.87	12.11
6.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	27	34	19	55.88	0.01
7.	अन्य प्राप्तियाँ	0.01	0	0	00	0.00
8.	उधार और अन्य देनदारियाँ (क)	7,320	6,798	7,657	112.64	3.02
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	7,347	6,832	7,676	112.35	3.03
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	38,563	45,788	38,399	83.86	15.14
11.	राजस्व व्यय	32,196	38,933	32,859	84.40	12.95
12.	ब्याज भुगतान	4,475	5,332	4,504	84.47	1.78
13.	पूँजीगत व्यय	6,367	6,855	5,540	80.82	2.18
14.	पूँजीगत परिव्यय	6,184	6,572	5,414	82.38	2.13
15.	ऋण और अग्रिम	183	283	126	44.52	0.05
16.	कुल व्यय (11+13)	38,563	45,788	38,399	83.86	15.14
17.	राजस्व घाटा (-) (5-11)	(-) 980	23	(-) 2,136	(-) 9,286.96	(-) 0.84
18.	राजकोषीय घाटा {16-(5+6+7)}	7,320	6,798	7,657	112.64	3.02
19.	प्राथमिक घाटा (18-12)	2,845	1,466	3,153	215.08	1.24

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय में से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजी

परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति तालिका-1.3 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसंपत्तियाँ					
	2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	45,442.71	49,436.68	8.79	अ	सकल पूँजी परिव्यय	52,373.08	57,787.26	10.34
ब	भा स से ऋण और अग्रिम	789.91	812.87	2.91	ब	ऋण और अग्रिम	1,926.54	2,033.40	5.55
	आकस्मिकता निधि	163.52	232.16	41.98					
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	7,899.49	8,565.28	8.43		अग्रिम	0.42	0.42	00
ब	जमा	3,333.70	3,835.27	15.05	स	नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)	2,583.08	1,922.35	(-)25.58
	रिजर्व फंड	1,762.08	4,670.68	165.07					
द	उच्च और विविध	1,962.14	797.74	(-)59.34		योग	56,883.12	61,743.43	8.54
य	प्रेषण	65.75	65.13	(-)0.94		राजस्व खाते में घाटा	4,536.18	6,672.38	47.09
	योग	61,419.30	68,415.81	11.39		योग	61,419.30	68,415.81	11.39

स्रोत: वित्त लेखे।

1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने वाले विभिन्न उपाय हैं।

<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा उठाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास बचत नहीं है तथा अपने उपभोग व्यय के एक भाग के वित्तपोषण के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा, पूँजीगत प्राप्तियों के एक भाग का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता को कम करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति का तात्पर्य है कि सरकार को न केवल अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए बल्कि अपनी उपभोग आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना होगा। इससे ऋण और ब्याज देनदारियों के भार में वृद्धि होती है और अंततः सरकार व्यय में कटौती करने के लिए बाध्य हो जाती है। यदि राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वचनबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ,
---	--

	<p>वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम करती है। इसका तात्पर्य कम वृद्धि और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ होंगे।</p>
<p>राजकोषीय घाटा/ अधिशेष</p> <p>{कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)}</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच में अंतर होता है। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को बढ़ने नहीं देती हैं। ऋणों की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री से होने वाली आय इसके उदाहरण हैं। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण उधार के माध्यम से करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें सामान्यतः राजकोषीय घाटे से गुजरती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के गठन या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियाँ आय स्रोत पैदा करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग करना और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछनीय है।</p>
<p>प्राथमिक घाटा/ (सकल राजकोषीय घाटा- निवल ब्याज देनदारियाँ)</p>	<p>यह ब्याज भुगतान को घटाकर राजकोषीय घाटे को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> निवल ब्याज देयताओं में, ब्याज भुगतान में से सरकार द्वारा निवल घरेलू ऋण पर प्राप्त ब्याज घटाना शामिल होता है। सरकार की उधारी की आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक वर्तमान व्यय के कारण उधार लेने का अनुमान प्राप्त करने के लिए हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता होती है।

उधारियों द्वारा सरकारी ऋण को बढ़ा कर घाटे का वित्तपोषण किया जाना चाहिए। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान देते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित कर देती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेता है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके बीस साल बाद बॉण्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकता है। साथ ही लोगों से सरकारी उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इस हद तक कि इससे पूँजी निर्माण और वृद्धि कम हो जाती है, ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद कर्ज को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। कर्ज में वृद्धि को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था (राज्य स घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

करों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मुख्य जोर सरकारी व्यय में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाने के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को समाप्त करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने तथा मध्यम अवधि के ढाँचे में पारदर्शिता में सुधार करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ आर बी एम) पारित किया था। इस संदर्भ में अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

2011 और 2016 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को 31 मार्च 2015 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और उसके बाद राजस्व अधिशेष बनाए रखना था, 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। इसके अलावा, अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गई थी कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

दिसंबर 2016 में एफ आर बी एम अधिनियम में चौहदवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को प्रदान की गई अवधि (2016-17 से 2019-20) के दौरान अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा को संशोधित करना था। इस अधिनियम में कुछ शर्तों के अंतर्गत वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन के लिए गुंजाइश प्रदान की गई थी, जिसमें राजकोषीय घाटा किसी भी वित्तीय वर्ष में स रा घ उ की तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक लागू हो गया था।

एफ आर बी एम अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका-1.4 में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष	(-) 1,852 X	(-) 383 X	(-) 1,978 X	(-) 980 X	(-) 2,136 X
राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+) (स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत	(-) 6,125 (-3.46) X	(-) 5,467 (-2.80) ✓	(-) 7,935 (-3.56) X	(-) 7,320 (-2.98) ✓	(-) 7,657 (-3.02) X
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	25 प्रतिशत	22.05 ✓	22.85 ✓	23.26 ✓	23.60 ✓	26.01 X

स्रोत: वित्त लेखे और एफ आर बी एम अधिनियम।

राज्य ने पूरे पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक में राजस्व अधिशेष प्राप्त नहीं किया था।

राज्य पिछले पाँच वर्षों में से केवल 2016-17 और 2018-19 में स रा घ उ के तीन प्रतिशत से नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल रहा था।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की चार वर्ष की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण स रा घ उ के 25 प्रतिशत अर्थात् एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत रहा। हालाँकि, चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान यह एफ आर बी एम के लक्ष्य 25 प्रतिशत से 1.01 प्रतिशत ऊपर था।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पाँच वर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) को निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

तालिका-1.5 2019-20 के वार्षिक बजट (19 फरवरी 2019 को प्रस्तुत) और वर्ष के वास्तविक के साथ राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में 2019-20 के लिए किए गए अनुमानों के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: 2019-20 के लिए एम टी एफ पी में अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक (2019-20)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	स्वयं कर राजस्व	12,449	11,513	(-) 7.52
2.	करेक्टर राजस्व	4,942	3,999	(-) 19.08
3.	केंद्रीय करों का अंश	7,521	6,902	(-) 8.23
4.	भारत सरकार से अनुदान	10,591	8,309	(-) 21.55
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	35,503	30,723	(-) 13.46
6.	राजस्व व्यय	35,482	32,859	(-) 7.39
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	21	(-) 2,136	(-) 10,271.43
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 6,673	(-) 7,657	(-) 14.75
9.	ऋण-स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	24.12	26.01	(+) 7.84
10.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.00	3.16	(-) 64.89


स्रोत: वित्त लेख और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2020-21।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने 2019-20 के दौरान एम टी एफ पी एस में राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था, जिसके विपरीत राज्य को ₹ 2,136 करोड़ का भारी घाटा हुआ, जिससे प्रत्याशा में 10,271.43 प्रतिशत की कमी आई। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया था और यह 14.75 प्रतिशत अधिक था। ऋण-स रा घ उ अनुपात और स रा घ उ की वृद्धि दर से संबंधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं किया गया, वर्ष की समाप्ति पर स रा घ उ से ऋण अनुपात उच्चता पर रहा और स रा घ उ में कम वृद्धि के साथ एम टी एफ पी एस में अनुमानित किया गया था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2019-20 के दौरान XIV वि आ द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। वर्ष 2019-20 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹ 7,657 करोड़ था, जो स रा घ उ का 3.02 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान ₹ 2,845 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान बढ़कर ₹ 3,153 करोड़ हो गया और 2018-19 में ₹ 980 करोड़ का राजस्व घाटा 2019-20 के दौरान बढ़कर ₹ 2,136 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्ष की अवधि में इन घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.3 में दर्शाया गया है और स रा घ उ के संबंध में घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.4 में दी गई है। राजकोषीय देयाताओं के घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-1.5 में दी गई है।

चार्ट-1.3: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.4: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.5: राजकोषीय देनदारियाँ और स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर के ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल बकाया दायित्वों में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई और चालू वर्ष के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थी।

1.6 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

राज्य वित्त की बेहतर स्थिति दर्शाने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और गैर बजट राजकोषीय संचालन संपादित करने की प्रवृत्ति है।

1.6.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटा

पूँजी के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण और गैर बजट राजकोषीय संचालनों से घाटे के आँकड़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्पष्ट कटौती दायित्वों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम अंशदान, मोचन निधि आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए, ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और तालिका-1.6 नीचे में दर्शाया गया:

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यून कथित (+)/ अतिरिक्त (-) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यून कथित) (₹ करोड़ में)	प्रस्तर संदर्भ
अगले वित्त वर्ष के लिए स्पष्ट दायित्वों को स्थगित करना	313.71	313.71	पैरा 4.3 ¹
नई पेंशन योजना में संक्षिप्त योगदान	84.54	84.54	पैरा 2.6.2.3
गारंटी कमीशन शुल्क का सार्वजनिक खाते में हस्तांतरण न करना	4.45	4.45	पैरा 2.8.2.3
पूँजीगत के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बुक किए गए मुख्य कार्य	(-) 229.65	00	पैरा 2.6.3.2 (iv)
राजस्व के स्थान पर पूँजी अनुभाग के अंतर्गत लघु कार्यों और अनुरक्षण कार्य का बजट/बुक किया गया	10.31	00	पैरा 2.6.3.2 (iv)
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बुक किया गया सहायता-अनुदान	46.38	00	पैरा 2.6.3.2 (iv)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	43.26	43.26	पैरा 2.8.3
योग	273.00	445.96	

स्रोत: वित्त लेख और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः स रा घ उ के 0.95 प्रतिशत और 3.19 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

1.6.2 पश्च लेखापरीक्षा-कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियों सहित);

¹ सरकारी विभागों से संबन्धित दायित्व (सिचाई विभाग ₹ 214.82 करोड़, लोक निर्माण विभाग ₹ 2.78 करोड़ एवं स्वास्थ्य विभाग ₹ 96.11 करोड़)।

- गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यम; और वित्तीय सार्वजनिक उद्यम (केंद्रीय बैंक सहित);
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधियों के वित्त पोषित दायित्व (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);
- आकस्मिक दायित्वों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ हुई हैं या ट्रिगर होने की ओर अग्रसर हैं)।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप में, एक व्यापक लोक ऋण व्याप्ति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सकल ऋण उचित अवधारणा है क्योंकि यह ऋण सेवा दायित्वों के वित्तपोषण के भार को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तरल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता कम होती है, लेकिन ऋण स्थिरता के जोखिम (जैसे मुद्रा या परिपक्वता असमानता, और सामान्य सरकारी कार्यों के लिए कुछ न्यूनतम स्तर की संपत्ति की आवश्यकता होती है) को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में संशोधनों के अनुसार, ऋण में अब लोक ऋण (आंतरिक और बाह्य ऋण), लोक खाते पर कुल बकाया दायित्व और 'केंद्र² सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी भी कॉर्पोरेट या अन्य इकाई के ऐसे वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जिन्हें सरकार को उस दिनांक के अंत में नकद शेष राशि से कम करते हुए ए एफ एस से चुकाना या कम करना होता है'।

राज्य सरकार की ओर से गैर-बजट राजकोषीय संचालनों जैसे राज्य सा क्षेत्र द्वारा उधारी, विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी), आदि के कोई मामले नहीं थे जहाँ राज्य के बजट के बाहर से मूलधन और/या ब्याज की अदायगी की जानी है। राज्य सरकार के निक्षेप कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सा क्षेत्र उ, एस पी वी आदि द्वारा स्वयं की निधियों का परिनियोजन जिसका वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा उधारियों के माध्यम से किया जाना था; और राज्य सरकार द्वारा राज्य सा क्षेत्र उ, एस पी वी आदि द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के लिए मूलधन/ब्याज घटक की प्रतिपूर्ति न करना। इस प्रकार, राज्य सरकार के समग्र ऋण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

1.7 निष्कर्ष

- 2015-16 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,852 करोड़ था जो 2016-17 के दौरान घटकर ₹ 383 करोड़ रह गया। राज्य इसी प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से ₹ 1,978 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2018-19 के दौरान स्थिति में सुधार हुआ और यह ₹ 980 करोड़ पर था। चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटा और अधिक हुआ और राज्य को

² यू के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, "कुल बकाया ऋण/दायित्व" में मात्र राज्य के समेकित निधि तथा लोक लेखे के दायित्व शामिल हैं।

- ₹ 2,136 करोड़ (स रा घ उ का 0.84 प्रतिशत) का राजस्व घाटा हुआ। स्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का हस्तांतरण न करने आदि के कारण राजस्व घाटे को ₹ 273 करोड़ (12.78 प्रतिशत) तक न्यून दर्शित किया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 7,657 करोड़ (स रा घ उ का 3.02 प्रतिशत) रहा जो चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, उच्च राजस्व घाटे के कारण राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता खराब हुई। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2018-19 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 28 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटे के निवल पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2018-19 में 84 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 71 प्रतिशत हो गयी। राजकोषीय घाटा स्थगित देयता, घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश, ब्याज दायित्व का गैर-हस्तांतरण आदि के कारण ₹ 446 करोड़ (5.82 प्रतिशत) कम दर्शाया गया।

1.8 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार राजस्व अधिशेष राज्य बनने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ा सकती है। यह अपने दायित्वों के निर्वहन में उचित कदम उठा सकती है और इन्हें स्थगित न किया जाये ताकि सही वित्तीय स्थिति को दर्शाया जा सके। राज्य सरकार की ओर से ब्याज आरक्षित निधियों और जमाओं पर ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए।*

अध्याय-2
राज्य के वित्त

अध्याय-2

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिपेक्ष्य प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय पंच-वर्षीय अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन-देन की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यक था वहाँ राज्य सरकार से सूचना भी प्राप्त की गई।

2.1 2018-19 के सापेक्ष 2019-20 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तन के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2018-19 के सापेक्ष 2019-20 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में मुख्य परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 1.58 प्रतिशत कम हुई। ➤ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियाँ 5.54 प्रतिशत कम हुई। ➤ स्वयं की करेत्तर प्राप्तियाँ 20.82 प्रतिशत वृद्धि हुई। ➤ केंद्रीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश 13.84 प्रतिशत कम हुआ। ➤ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 7.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय में 2.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.98 प्रतिशत की कमी हुई। ➤ सहायता अनुदान पर व्यय में 17.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय 12.45 प्रतिशत कम हुआ। ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 20.26 प्रतिशत कम हुआ। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 46.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 25.67 प्रतिशत कम हुआ।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 31.15 प्रतिशत कम हुआ। ➤ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 29.63 प्रतिशत कम हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 15.49 प्रतिशत कम हुई। ➤ लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 3.60 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ में 8.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक लेखा संवितरण में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना वर्ष 2018-19 में आँकड़ों में करता है जबकि चार्ट-2.1 एवं 2.2 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशतता के रूप में "प्राप्ति कहाँ से आई" तथा "कहाँ व्यय हुआ" का विवरण प्रदान करता है।

तालिका-2.2: 2018-19 और 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोगों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि/कमी
स्रोत	आर बी आई के साथ प्रारम्भिक रोकड़ शेष	2,733.60	2,583.08	(-) 5.51
	राजस्व प्राप्तियाँ	31,216.44	30,722.57	(-) 1.58
	विविध पूँजीगत प्राप्ति	0.01	00	(-) 100.00
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	26.91	18.92	(-) 29.69
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	5,217.67	4,016.93	(-) 23.01
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,842.56	2,910.96	57.98
	आकस्मिकता निधि (निवल)	109.81	68.64	(-) 37.49
	योग	41,147.00	40,321.10	(-) 2.01
उपयोग	राजस्व व्यय	32,196.02	32,858.80	2.06
	पूँजीगत व्यय	6,184.42	5,414.18	(-) 12.45
	ऋण एवं अग्रिमों का सांवितरण	183.48	125.77	(-) 31.45
	आर बी आई के साथ अंतिम रोकड़ शेष	2,583.08	1,922.35	(-) 25.58
	योग	41,147.00	40,321.10	(-) 2.01

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान समाहित हैं।

2. पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भा स से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ: कुछ लेन-देन, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह प्रस्तर समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त, लोक लेखे में उपलब्ध निधियाँ (इसमें किये गये संवितरण का निवल) भी सरकार द्वारा अपने घाटे के वित्त पोषण के लिए उपयोग की जाती हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना चार्ट-2.3 में दी गई है।

चार्ट-2.3: वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में प्राप्तियों की संरचना



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इनके घटकों की प्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। इसके बाद यह प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को केंद्र सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्वयं की प्राप्तियों में विभाजित करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि


तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान, स रा घ उ से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व की उत्प्लावकता प्रदान करती है। आगे, स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दी गई है।

तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्र) (₹ करोड़ में)	21,234	24,889	27,105	31,216	30,723
रा प्र की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.87	17.21	8.90	15.17	(-) 1.58
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	9,377	10,897	10,165	12,188	11,513
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	1,220	1,346	1,770	3,310	3,999
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.14	15.53	(-) 2.52	29.85	0.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,77,163	1,95,125	2,22,836*	2,45,895*	2,53,666*
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.74	10.14	14.20	10.35	3.16
रा प्र/स रा घ उ (प्रतिशत)	11.99	12.76	12.16	12.69	12.11
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.50	1.70	0.63	1.47	(-) 0.50
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	1.25	1.53	(-) 0.18	2.88	0.03


स्रोत: 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। * अग्रिम अनुमान।

चार्ट-2.4: स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों का प्रवृत्ति



¹ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की लोच अथवा जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ



- राजस्व प्राप्तियों में 8.91 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ 2015-16 में ₹ 21,234 करोड़ से 2019-20 में ₹ 30,723 करोड़ की 44.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 493 करोड़ (1.58 प्रतिशत) की कमी हुई। यह कमी गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः स्वयं के कर राजस्व (₹ 675 करोड़) में कमी और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में कमी (₹ 1,109 करोड़) के कारण हुई है। इस कमी को आंशिक तौर पर करेत्तर राजस्व (₹ 689 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 602 करोड़) में वृद्धि से संतुलित किया गया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 50.49 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान ने मिल कर 49.51 प्रतिशत का योगदान दिया। यह इस तथ्य का सूचक है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय स्थिति स्वयं के संसाधन एवं केन्द्रीय हस्तांतरण दोनों से समान रूप से प्रभावित है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 1.58 प्रतिशत (₹ 493 करोड़) की कमी हुई और राजस्व व्यय में आंशिक बढ़ोत्तरी 2.06 प्रतिशत (₹ 663 करोड़) हुई जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में गत वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व घाटा हुआ।
- बाहरी कारणों के कारण राज्य की राजस्व उत्पलावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था जैसे कि वित्त आयोग (वर्ष 2016-17 में चौदहवें वित्त आयोग का प्रभाव) और वस्तु एवं सेवाकर के कार्यान्वयन (2017-18 में) ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्ति पर प्रभाव डाला था। वर्ष

2019-20 के दौरान, मुख्यतः राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹ 675 करोड़) एवं संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में कमी (₹ 1,109 करोड़) के कारण स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता नकारात्मक रही।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, सहायता अनुदान में राज्यांश, एकत्र किए गए केन्द्रीय करों की प्राप्तियों एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि पर निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित है, के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।


वर्ष 2015-20 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष स रा घ उ में अंश **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादी शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि (2015-20) का स्वयं के कर राजस्व का विवरण नीचे **चार्ट-2.6** में दिया गया है।

चार्ट-2.6: वर्ष 2015-20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहीत किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण **तालिका-2.4** में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.4: 2015-20 के दौरान घटक-वार स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	प्रवृत्तियाँ
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	6,105	7,154	3,703	1,883	1,811	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	1,972	4,802	4,931	
राज्य आबकारी	1,735	1,906	2,262	2,871	2,727	
वाहनों पर कर	471	556	816	909	908	
निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क	871	778	882	1,015	1,072	
भू राजस्व	28	160	24	34	24	
अन्य कर	167	343	506	674	40	
योग	9,377	10,897	10,165	12,188	11,513	
राज्य के स्वयं के कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	88.49	89.01	85.17	78.64	74.22	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	44.16	43.78	37.5	39.04	37.47	


स्रोत: वित्त लेख।

राज्य के स्वयं कर राजस्व में 2015-2016 में ₹ 9,377 करोड़ से 2019-20 में ₹ 11,513 करोड़ की 7.26 प्रतिशत वार्षिक औसत दर के साथ ₹ 2,136 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता वस्तु एवं सेवा कर (42.83 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (23.69 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (15.73 प्रतिशत) और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (9.31 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में स्वयं कर राजस्व में ₹ 675 करोड़ की कमी आई। यह कमी मुख्यतः अन्य कर (₹ 634 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 144 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 72 करोड़) के कारण हुई। हालाँकि, इस कमी को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 129 करोड़) और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 57 करोड़) से आंतरिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। स्वयं के कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में 2015-16 के दौरान 44.16 प्रतिशत से 2019-20 के दौरान 37.47 प्रतिशत तक लगातार गिरावट देखी गई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पास हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी) के अंतर्गत राजस्व का वास्तविक संग्रहण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5: जी एस टी एवम एस जी एस टी से पूर्व संग्रहण, आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए राज्य के अनुमानित राजस्व के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त आई जी एस टी की क्षतिपूर्ति

माह	मासिक राजस्व संरक्षित किया जाता था	जी एस टी पूर्व कर संग्रहण	एस जी एस टी संग्रह	आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन	कुल प्राप्त धनराशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	वृद्धि (+)/ कमी (-)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(1-(5+6))	
अप्रैल 2019	698.275	90.53	436.94	74.44	601.91	00	96.365	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को कम राजस्व प्राप्त हुआ है।
मई 2019	698.275	98.41	435.51	0	533.92	554.00	(-) 389.645	
जून 2019	698.275	202.27	399.85	0	602.12	00	96.155	
जुलाई 2019	698.275	149.68	329.23	92.96	571.87	361.00	(-) 234.595	
अगस्त 2019	698.275	154.41	508.25	(-) 31.60	631.06	00	67.215	
सितम्बर 2019	698.275	147.54	395.78	(-) 10.27	533.05	511.00	(-) 345.775	
अक्टूबर 2019	698.275	159.81	276.31	0	436.12	00	262.155	
नवम्बर 2019	698.275	168.62	431.92	0	600.54	00	97.735	
दिसम्बर 2019	698.275	164.31	369.42	(-) 3.75	529.98	672.00	(-) 503.705	
जनवरी 2020	698.275	160.77	435.01	0	595.78	00	102.495	
फरवरी 2020	698.275	155.90	405.17	0	561.07	379.38	(-) 242.175	
मार्च 2020	698.275	(-)1,645.51 ²	348.75	37.12	(-) 1,259.64	00	1,957.915	
योग	8,379.30	6.74	4,772.14	158.90	4,937.78	2,477.38	964.14	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

जी एस टी अधिनियम के अनुसार राज्य के राजस्व में हुई किसी भी कमी को केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 8,379 करोड़ के संरक्षित राजस्व के सापेक्ष जी एस टी के अंतर्गत कुल राजस्व संग्रहण क्षतिपूर्ति सहित ₹ 964 करोड़ कम था। हालाँकि,

² प्रतिकूल प्रविष्टि खातों के सुधार के कारण है।

जी एस टी के अंतर्गत गत वर्ष (₹ 4,865.54 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण में मामूली वृद्धि हुई। आगे, वर्ष के दौरान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी) के अंतर्गत निवल आय का अपना अंश राज्य को प्राप्त नहीं हुआ।

स्वचालित जी एस टी का संग्रहण स्थापित होने के साथ लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक था कि सभी लेन-देन की नमूना जाँच की अपेक्षा विस्तृत जाँच करे और पारगमन करें ताकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के अनुसार लेखों का प्रमाणीकरण किया जा सके। भारत सरकार द्वारा जी एस टी एन परिसर में पैन-इंडिया डाटा तक पहुँच प्रदान करने के निर्णय को 22 जून 2020 को सूचित किया गया था। उत्तराखण्ड सरकार ने दिसंबर 2020 में ही जी एस टी बैक-एंड सिस्टम तक पहुँच प्रदान करने के अपने निर्णय से अवगत कराया।

2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2020 को राजस्व के कुछ प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10,343.81 करोड़ राजस्व का बकाया था, जिसमें से ₹ 3,363.61 करोड़ (32.52 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक से लंबित था, जैसाकि तालिका-2.6 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.6: राजस्व का बकाया

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2020 तक पाँच वर्षों से अधिक से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर/वैट	10,205.69	3,227.82
राज्य उत्पाद शुल्क	67.51	67.29
वानिकी एवं वन्य जीव	70.61	68.50
योग	10,343.81	3,363.61

स्रोत: राज्य विभाग।

निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु देय होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.7 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.7: निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	2019-20 के दौरान निर्धारण के लिए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2019-20 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	मामले निपटाने का प्रतिशत
वाणिज्यिक कर/वैट	60,504	1,28,105	1,88,609	73,885	1,14,724	39.17

स्रोत: राज्य विभाग।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए मामलों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार की राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.8: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 को लंबित मामले	2019-20 के दौरान पता चले मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें आकलन/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2020 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर/वैट	30	05	35	20	2.98	15

स्रोत: राज्य विभाग।

कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.9 में नीचे दिया है।

तालिका-2.9: कर वापसी के प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	जी एस टी		राज्य कर/वैट		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	--	--	1,488	50.69	--	--
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,193	*	2,373	49.34	08	1.09
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	948	69.04	2,661	64.00	08	1.09
4.	वर्ष के दौरान कर वापसी जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया	--	--	--	--	--	--
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	245	*	1,200	36.03	--	--

स्रोत: राज्य विभाग।

* आँकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2019-20 के दौरान जी एस टी के अंतर्गत 1,193 कर वापसी प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 69.04 करोड़ का भुगतान करने के पश्चात 948 कर वापसी प्रकरणों का निपटारा किया गया। इसी प्रकार बिक्री कर/वैट के अंतर्गत 3,861 प्रकरणों के सापेक्ष, ₹ 64 करोड़ का भुगतान करने के पश्चात 2,661 प्रकरणों का निपटारा किया गया।

2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्ति, विभागीय प्राप्ति आदि शामिल हैं। वर्ष 2015-20 के दौरान करेत्तर राजस्व संग्रहण का घटक वार विवरण तालिका-2.10 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.10: 2015-20 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	प्रवृत्तियाँ
ब्याज प्राप्तियाँ	89.22	71.77	85.39	55.7	47.81	
लाभांश एवं लाभ	5.10	15.21	22.69	18.69	14.08	
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	272.65	335.17	439.81	480.86	396.75	
वानिकी एवं वन्य जीव	357.47	318.21	312.2	368.73	410.16	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान एवं वसूली	48.54	55.13	47.97	1,714.70	2,492.90	
विद्युत	168.57	130.08	286.21	186.67	0.3	
अन्य	278.11	420.25	575.26	484.53	636.81	
योग	1,219.66	1,345.82	1,769.53	3,309.88	3,998.81	
राज्य के स्वयं के राजस्व में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	11.51	10.99	14.84	21.36	25.78	
कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	5.75	5.41	6.53	10.6	13.02	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का पाँच प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक रहा जो विगत वर्षों की अपेक्षा 2018-19 में ₹ 1,540 करोड़ (87 प्रतिशत) और 2019-20 में ₹ 689 करोड़ (21 प्रतिशत) की अत्यधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश से प्राप्त पेंशन प्रभाजन के (₹ 2,400 करोड़) हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान वानिकी एवं वन्य जीव के अंतर्गत प्राप्तियाँ ₹ 41 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ी, जबकि अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग के अंतर्गत ₹ 84 करोड़ (17 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ घटी।

2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



2.3.4.1 केंद्रीय कर अंतरण

चौ वि आ ने अनुशांसा की थी कि वर्ष 2015-16 से केंद्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों से निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.05 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.11 में नीचे दिया है।

तालिका-2.11: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश: वास्तविक हस्तांतरण के सापेक्ष वित्त आयोग के अनुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग प्रतिवेदन में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.120 प्रतिशत और सेवा कर की निवल आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	2,284.00	2,460.07	176.07
2011-12		2,679.00	2,866.05	187.05
2012-13		3,160.00	3,272.88	112.88
2013-14		3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15		4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौ वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17		7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18		8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19		9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20		10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46

स्रोत: राज्य सरकार एवं वित्त लेखे।

राज्य को वर्ष 2015-20 के दौरान केन्द्रीय कर के हस्तान्तरण का विवरण तालिका-2.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.12: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
निगम कर	1,677.14	2,056.02	2,169.91	2,786.13	2,353.14
सीमा शुल्क	854.57	884.42	715.10	567.89	437.46
आय कर	1,162.76	1,428.94	1,832.34	2,051.86	1,843.85
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क कर्तव्य	4.15	0.02	00	4.14	4.37
सेवा कर	919.96	1,027.52	804.25	73.45	00
संपदा कर	0.43	4.71	(-) 0.07	1.02	0.10
संघ उत्पाद शुल्क	714.15	1,009.94	747.50	377.39	304.15
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.03	00	00	14.51	00
सी जी एस टी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	100.52	1,977.40	1,958.47
आई जी एस टी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	715.36	157.80	00
कुल केन्द्रीय करों का अंतरण	5,333.19	6,411.57	7,084.91	8,011.59	6,901.54
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	40.64	20.23	10.50	13.07	(-) 13.86
केंद्रीय कर अंतरण की राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता	25.12	25.76	26.14	25.67	22.46

स्रोत: गत वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2015-16 में ₹ 5,333 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 6,902 करोड़ तक 29.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, इसमें ₹ 1,109 करोड़ (13.86 प्रतिशत) की कमी मुख्यतः आई जी एस टी विभाजन की प्राप्ति न होने, निगम कर (₹ 433 करोड़) और आयकर (₹ 208 करोड़) कम प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों का अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 22.46 प्रतिशत था। आगे जैसाकि उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान वित्त आयोगों (XIII एवं XIV) की अनुशंसा के अनुसार केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान, राज्यांश ₹ 4,019.46 करोड़ कम था।

2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजनेत्तर अनुदान	1,043	824	714	*	*
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	1,173	1,532	1,621	*	*
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	609	843	76	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,479	3,035	4,391	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	-	4,966	4,477
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	485	975
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	--	--	1,283	2,256	2,857
कुल	5,304	6,234	8,085	7,707	8,309
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 24	18	30	(-) 5	8
राजस्व प्राप्ति से जी आई ए की प्रतिशतता	25	25	30	25	27

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

*आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर अनुदान का नामकरण वर्ष 2018-19 से समाप्त करने के बाद से कोई आँकड़े नहीं हैं और सी एस एस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा परिवर्तित किया गया।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 602 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 27 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान कुल अनुदान का 54 प्रतिशत (₹ 4,477 करोड़) रहा। राज्य को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि (एस डी आर एफ) हेतु ₹ 975 करोड़ वित्त आयोग अनुदान प्रदान किया गया जो वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 12 प्रतिशत रहा।

वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान (i) जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 2,477 करोड़), (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 375 करोड़), एवं (iii) प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता हेतु अनुदान (₹ पाँच करोड़) से संबंधित थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मासिक नगद प्रवाह बनाए रखने के लिए राज्य को उधारियों का सहारा लेना पड़ा था। हालाँकि, सहायता अनुदान के मासिक प्रवाह ने राज्य को नगद प्रवाह पर काबू पाने में काफी हद तक सहायता की थी।

2.3.4.3 चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसाकि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है XIV वि आ अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: XIV वि आ की अनुसंशा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त गया अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	चौ वि आ की अनुसंशा		वर्ष के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त		वर्ष के दौरान राज्य द्वारा अंतरण	
	2015-16 से 2019-20	2019-20	2015-16 से 2019-20	2019-20	2015-16 से 2019-20	2019-20
1 स्थानीय निकाय						
(अ) पी आर आई को अनुदान	1,882.69	570.44	1,752.91	508.31	1,752.91	508.31
(i) मूल अनुदान	1,694.42	508.31	1,694.41	508.31	1,694.41	508.31
(ii) निष्पादन अनुदान	188.27	62.13	58.50	0	58.50	0
(ब) यू एल बी को अनुदान	815.83	249.63	625.49	188.18	625.49	188.18
(i) मूल अनुदान	652.66	195.79	573.80	188.18	573.80	188.18
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	53.84	51.69	0	51.69	0
कुल (1)	2,698.52	820.07	2,378.40	696.49	2,378.40	696.49
2. आपदा मोचन निधि	1,158.00	254.00	1,043.10	229.50	1,068.48	227.61
(i) केंद्रांश	1,042.00	229.00	1,043.10	229.50	1,068.48	227.61
(ii) राज्यांश	116.00	25.00	00	00	00	00
सकल योग	3,856.52	1,074.07	3,421.50	925.99	3,446.88	924.10

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य पी आर आई और यू एल बी दोनों के लिए निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु मानदण्डों की उपलब्धि के अभाव के कारण चौ वि आ अनुदान का पूर्ण अंश प्राप्त नहीं कर सका। आगे, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान भा स द्वारा ₹ 926 करोड़ अवमुक्त किये गये जबकि वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार, कुल अवमुक्त ₹ 975 करोड़ था। बहिर्गमन गोष्ठी में इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने अवगत कराया कि कारणों से बाद में सूचित किया जाएगा।

2.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.15 में निवल पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका-2.15: निवल पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	6,825	6,536	7,560	7,302	6,167
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	27	35	34	27	19
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,801	5,373	5,805	5,218	4,017
आंतरिक ऋण	4,735	5,262	5,731	5,157	3,994
वृद्धि दर	29.87	11.13	8.91	(-) 10.02	(-) 22.55
भा स से ऋण एवं अग्रिम (निवल)	66	111	74	61	23
वृद्धि दर	100.00	68.18	(-) 33.33	(-) 17.57	(-) 62.30
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	48.66	(-) 4.37	15.77	(-) 3.34	(-) 15.49
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 85.08	29.63	(-) 2.86	(-) 20.59	(-) 29.63
स रा घ उ की वृद्धि दर	9.74	10.14	14.20	10.35	3.16
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	43.56	(-) 4.23	15.67	(-) 3.41	(-) 15.54
कुल प्राप्तियों से पूँजीगत प्राप्तियों की प्रतिशतता	24.32	20.80	21.81	18.96	16.72

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पूँजीगत प्राप्तियों में 2015-16 में ₹ 6,825 करोड़ से 2016-17 में ₹ 6,536 करोड़ तक चार प्रतिशत की कमी आई। लेकिन 2017-18 में ₹ 7,560 करोड़ तक वृद्धि हुई। हालाँकि, 2018-19 एवं 2019-20 में इसमें पुनः क्रमशः ₹ 258 करोड़ एवं ₹ 1,135 करोड़ की कमी हुई। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में पूँजीगत प्राप्तियों में कमी मुख्यतः आंतरिक ऋण (₹ 1,163 करोड़) में कमी के कारण हुई थी।

लोक ऋणों की प्राप्तियों ने भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों की संरचना की है और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2015-20 के दौरान, लोक ऋणों की प्राप्तियों में से 26.38 प्रतिशत लोक ऋणों के पुनर्भुगतान में उपयोग किया गया और शेष 73.62 प्रतिशत अन्य उद्देश्यों पर उपयोग किया गया।

2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन

संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित है, के संदर्भ में किया गया। चौ वि आ के अनुमान, 2019-20 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में वास्तविक अनुमान के सापेक्ष बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति प्रतिवेदन (एम टी एफ पी एस) तालिका-2.16 में दिये गये हैं।

तालिका-2.16: राज्य के स्वयं के संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	चौ वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशत भिन्नता		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	26,268	14,737	12,449	11,513	(-) 56.17	(-) 21.88	(-) 7.52
करेत्तर राजस्व	3,869	4,255	4,942	3,999	3.36	(-) 6.02	(-) 19.08

स्रोत: चौ वि आ की रिपोर्ट, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व चौ वि आ के अनुमान, बजट आकलन एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 14,755 करोड़, ₹ 3,224 करोड़ एवं ₹ 936 करोड़ कम रहा।

चौ वि आ के अनुमानों की तुलना में करेत्तर राजस्व 130 करोड़ अधिक रहा। हालाँकि, यह बजट अनुमानों एवं एम टी एफ पी एस के अनुमानों के सापेक्ष क्रमशः ₹ 256 करोड़ एवं ₹ 943 करोड़ कम रहा।

संक्षेप में, राज्य अपने बजट एवं एम टी एफ पी एस के अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सका।

2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत अवसररचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

पूँजीगत व्यय: वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय जिसे सेवा के लिए खोला न गया हो और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो पूँजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व व्यय: वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो संपत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हो और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु व्य)	27,386	30,391	35,074	38,563	38,399
राजस्व व्यय (रा व्य)	23,086	25,272	29,083	32,196	32,859
पूँजीगत व्यय (पू व्य)	4,217	4,954	5,914	6,184	5,414
ऋण एवं अग्रिम	83	165	77	183	126
स रा घ उ से प्रतिशतता					
कुल व्यय/स रा घ उ	15.46	15.58	15.74	15.68	15.14
राजस्व व्यय/स रा घ उ	13.03	12.95	13.05	13.09	12.95
पूँजीगत व्यय/स रा घ उ	2.38	2.54	2.65	2.51	2.13
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	0.05	0.08	0.03	0.07	0.05

स्रोत: वित्त लेखे।


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 27,386 करोड़ से 40 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 38,399 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा यह व्यय 0.43 प्रतिशत घटा। सरासरी की प्रतिशतता के तौर पर 2015-20 के दौरान कुल व्यय 15.14 प्रतिशत से 15.74 प्रतिशत तक रहा।

चार्ट-2.9 कुल व्यय के घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि चार्ट-2.10 वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय की संरचनाओं को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों के अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय की संरचना (प्रतिशत में)




गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवा, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा तथा अन्य पर हुए व्यय से कुल व्यय बना है। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹ 38,399 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.18: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश

(प्रतिशत में) मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	31.11	32.92	37.67	36.25	37.00
सामाजिक सेवाएँ	39.40	37.77	34.26	34.51	36.99
आर्थिक सेवाएँ	26.69	26.33	23.88	25.46	21.54
अन्य (स्थानीय निकायों और सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवम अग्रिम का अनुदान)	2.80	2.98	4.19	3.78	4.47

चार्ट-2.11 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दिखाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपरोक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य सेवा, सामाजिक सेवा तथा अन्य का अंश बढ़ा है। हालाँकि, आर्थिक सेवा से संबन्धित अंश चालू वर्ष में घटा है।

2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसी कारण, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में योगदान नहीं देता है। वर्ष 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.89 प्रतिशत की औसत

दर से (2017-18 में 82.92 प्रतिशत से 2019-20 में 85.57 प्रतिशत) हुआ। राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय एवं उत्प्लावकता के लिए इसके अनुपात के सापेक्ष स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियाँ तालिका-2.19 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई हैं। जबकि चार्ट-2.13 में 2019-20 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।


तालिका-2.19: राजस्व व्यय-आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु व्य)	27,386	30,391	35,074	38,563	38,399
राजस्व व्यय (रा व्य)	23,086	25,272	29,083	32,196	32,859
रा व्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.08	9.47	15.08	10.70	2.06
राजस्व व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता	84.30	83.16	82.92	83.49	85.57
रा व्य/स रा घ उ (प्रतिशत)	13.03	12.95	13.05	13.09	12.95
रा प्रा के प्रतिशत के रूप में रा व्य	108.72	101.54	107.30	103.14	106.95
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	0.93	0.93	1.06	1.03	0.65
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.86	0.55	1.69	0.71	(-) 1.30

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-2.12: 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.13: 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)



वर्ष 2019-20 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता कम थी, यद्यपि, इसमें गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 663 करोड़ (2.06 प्रतिशत) की आंशिक बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय मध्य अवधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) में दिये गए आकलन (₹ 35,482 करोड़) के सापेक्ष ₹ 2,623 करोड़ कम था।

2.6.1.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

तालिका-2.20, चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा राज्य के लेखों के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत राजस्व व्यय से संबन्धित महत्वपूर्ण विचलन (30 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है।

तालिका-2.20: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	विचलन (प्रतिशतता)
2015 चुनाव	35.93	119.72	83.79 (233.20)
3055 सड़क परिवहन	59.94	83.95	24.01 (40.06)
2701 मध्यम सिंचाई	17.53	24.24	6.71 (38.28)
2204 खेल और युवा सेवाएँ	40.49	54.15	13.66 (33.74)
2407 वृक्षारोपण	0.50	0.67	0.17 (34.00)
2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	214.23	136.23	(-) 78.00 (36.41)
2013 मंत्रिमंडल	64.46	36.71	(-) 27.75 (43.05)
2220 सूचना और प्रचार	119.16	56.38	(-) 62.78 (52.69)
2801 ऊर्जा	0.20	0.06	(-) 0.14 (70.00)
2408 खाद्य भंडारण और भंडारण	157.88	35.80	(-) 122.08 (77.32)
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	41.13	8.43	(-) 32.70 (79.50)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम, खाद भंडारण, भंडारण, सूचना एवं प्रसार के अंतर्गत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है। हालाँकि, चुनाव के

अंतर्गत व्यय 233 प्रतिशत बढ़ा है। आगे, महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, अनुसूचित जाति का कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा एवम कल्याण तथा ग्रामीण विकास में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया है। इन लेखा शीर्षों में वर्ष 2018-19 में 38.89 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में लगभग 39.34 प्रतिशत राजस्व व्यय हुआ।

2.6.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। वचनबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति ने विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प दिये। राज्य के एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष होना चाहिए। इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन पर हो जाता है।

तालिका-2.21 वर्ष 2015-20 के दौरान वचनबद्ध व्यय के घटकों में हुई प्रवृत्ति को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का हिस्सा चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता चार्ट-2.15 में दी गई है।


तालिका-2.21: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


वचनबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	7,848	8,670	10,496	11,525	11,714
ब्याज भुगतान	2,971	3,723	3,987	4,475	4,504
पेंशन पर व्यय	2,628	3,170	5,033	5,396	5,507
सब्सिडी	211	208	186	174	35
योग	13,658	15,771	19,702	21,570	21,760
राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.96	34.83	38.72	36.92	38.13
ब्याज भुगतान	13.99	14.96	14.71	14.34	14.66
पेंशन पर व्यय	12.38	12.74	18.57	17.29	17.92
सब्सिडी	0.99	0.84	0.69	0.56	0.11
योग	64.32	63.37	72.69	69.10	70.83
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	33.99	34.31	36.09	35.80	35.65
ब्याज भुगतान	12.87	14.73	13.71	13.90	13.71
पेंशन पर व्यय	11.38	12.54	17.31	16.76	16.76
सब्सिडी	0.91	0.82	0.64	0.54	0.11
योग	59.16	62.41	67.75	67.00	66.22

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

चार्ट-2.14: कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध एवं गैर वचनबद्ध व्यय के अंश



चार्ट-2.15: राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश



जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 59 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 63 प्रतिशत से 73 प्रतिशत लेखाबद्ध की गईं।

2.6.2.1 वेतन एवं मजदूरी

चालू वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा वेतन पर व्यय और राजस्व व्यय में इसका अंश लगभग स्थिर रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 36 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान, यह 2015-16 में ₹ 7,848 करोड़ के व्यय से ₹ 3,866 करोड़ (49 प्रतिशत) बढ़ कर 2019-20 में ₹ 11,714 करोड़ हो गया। एम टी एफ पी एस में अनुमानित व्यय ₹ 12,937 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन (₹ 11,714 करोड़) पर व्यय ₹ 1,223 करोड़ कम था।

2.6.2.2 ब्याज भुगतान

वर्ष 2018-19 में ब्याज भुगतान ₹ 4,475 करोड़ से ₹ 29 करोड़ (0.65 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2019-20 में ₹ 4,504 करोड़ प्रमुख रूप से बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹ 333 करोड़ एवं लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ₹ 90 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ जोकि एन एस एस एफ को जारी ₹ 401 करोड़ विशेष सुरक्षा ब्याज घटने से प्रति समायोजित हुआ। चालू वर्ष के दौरान, ब्याज का भुगतान आंतरिक कर्ज (₹ 3,703 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 668 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम पर (₹ 67 करोड़) हुआ है।

XIV वि आ द्वारा किए गए मूल्यांकन के संदर्भ में तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानित ब्याज भुगतान को तालिका-2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: XIV वित्त आयोग और राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	XIV वित्त आयोग द्वारा किया गया आकलन	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन		वास्तविक
		बजट	एम टी एफ पी एस	
2019-20	5,269	5,332.19	5,137.19	4,504

स्रोत: चौ वि आ रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेख।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान, एम टी एफ पी एस एवं बजट में किए गए अपने अनुमानों के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग के आकलन से बहुत कम थे।

2.6.2.3 पेंशन

वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 5,507 करोड़ हुआ जोकि राजस्व प्राप्तियों का 17.92 प्रतिशत होता है। चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष 2018-19 की अपेक्षा यह 2.06 प्रतिशत बढ़ा है तथा चौ वि आ द्वारा चालू वर्ष के लिए किए गए मानकीय मूल्यांकन ₹ 3,905 करोड़ से 41.02 प्रतिशत (चौ वि आ के प्रतिवेदन का संलग्नक 7.5) से अधिक है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अप्रयुक्त दायित्व

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी नयी पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जोकि एक परिभाषित योगदान योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का योगदान करती है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह दोनों कर्मचारी एवं सरकार का अंश नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सिक्क्योरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे निवेश के लिए जमा करे।

कर्मचारियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वास्तविक धनराशि एवं सरकार के योगदान का आकलन नहीं किया गया। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों का योगदान ₹ 418.51 करोड़ था और एन पी एस में सरकार का योगदान, वांछित योगदान ₹ 585.91 करोड़ के सापेक्ष ₹ 501.37 करोड़ था। इस प्रकार राज्य सरकार की ओर से ₹ 84.54 करोड़ का कम योगदान था। कुल योगदान ₹ 919.88 करोड़ को मुख्य शीर्ष-8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित योगदान पेंशन योजना के अंतर्गत दर्ज किया गया है एवं कुल निधि ₹ 914.63 करोड़ एन एस डी एल को स्थानांतरित की गई है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि एवं सरकार द्वारा योगदान की जाने वाली मिलान राशि के अभाव में सरकार द्वारा प्रेषित निधियों की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

कुल स्थानांतरित धनराशि ₹ 914.63 करोड़ में से ₹ 912.98 करोड़ की धनराशि एन एस डी एल द्वारा प्राप्त की गई है। ₹ 1.65 करोड़ की भिन्नता राज्य सरकार के साथ मिलान के अंतर्गत है। आगे, राज्य सरकार ने ₹ 159.38 करोड़ की धनराशि (₹ 22.75 करोड़ लिगेसी बैलेंसेज³ सहित) लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित योगदान पेंशन योजना के अंतर्गत रखी है। वर्ष 2019-20 के अंत में, निधि का शेष ₹ 164.64 करोड़ था।

2.6.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में महत्वपूर्ण कमी आयी है जैसाकि तालिका-2.23 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों में सब्सिडी की प्रतिशतता में 2018-19 में 0.56 प्रतिशत से 2019-20 में 0.11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आयी। मात्रा की दृष्टि में, 2018-19 में सब्सिडी के भुगतान पर व्यय ₹ 174 करोड़ में से ₹ 139 करोड़ घट कर वर्ष 2019-20 में ₹ 35 करोड़ रह गया।

तालिका-2.23: 2015-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	211	208	186	174	35
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	0.99	0.84	0.69	0.56	0.11
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	0.91	0.82	0.64	0.54	0.11

वर्ष 2019-20 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 26 करोड़), खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (₹ 4 करोड़), पौली हाउस विविधिकरण एवं स्प्रींकलर वॉटर पम्प योजना (₹ 3 करोड़) और इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना (₹ 2 करोड़) के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान थी। 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने अपने एम टी एफ पी एस में सब्सिडी का कोई आकलन नहीं किया था।

³ लिगेसी बैलेंसेज से अभिप्राय ऐसे योगदान से है जो नई पेंशन योजना की घोषणा की दिनांक (01 अक्टूबर 2005) से राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रभावी होने की दिनांक (31 मार्च 2008) के बीच किए गए हैं।

2.6.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.24 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.24: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	615.73	650.63	464.93	544.70	573.62
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	334.11	397.77	753.33	717.07	902.05
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	432.46	508.40	715.21	742.25	814.62
4.	विकास एजेंसियाँ	828.94	953.33	546.93	555.82	494.84
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	338.94	319.17	252.98	436.19	353.03
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	18.63	18.12	11.78	11.69	13.30
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान, भूमि रिकॉर्ड और वन्य जीवन संरक्षण को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार	270.21	337.78	476.94	593.57	585.49
8.	सहकारी समितियाँ	4.12	5.07	3.73	2.67	1.55
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	27.09	32.00	38.77	41.80	51.17
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	1.52	30.69	46.92	51.12	47.27
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	514.86	446.96	232.65	216.54	238.66
12.	अन्य संस्थान	209.16	150.30	119.64	552.36	724.60
	योग	3,595.77	3,850.22	3,663.81	4,465.78	4,800.18
	रा व्य के प्रतिशतता के अनुसार सहायता	15.58	15.23	12.60	13.87	14.61

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा में प्रदान की गई सहायता ₹ 334.40 करोड़ बढ़ी है। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता का 35.76 प्रतिशत लेखांकित की गई।

तीसरे और चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं कर राजस्व का क्रमशः 10.50 प्रतिशत और 11 प्रतिशत हस्तांतरण राशि के रूप में सिफारिश की थी। 2015-16 से 2019-20 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली राशि और वास्तविक हस्तांतरित राशि तालिका-2.25 में दी गई है।

तालिका-2.25: हस्तांतरित की जाने वाली राशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	9,377.00	10,897.00	10,165.00	12,188.00	11,513.00
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2015-16 के लिए रा स्व क रा का 10.50 प्रतिशत तथा 2016-17 के लिए रा स्व क रा का 11 प्रतिशत)	984.59	1,198.67	1,118.15	1,340.68	1,266.43
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	766.57	906.17	1,468.54	1,459.32	1,716.67
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	8.18	8.32	14.45	11.97	14.91

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ।


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2015-16 के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक हस्तांतरण 8.18 प्रतिशत था जो कि 2019-20 के दौरान बढ़कर 14.91 प्रतिशत हो गया। 2017-18 से 2019-20 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राशि से अधिक था।

2.6.3 पूँजीगत व्यय


पूँजीगत व्यय प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है। पूँजीगत व्यय की पूर्ति केंद्र एवं राज्य दोनों में बजटीय आवंटन तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाती है।

कुल पूँजीगत व्यय 2015-16 में ₹ 4,217 करोड़ से 2018-19 में ₹ 6,184 करोड़ लगातार बढ़ा है। हालाँकि, चालू वर्ष में पूँजीगत व्यय ₹ 770 करोड़ (12.45 प्रतिशत) घटा। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान/लक्ष्य (₹ 6,494 करोड़) के सापेक्ष ₹ 1,080 करोड़ कम रहा। साथ ही साथ बजट में किए गए अनुमान से (₹ 6,572 करोड़) ₹ 1,158 करोड़ कम रहा। चार्ट-2.16 में पूँजीगत व्यय के सापेक्ष पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान बजट आवंटन का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.17 में स रा घ उ से और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.16: 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.17: पूँजीगत व्यय का स रा घ उ व कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



2.6.3.1 पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव

तालिका-2.26 में गत वर्ष सापेक्ष वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुए महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी या कमी को दिखाने वाले प्रकरण दर्शित हैं।

तालिका-2.26: 2018-19 के सापेक्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय	2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	179.39	469.43	290.04
4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	154.33	290.10	135.77
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	4.35	39.90	35.55
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	57.98	88.91	30.93
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	6.95	31.52	24.57
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	14.59	22.63	8.04
4401 फसल खनिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय	5.12	12.48	7.36
4851 ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	2.06	8.92	6.86
4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	4.70	9.92	5.22
4058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	0.27	0	(-) 0.27
5053 नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	2.97	0.51	(-) 2.46
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	48.67	31.52	(-) 17.15
4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	187.40	97.60	(-) 89.80
5054 सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	1,363.91	914.87	(-) 449.04

2.6.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं होती है। ऐसे ही, घाटे

में चल रहे निगमों तथा अन्य निकायों जैसे कि चीनी मिल, वित्त निगम आदि को दिये गए ऋणों को बढ़े खाते में डालने की अनिवार्यता का पता अनुभव से चलता है। ऐसे वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

घाटे में चल रही कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों या जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, में पूँजीगत व्यय सतत योग्य नहीं है।

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ) निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम) एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही है और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, को दिये गए ऋणों एवं किए गए निवेश पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश की वापसी और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक है।

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2020 तक एक संवैधानिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 3,534.95 करोड़ का निवेश किया था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 14.08 करोड़ प्रतिफल अर्जित किया। **तालिका-2.27** में 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-2.27: निवेश का विवरण और निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिफल/ उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत तक निवेश	2,914.41	3,123.73	3,209.24	3,402.45	3,534.95
निवेश पर प्रतिफल	5.1	15.21	22.69	18.69	14.08
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.18	0.49	0.71	0.55	0.40
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.19	8.91	8.27	8.15	7.26
ब्याज दर और प्रतिफल (प्रतिशत) के बीच अंतर	8.01	8.42	7.56	7.60	6.86
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	233.44	263.02	242.62	258.59	242.50

गत पाँच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य था और विगत पाँच वर्षों में निवेश (ऐतिहासिक लागत पर) 0.18 प्रतिशत से 0.71 प्रतिशत के बीच था। जबकि सरकार ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान अपनी उधारियों पर ब्याज का भुगतान 8.16 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से किया।

जैसाकि तालिका-2.27 (वित्तीय लेखों के अनुसार) में दिखाया गया है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (सा क्षे उ) में और नि एवं म ले के राज्य के सा क्षे उ पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भिन्नता है। भिन्नता मुख्य रूप से कार्यालय महालेखाकार (ले एवं ह) में प्राप्त वाउचरों पर आधारित सरकारी लेखों में दर्ज निवेश के लेन देन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रत्येक सा क्षे उ से प्राप्त विवरण के कारण हुई है। राज्य सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में दिए गए निवेशों के अंतर मिलान के अंतर्गत हैं।

राज्य के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे राज्य के सा क्षे उ सरकार को लाभांश का भुगतान करें। विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने राज्य की उधारियों की कीमत एवं क्रियाशील सा क्षे उ में निवेश की कमाई पर भिन्नता के कारण निवेश की कमाई पर ₹ 1,240.17 करोड़ की परिकल्पित हानि संगणित की है। राज्य सरकार ने लाभ कमाने वाले सा क्षे उ द्वारा सरकार को लाभांश के भुगतान हेतु एक नीति बनाने पर सहमति व्यक्त की है। हालाँकि, विवरण प्रतीक्षित हैं।

प्रमुख निवेश (i) उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,444.91 करोड़) (ii) यू जे वी एन लिमिटेड (₹ 1,264.18 करोड़) तथा पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 564.88 करोड़) में थे। 2019-20 के अंतिम लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 3,699.26 करोड़ का संचित घाटा किया है। जबकि यू जी वी एन एवं पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने वर्ष 2019-20 के अपने अंतिम लेखों के अनुसार क्रमशः ₹ 1,053.09 करोड़ एवं ₹ 268.64 करोड़ का संचित लाभ अर्जित किया है।

(ii) ऐसी कंपनियों में निवेश जिनका निवल मूल्य पूर्णतया समाप्त हो गया है

नवीनतम अंतिम लेखों (2019-20) के अनुसार राज्य सरकार ने 11 कंपनियों⁴/निगमों, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, में ₹ 1,708.26 करोड़ निवेश किया था। 2019-20 के दौरान सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निवल संपत्ति 31 मार्च 2020 को (-) ₹ 2,254.35 करोड़) में ₹ 16 करोड़ की धनराशि निवेश की गई थी।

(iii) घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश

घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश का विवरण नीचे तालिका-2.28 में दिया गया है।

⁴ (i) गढ़वाल अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.20 करोड़), (ii) उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड (₹ 1.20 करोड़), (iii) डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड (₹ 6.00 करोड़), (iv) किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड (₹ 17.54 करोड़), (v) उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान एवं निर्माण निगम (₹ 00), (vi) उत्तराखण्ड परिवहन निगम (₹ 229.36 करोड़), (vii) उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (₹ 8.95 करोड़), (viii) ट्रांस केबल लिमिटेड (₹ 00) (ix) उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 0.10 करोड़) (x) उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (₹ 00) और (xi) उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,444.91 करोड़)।

तालिका-2.28: घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	वर्ष के दौरान नुकसान	31 मार्च 2020 तक संचयी निवेश
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(-) 577.31	1,444.91
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मंडल विकास निगम की सहायक)	(-) 0.19	0.20
3.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मंडल विकास निगम के सहायक)	(-) 0.02	0.22
4.	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	(-) 13.85	1.20
5.	डोईवाला शहर कंपनी लिमिटेड	(-) 18.75	6.00
6.	कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड	(-) 1.51	13.42
7.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	(-) 5.51	6.79
8.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	(-) 11.99	229.36
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	(-) 2.21	8.95
	योग	(-) 631.34	1,711.04

स्रोत: संबंधित संस्थाओं के नवीनतम अंतिम लेखे।

वर्ष 2019-20 के दौरान, घाटे में चल रही एक सा क्षेत्र नामतः यानि उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसकी निवल संपत्ति खत्म हो चुकी है में ₹ 16 करोड़ का निवेश किया गया था।

उत्तराखण्ड में 30 सा क्षेत्र हैं जिनमें से 22 सा क्षेत्र कार्यशील⁵ हैं तथा आठ सा क्षेत्र अकार्यशील हैं। 22 कार्यशील सा क्षेत्र में से 12 सा क्षेत्र घाटे में चल रहे थे और उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 4,554.99 करोड़ की संचित हानि हो गई है। चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने अकार्यशील उपक्रमों को ना तो कोई ऋण दिया और ना ही कोई निवेश किया है।

(iv) पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण

राजस्व अनुभाग के अलावा पूँजीगत अनुभाग में उत्तराखण्ड सरकार की संस्थाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में निधियाँ का आवंटन एवं संचालन जारी है। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 46.38 करोड़ के ऐसे अनुदान दिये गए और छः पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित किए गए थे। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक (भा स ले मा)-2 का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर संपत्ति के सृजन हेतु सहायता अनुदान से व्यय को सरकार की वित्तीय विवरणों के एक पूँजीगत लेखाशीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा। यह विशेष तौर पर इस तथ्य के कारण है कि पूँजीगत संपत्तियाँ सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की पुस्तकों में अभिलेखित की जाती हैं न कि सहायता अनुदान प्रदान करने वाली सरकार की।

शासकीय लेखांकन नियमों के अंतर्गत मुख्य कार्य पर किया गया व्यय पूँजीगत अनुभाग में दर्ज किया जाता है तथा लघु कार्य पर किया गया व्यय राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाता है। तथापि राज्य

⁵ 22 कार्यशील सा क्षेत्र उ में से 10 लाभ अर्जित कर रहे हैं एवं बाकी तीन सा क्षेत्र उ ने स्थापना से अपने लेखें अंतिमिकृत नहीं किये हैं।

सरकार ने मुख्य निर्माण कार्यों पर हुए ₹ 229.65 करोड़ के व्यय को छः राजस्व लेखाशीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया है। इसके अलावा, ₹ 4.99 करोड़ एवं ₹ 5.32 करोड़ के व्यय में से जो क्रमानुसार लघु निर्माण कार्य एवं रखरखाव पर हुआ था, उसे पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया था (विवरण अध्याय-3 के प्रस्तर 3.3.3 में है)।


तालिका-2.29 राज्य द्वारा सहायता अनुदान को राजस्व की बजाय पूँजीगत व्यय में वर्गीकृत करने की सीमा पर प्रकाश डालती है। **चार्ट-2.18** वर्ष 2015-2020 के दौरान भा स ले मा-2 का पूरी तरह से अनुपालन न किए जाने के प्रभाव को इंगित करता है क्योंकि अवधि के दौरान राजस्व घाटे को कम करके दिखाया गया तथा पूँजीगत व्यय को उस सीमा तक अधिक दिखाया गया था।

तालिका-2.29: भा स ले मा-2 के गैर-अनुपालन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत व्यय	4,217	4,954	5,914	6,184	5,414
सहायता अनुदान को पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया	55	138	48	47	46
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान की बुकिंग की प्रतिशतता	1.30	2.79	0.81	0.76	0.85
राजस्व घाटा (-)/राज्य का अधिशेष (+)	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136
वास्तविक राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+), यदि सहायता अनुदान से व्यय को राज्य के रूप में माना जाता है	(-) 1,907	(-) 521	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182

चार्ट-2.18: वास्तविक राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)



(v) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य सरकार ने बहुत संस्थाओं/संगठनों को ऋण प्रदान किए हैं। **तालिका-2.30**, 31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों 2015-16 से 2019-20 तक लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ब्याज की प्राप्ति तथा भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.30: 2015-20 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,046.36	1,596.45 ⁶	1,726.65	1,769.97	1,926.54
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	83.14	165.05	76.83	183.48	125.78
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	27.20	34.85	33.51	26.91	18.92
लंबित ऋण का समापन बकाया	1,102.30	1,726.65	1,769.97	1,926.54	2,033.40
निवल जमा	55.94	130.20	43.32	156.57	106.86
प्राप्त ब्याज	0.14	0.17	0.08	1.13	25.65
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	0.01	0.01	0.005	0.06	1.33
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.19	8.91	8.27	8.15	7.26
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्त के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.18	8.90	8.27	8.09	5.93

31 मार्च 2020 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,033.40 करोड़ थी। ऋणों के संवितरण की धनराशि 2015-16 में ₹ 83.14 करोड़ से 51.29 प्रतिशत बढ़ कर वर्ष 2019-20 में ₹ 125.78 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता कृषि एवं संबन्धित सेवा ₹ 110.00 करोड़ (87.45 प्रतिशत) के बाद ऊर्जा क्षेत्र ₹ 15.42 करोड़ (12.26 प्रतिशत) था।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2018-19 में ₹ 26.91 करोड़ से ₹ 7.99 करोड़ घट कर वर्ष 2019-20 में ₹ 18.92 करोड़ हो गई। यद्यपि, इस संबंध में वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक ब्याज प्राप्ति काफी बढ़ गयी।

कुल लंबित ऋणों की जाँच से पता चला है कि पिछले पाँच वर्षों में (मार्च 2020 तक) चार क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जैसाकि तालिका-2.31 में विवरण दिया गया है और एक क्षेत्र (कृषि एवं संबन्धित गतिविधियाँ) को आंशिक पुनर्भुगतान के बावजूद अतिरिक्त ऋणों को दिया गया था। विगत वर्षों में संपूर्ण लंबित बकाया बढ़ा है।

तालिका-2.31: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	47.89	47.89	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	797.92	895.31	899.79	1,011.24	1,119.57
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	503.68 [#]	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	136.11	140.29	148.53	153.80	153.80
	योग	1,005.12	1,606.64	1,618.84	1,729.76	1,838.09

[#]उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के बीच अनावंटित बकायों के विभाजन के कारण ₹ 494.15 करोड़ से बढ़ा हुआ।

2015-16 से 2019-20 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 634.28 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया। इस अवधि में ₹ 141.39 करोड़ की धनराशि का पुनर्भुगतान किया। प्रत्येक वर्ष

⁶ मुख्य शीर्ष 6551 के अंतर्गत अनावंटित शेष से उत्तराखण्ड राज्य को ₹ 494.15 करोड़ की राशि आवंटित करने के कारण यह पिछले वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

में वसूली, वर्ष की शुरुआत में बकाया राशि से 2.41 प्रतिशत घट गयी और वर्ष 2015-16 के दौरान अग्रिम दी गई राशि 2019-20 में एक प्रतिशत से भी कम हो गयी। चालू वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 18.92 करोड़ थी जो 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण (₹ 2,033.40 करोड़) का 0.93 प्रतिशत थी।

चूँकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाते सही स्थिति दर्शाते हैं इन्हें राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करने पर विचार कर सकती है।

(vi) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। आगे, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक लोक निर्माण के प्रभागों में 210 अपूर्ण/जारी परियोजनाएँ चल रही थीं। 31 मार्च 2020 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की समय रूपरेखा तालिका-2.32 में दी गयी है।

तालिका-2.32: 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्ष-वार समय रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय स्थिति (प्रतिशत में)
2014-15 तक	33	208.02	199.44	95.88
2015-16	30	245.77	199.66	81.24
2016-17	61	202.04	115.09	56.96
2017-18	55	134.49	58.72	43.66
2018-19	21	55.13	25.79	46.78
2019-20	02	5.51	2.67	48.46
स्वीकृति दिनांक उपलब्ध नहीं है	08	35.46	24.71	69.68
योग	210	886.43	626.08	70.63

स्रोत: वित्त लेखे।

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभों से लंबे समय तक वंचित रखता है। इन सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके।

(vii) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या संवैधानिक और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। तालिका-2.33 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.33: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	2	30.00	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	2	292.03	5	364.55
4.	पर्यटन	1	0	3	120.00
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
योग		11	406.43	13	665.81

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects>)

2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने व्यय को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करने के लिए कदम बढ़ाये। अगर आवंटन संबन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है तो निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय का एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ी होती है। इन घटकों के कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.34 में राज्य सरकार की राजस्व प्राथमिकता का विशेष श्रेणी के राज्यों (एस सी एस) से विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय एवं पूँजीगत व्यय का, वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए, 2019-20 के दौरान तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.34: 2015-16 और 2019-20 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य/ कु व्य
2015-16 में औसत (अनुपात)							
एस सी एस	24.58	36.25	30.10	66.34	13.96	18.32	5.95
उत्तराखण्ड	15.46	39.40	26.68	66.08	15.40	18.01	4.83
2019-20 में औसत (अनुपात)							
एस सी एस	23.02	35.42	28.77	64.20	14.08	17.42	6.19
उत्तराखण्ड	15.14	36.99	21.54	58.53	14.10	19.76	5.22

कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूँजीगत व्यय।

2019-20 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2015-16 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है-

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2015-16 की तुलना में 2019-20 में 0.32 प्रतिशतता अंक कम था।
- 2019-20 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय 2015-16 की तुलना में 7.55 प्रतिशतता अंक कम था।
- 2015-16 की तुलना में 2019-20 में कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 2.41 प्रतिशतता अंक कम था।

- 2015-16 की तुलना में 2019-20 में कुल व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 5.14 प्रतिशतता अंक कम था।
- कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का अनुपात 2015-16 की तुलना में 2019-20 में 1.30 प्रतिशतता अंक कम था।


2015-16 के साथ 2019-20 में एस सी एस के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित दर्शाया:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय (कु व्य) दोनों वर्षों के दौरान एस सी एस के औसत से काफी कम रहा।
- 2015-16 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय एस सी एस के औसत से थोड़ा कम था। हालाँकि यह 2019-20 में काफी कम था।
- 2015-16 एवं 2019-20 में एस सी एस के औसत की तुलना में राज्य में कुल व्यय के अनुपात में समाजिक क्षेत्र व्यय उच्चतर था।
- राज्य में आर्थिक क्षेत्र व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक व्यय एस सी एस की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी और 2015-16 एवं 2019-20 में भी पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात एस सी एस के औसत से अधिक था।
- शिक्षा क्षेत्र में, 2015-16 में राज्य में कुल व्यय के अनुपात के रूप में व्यय एस सी एस के औसत से कम था। हालाँकि, यह 2019-20 के दौरान एस सी एस के औसत से काफी ऊपर था।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत व्यय, कुल व्यय के अनुपात में 2015-16 और 2019-20 के दौरान एस सी एस के औसत से कम था।

वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.19 में नीचे दिया गया है।

चार्ट-2.19 वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



2.8 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं वितरण के कुछ लेन देनों के संदर्भ में जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं है। यहाँ सरकार इसके लिए एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में घटक वार निवल बकाया (2015-16 से 2019-20) नीचे तालिका-2.35 में दिया गया है।

तालिका-2.35: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि		477.74	412.69	619.47	889.86	665.79
जे. आरक्षित निधि	(अ) ब्याज धारक आरक्षित निधियाँ	128.23	(-) 135.69	109.77	112.77	2,759.12
	(ब) ब्याज न देने वाली आरक्षित निधियाँ	55.14	59.05	(-) 4.7	(-) 1.23	149.48
	आर एफ से निवेश	0	0	0	0	(-) 150
	योग	183.37	(-) 76.63	105.07	111.54	2,758.60
के. जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज धारक जमा निधियाँ	93.11	41.48	0.58	53.02	(-) 2.77
	(ब) ब्याज न देने वाली जमा निधियाँ	45.73	(-) 176.76	718.09	(-) 64.08	504.35
	(स) अग्रिम	(-) 0.49	(-) 0.03	0	0	0
	योग	138.35	(-) 135.31	718.67	(-) 11.06	501.58
एल. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	121.91	180.11	122.44	102.82	(-) 124.82
	(ब) अन्य लेखे*	254.52	870.19	607.90	70.26	(-) 1,039.63
	(स) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	(-) 0.04	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	0.04
	(द) विविध	0	0	0	0	0
	योग	376.39	1,050.29	730.33	173.07	(-) 1,164.41
एम. प्रेषण	(अ) मनी ऑर्डर, और अन्य प्रेषण	(-) 0.72	1.64	15.89	(-) 4.5	(-) 4.38
	(ब) अंतर- सरकारी समायोजन लेखे	34.01	(-) 4.99	15.48	683.65	3.76
	योग	33.29	(-) 3.35	31.37	679.15	(-) 0.62
समग्र योग		1,209.14	1,247.69	2,204.91	1,842.56	2,760.94


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर।

2015-20 में पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा के अवशेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.20 में दिया गया है।

चार्ट-2.20: लोक लेखा अवशेषों की संरचना में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



* 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के उचंत व विविध में नकद अवशेष निवेश खाते सम्मिलित हैं।

जैसाकि तालिका-2.35 में दर्शाया गया है, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक घटक वार निवल-लोक लेखा अवशेष में अस्थिर प्रवृत्ति दिखाया है। निवल लोक लेखा अवशेष 2015-16 में ₹ 1,209.14 करोड़ से बढ़कर 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः ₹ 1,247.69 करोड़ एवं ₹ 2,204.91 करोड़ हो गया था। 2018-19 के दौरान बकाया कम होकर ₹ 1,842.56 करोड़ हो गया था। हालाँकि, चालू वर्ष के दौरान निवल बकाया आरक्षित में निवल वृद्धि के कारण ₹ 2,760.94 करोड़ बढ़ गया था।

आगे विश्लेषण में पाया गया कि विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में चालू वर्ष में प्रेषण के तहत कम प्राप्तियों और भविष्य निधि (₹ 212.78 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण 2019-20 के दौरान निवल लघु बचतों, भविष्य निधि आदि में गिरावट थी। ऐसे ही शीर्ष 8121-129-“राज्य वनीकरण क्षतिपूरक कोष”, में ₹ 2,675.09 करोड़ दर्ज होने के कारण निवल आरक्षित निधि में एक बड़ी उछाल आयी थी। वर्ष के दौरान जमा लेखा शीर्ष के अंतर्गत कम वितरण होने के कारण, जमा के अंतर्गत निवल बकाये गत वर्ष की अपेक्षा बढ़े।


2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार आठ आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से दो निधियाँ ब्याज सहित (₹ 3,253.55 करोड़ क्रेडिट) और छः आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,417.13 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन आठ निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय हैं और छः निधियाँ (शेष ₹ 4,707.16 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें से ₹ 1,338.62 करोड़ (28.44 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.21 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.21: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का अवशेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.36 में दिया गया है।

तालिका-2.36: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2020 तक राशि (₹ करोड़ में)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)
2.	विद्युत् विकास निधि	36.49 (डेबिट)
योग		36.48 (डेबिट)

2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी

आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योगदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 को स्थानांतरित करना है। वर्ष के दौरान व्यय किए गए खर्च मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को लोक खाते को डेबिट के साथ व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को कौंट्रा डिडकट डेबिट करके पर समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण तालिका-2.37 के साथ एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.38 में दिये गये हैं।

तालिका-2.37: एस डी आर एफ को भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2019-20 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	101-आरक्षित निधि और जमा खातों में स्थानांतरण	425.97
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-) 170.97
	उप-योग	255.00
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	59.98
	800-अन्य व्यय	43.31
	उप-योग	103.29
समग्र योग		358.29

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.38: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2019)	केंद्र द्वारा योगदान	राज्यांश	योग	निर्धारित राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	फंड में शेष राशि (31 मार्च 2020)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
494.43	229.50	25.50	749.43	170.97	578.46	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

2.8.2.3 गारंटी मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा लिए गए उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी

गारंटियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधियों के संचय का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान हेतु ही किया जाना है न कि संस्थाओं, जिनकी तरफ से गारंटी दी गई है, के भुगतान हेतु।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को बढ़ती हुई गारंटियों के नतीजेसार माँगी जा सकने वाली गारंटियों की राशि और बकाया माँगी गयी गारंटियों की कम से कम 1/5वीं धनराशि का योगदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2019-20 के दौरान ₹ 0.32 करोड़ की गारंटी माँगी गई थी। वर्ष के दौरान समेकित निधि से गारंटी मोचन निधि में किसी राशि का योगदान नहीं किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो निधि का प्रशासक भी है, लंबित गारंटियों जिसका पूरी तरह पालन किया गया था, को 5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ानी है। जैसे कि लंबित गारंटी ₹ 893.12 करोड़ के सापेक्ष निधि का कोष ₹ 77.44 करोड़ (मूलधन + ब्याज) था। ₹ 8.93 करोड़ की प्राप्त करने योग्य गारंटी कमीशन शुल्क के सापेक्ष ₹ 4.45 करोड़ प्राप्त हुए जिसके फलस्वरूप ₹ 4.48 करोड़ का कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2016 के अनुसार प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क को गारंटी मोचन निधि के अंतर्गत लोक लेखे में जमा कराना होता, जबकि राज्य सरकार इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में मान रही थी। इसके फलस्वरूप राजस्व घाटे के साथ-साथ उस सीमा तक राजकोषीय घाटा भी कम आँका गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकार भविष्य में, प्राप्त करने योग्य गारंटी कमीशन शुल्क को लोक लेखे में दर्ज करने के लिए सहमत हुई। विगत पाँच वर्षों के दौरान गारंटी मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत आय 7.66 प्रतिशत थी। गारंटी मोचन निधि का विवरण तालिका-2.39 में दिया गया है।

तालिका-2.39: गारंटी मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2019)	निधि में जमा (योगदान और ब्याज)		निधि से बाहर भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई राशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2020)
	वांछित स्तर का योगदान (31 मार्च 2019 को लंबित गारंटियों का 5 प्रतिशत)	वास्तविक किया गया योगदान				
71.24 (35.00 मूलधन एवं 36.24 ब्याज)	44.66	शून्य 6.20 (ब्याज)	शून्य	77.44 (35.00+ 42.44)	77.44	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8.2.4 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि पर प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए पैसों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा मामले तथा आकस्मिक मामलों पर व्यय करने हेतु, की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया⁷ को लागू नहीं किया है। यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के तौर पर ₹ 2,675.09 करोड़ स्थानांतरित किए हैं। यह धनराशि 8121-129 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के अंतर्गत दर्ज की गई है।

2.8.3 आरक्षित निधियों एवं ब्याज सहित जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना

लोक लेखे के जे एवं के क्षेत्रों के अंतर्गत क्रमशः ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ एवं ब्याज सहित जमा ₹ 43.26 करोड़ की ब्याज की देनदारियों में वार्षिक देयता है जिसे राज्य सरकार को निर्वहन करने की आवश्यकता है। आरक्षित निधियों और जमाओं के ऐसे बकायों पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। 01 अप्रैल 2019 को देय ब्याज का विवरण नीचे तालिका-2.40 में दिया गया है।

तालिका-2.40: आरक्षित निधि और जमाओं के कारण ब्याज की अर्निवाहित देयता का विवरण

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2019-20 की शुरुआत में अवशेष	बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
जे-आरक्षित निधि	(अ) आरक्षित निधि ब्याज (एस डी आर एफ सहित)	5.44 प्रतिशत (डब्लू एवं एम ब्याज दर का औसत)	494.43	26.90
के-जमा और अग्रिम	(ब) जमा करने वाले ब्याज (सी पी एस मुख्य शीर्ष-8342-117 को छोड़कर)	5.44 प्रतिशत (डब्लू एवं एम ब्याज दर का औसत)	300.71	16.36
कुल ब्याज				43.26

2.9 ऋण प्रबंधन


ऋण प्रबंधन वांछित धनराशि जुटाने हेतु सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जो जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं किसी अन्य प्रभुत्व ऋण प्रबंधन के लक्ष्यों, जिसे सरकार ने अधिनियमित किया हो या वार्षिक बजट के द्वारा घोषणा की हो, को प्राप्त करना है।

⁷ यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य लेखाशीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा और तब संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटा दर्ज कर लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा।

2.9.1 सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति

2019-20 के अंत में राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण ₹ 65,982 करोड़ थे। 2015-16 से 2019-20 तक वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.22 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.22: सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति



2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखों के अंतर्गत देनदारियाँ। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.41 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.41: घटकवार ऋण प्रवृत्ति

		(₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण		39,069	44,583	51,831	58,039	65,982
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	29,292	34,555	40,286	45,443	49,437
	भारत सरकार से ऋण	544	655	729	790	813
लोक लेखा देयताएँ		9,233	9,373	10,816	11,806	15,732
बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)		16.69	14.11	16.26	11.98	13.69
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)		1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895	2,53,666
ऋण/स रा घ उ (प्रतिशत)		22.05	22.85	23.26	23.60	26.01
कुल ऋण प्राप्तियाँ		12,516	15,548	20,124	22,225	22,194
कुल ऋण पुनर्भुगतान		6,965	10,034	12,875	16,017	14,251
कुल ऋण उपलब्ध		5,551	5,514	7,249	6,208	7,943
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)		55.65	64.54	63.98	72.07	64.21


स्रोत: वित्त लेखे।

2.9.3 वर्ष 2019-20 के अंत में कुल बकाया ऋणों का घटक-वार विवरण

वर्ष 2019-20 के अंत में राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण ₹ 65,982 करोड़ थे। चार्ट-2.23 में घटक-वार ऋणों का विवरण दिया है।

चार्ट-2.23: वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)




आंतरिक ऋण, जोकि प्रथम दृष्टया बाजार से लिए गए उधार हैं, कुल बकाया ऋणों का 75 प्रतिशत है।

2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखा की ऋण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.24 में दर्शाई गई है।

चार्ट-2.24: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




2.9.5 लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

2015-16 से 2019-20 के दौरान आन्तरिक ऋणों का प्राप्त करना और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.25 में दी गई है।

चार्ट-2.25: लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक रचनात्मक बदलाव आया है जैसाकि तालिका-2.42 में दिखाया गया है।

तालिका-2.42: राजकोषीय घाटा और उसके वित्त पोषण प्रतिरूप के घटक


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अ	राजकोषीय घाटे के अपघटन (1 से 4)	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935	(-) 7,320	(-) 7,657
1.	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,217	(-) 4,954	(-) 5,914	(-) 6,184	(-) 5,414
3.	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 56	(-) 130	(-) 43	(-) 156	(-) 107
ब	वित्तीय घाटे का वित्त पोषण पैटर्न					
1.	निवल लोक ऋण	4,802	5,373	5,806	5,217	4,017
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+) 2,730	(+) 5,081	(+) 5,830	(+) 5,289	(+) 4,500
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 66	(+) 111	(+) 74	(+) 61	(+) 23
स.	एन एस एस एफ को जारी किया गया निवल स्पेशल सिक्योरिटीज	(+) 1,467	(-) 348	(-) 374	(-) 411	(-) 781
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण	(+) 539	(+) 529	(+) 276	(+) 278	(+) 275
2.	निवल पब्लिक लेखे	1,209	1,248	2,204	1,843	2,761
अ.	निवल लघु बचत, भ नि आदि	(+) 478	(+) 413	(+) 619	(+) 890	(+) 666
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(+) 138	(-) 135	(+) 719	(-) 11	(+) 501
स.	निवल उचंत और विविध	(+) 377	(+) 1,050	(+) 730	(+) 173	(-) 1,164
द.	निवल प्रेषण	(+) 33	(-) 3	(+) 31	(+) 679	(-) 01
ड.	निवल रिजर्व फंड	(+) 183	(-) 77	(+) 105	(+) 112	(+) 2,759
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(-) 195	(+) 167	(-) 127	(+) 110	(+) 68
4.	नकद शेष राशि में वृद्धि	(+) 309	(-) 1,321	(+) 52	(+) 150	(+) 811

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार से लिए गए उधार (59 प्रतिशत) आरक्षित निधि (36 प्रतिशत) और लघु बचत एवं भविष्य निधि (9 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.26 में दिया गया है जबकि तालिका-2.43 में राजकोषीय घाटे के घटकों के अन्तर्गत प्राप्ति और संवितरण को दर्शाया गया है।

चार्ट-2.26: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण



तालिका-2.43: राजकोषीय घाटे को पूरा करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1.	बाजार उधारियाँ	5,100	600	4,500
2.	भारत सरकार से ऋण	70	47	23
3.	एन एस एस एफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	00	781	(-) 781
4.	वित्तीय संस्थानों से ऋण	7,943	7,668	275
5.	छोटे बचत, भ नि इत्यादि	1,976	1,310	666
6.	जमा और अग्रिम	4,024	3,523	501
7.	उचंत और विविध	36,228	37,392	(-) 1,164
8.	प्रेषण	22	23	(-) 1
9.	आरक्षित कोष	3,080	321	2,759
10.	आकस्मिक निधि	94	26	68
11.	कुल मिलाकर कमी	58,537	51,691	6,846
12.	नकद शेष में वृद्धि/कमी	22,449	21,638	811
13.	सकल राजकोषीय घाटा	80,986	73,329	7,657

2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान


ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान एवं ऋण भुगतान की प्रतिवद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.44 और चार्ट-2.27 में दी गयी है।

तालिका-2.44: लोक ऋण की पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	धनराशि			लोक ऋण की प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2020-21 तक	0-1 वर्ष	1,512.43	88.49	1,600.92	3.19
2021-22 एवं 2022-23 के बीच	1-3 वर्ष	4,381.95	112.12	4,494.07	8.94
2023-24 एवं 2024-25 के बीच	3-5 वर्ष	6,131.96	115.89	6,247.85	12.43
2025-26 एवं 2026-27 के बीच	5-7 वर्ष	10,555.00	91.67	10,646.67	21.19
2027-28 से	7 वर्ष से ऊपर	22,516.17	404.70	22,920.87	45.61
अन्य	उपलब्ध नहीं	4,339.17		4,339.17	8.64
योग		49,436.68	812.87	50,249.55	100

चार्ट-2.27: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2020 को लोक ऋणों की लम्बित पूँजी की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लम्बित लोक ऋण ₹ 50,249.55 करोड़ में से 45.75 प्रतिशत (₹ 22,989.51 करोड़) अगले सात वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 45.61 प्रतिशत (₹ 22,920.87 करोड़) ऋण सात वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बाजार से उधार, नाबार्ड से ऋण, केन्द्र सरकार की एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों से बने आन्तरिक ऋण कुल बकाया लोक ऋण का 99.03 प्रतिशत (₹ 48,958.43 करोड़) है। 10 वर्ष की अवधि में बकाया बाजार ऋण राशि तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण चार्ट-2.28 में नीचे दिया गया है।



नोट: 31 मार्च 2020 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज उस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगणित किया गया है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों यानि 2022-23 तक बाजार ऋण का ₹ 4,141.52 करोड़ और ब्याज के ₹ 8,535.33 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों 2024-25 तक, मूलधन ₹ 4,900 करोड़ और ब्याज ₹ 4,922.24 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले पाँच वर्षों 2024-25 तक ₹ 4,499.82 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

2025-26 से 2029-30 की अवधि के दौरान, ₹ 27,410 करोड़ ऋण के और ₹ 6,640.77 करोड़ का ब्याज भुगतान योग्य होगा। ऐसे ही वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि में लगभग ₹ 6,810.15 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य को करना होगा। ब्याज सहित चालू वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान ₹ 3,256.55 करोड़ है।

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय की चालू दरों पर भविष्य में पुनर्भुगतान देनदारियाँ काफी हद तक बढ़ जायेगी। राज्य भविष्य में काफी हद तक राजस्व घाटे में रहेगा। इस प्रकार राज्य को अपनी ऋण देयता को पूरा करने के लिए अधिक उधार का सहारा लेना होगा।

2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता को वर्तमान और भविष्य में अपनी ऋण सेवाओं के लिए राज्य की क्षमता को परिभाषित किया गया है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भविष्य को देखते हुये आसान आकलन छूट जाता है। यह एक "जात अज्ञात पर सूचित न्याय" है। तथापि, लोक ऋण का स्तर जितना उच्च होगा राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर होने की उतनी ही अधिक संभावना

है क्योंकि उच्च ऋण को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक आधिक्य की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तर का ऋण बहुत सी चुनौतियाँ प्रदान करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण सेवा हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक हैं; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण ब्याज दर और विकास में झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः उच्चतर उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए यह एक रोलओवर संकट (यानि निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना) है।
- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण हैं, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के प्रति कमजोरी इसके प्रोफाईल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा रोलओवर (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि वह विस्फोट ना करे और सरकारें कर बढ़ाने या व्यय घटाने के लिए बाध्य न हों।

2.9.8 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति

2015-16 की शुरुआत से पाँच वर्षों की अवधि के संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता तालिका-2.45 एवं चार्ट-2.29 में दर्शित है।

तालिका-2.45: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


ऋण स्थिरता के संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण	29,836	35,210	41,015	46,233	50,250
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	19.18	18.01	16.49	12.72	8.69
राज्य का स रा घ उ	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895	2,53,666
स रा घ उ की वृद्धि दर	9.74	10.14	14.20	10.35	3.16
ऋण/स रा घ उ औसत	16.84	18.04	18.41	18.80	19.81
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.53	9.67	8.97	8.78	7.81
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	11.02	12.64	12.61	12.27	12.27
ऋण पुनर्भुगतान की ऋण प्राप्तियों से प्रतिशतता [#]	29.38	17.35	22.87	28.27	34.66
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण [*]	2,462	2,227	2,388	1,388	247
निवल ऋण, ऋण प्राप्तियों के अनुसार प्रतिशत के रूप में उपलब्ध	36.22	34.26	31.73	19.08	4.02
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा)	32,948	14,805	2,10,560	69,741	(-) 2,36,816
कुल उधार निधि पर ऋण और उसके ऊपर ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	63.78	65.74	68.27	80.92	95.98

^{*}राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान।

[#]अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर।

चार्ट-2.29: ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



#अर्थोपाय अंशिम को छोड़कर।

जैसाकि तालिका-2.45 में देखा जा सकता है पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 16.84 से 19.81 प्रतिशत के बीच रहा जोकि बजट में निर्धारित लक्ष्य 24.44 प्रतिशत से कम था। ब्याज भुगतान का बोझ राजस्व प्राप्तियों के 11.02 से 12.64 प्रतिशत था।

तथापि, 2015-16 से 2019-20 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, लम्बित लोक ऋण 14.95 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़े हैं, जबकि स रा घ उ का विकास सी ए जी आर का 9.46 प्रतिशत की दर से हुआ है।

2.9.9 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप में पूँजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों पर किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.46 एवं चार्ट-2.30 में नीचे दिखाई गई है।


तालिका-2.46: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशत)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशत)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशत)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशत)
2015-16	6,798	1,997 (29)	4,217 (62)	56 (1)	528 (8)
2016-17	6,501	1,128 (17)	4,954 (76)	130 (2)	289 (5)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	ला न	ला न
2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	ला न	ला न
2019-20	5,834	2,131 (37)	3,703 (63)	ला न	ला न

*निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ। ला न - लागू नहीं।

चार्ट-2.30: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



- वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान, कुल उधारियों में से क्रमशः ₹ 528 करोड़ एवं ₹ 289 करोड़ राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये गये थे।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य ने कुल उधारियों को पूर्व के मूलधन को चुकाने तथा पूँजीगत व्यय पर उपयोग किया।

2.10 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

गारंटी राज्य की समेकित निधि पर, उधार लेने वाला जिसके लिए गारंटी दी गई है की चूक के कारण, आकस्मिक दायित्व हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत तय सीमा से अधिक किसी भी धनराशि पर मौजूदा नियमों के तहत गारंटी प्रदान नहीं करेगी। तथापि, राज्य विधान सभा (संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर राज्य सरकार अधिकल्प सीमा, जिसकी गारंटी दी जा सके, निर्धारित कर सकती है) ने संबन्धित प्रावधान को संसोधित एफ आर बी एम अधिनियम में दिसम्बर 2016 में ही कर दिया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार तालिका-2.47 एवं चार्ट-2.31 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिस पर गारंटी दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित गारंटी का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.47: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

गारंटियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
31 मार्च को गारंटी की बकाया राशि	1,743	1,248	1,499 [#]	893 [#]	582
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया गारंटी। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई गारंटी उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	915	295	251	निरंक	402
वर्ष के दौरान विचलन	1,004	790	75	188	713

(₹ करोड़ में)

चार्ट-2.31: लंबित गारंटियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

#पूर्व वर्ष के अंतिम अवशेष से भिन्न है क्योंकि बजट दस्तावेज में प्रा शे ₹ 1,311 करोड़ लिया गया था।

31 मार्च 2020 को लम्बित गारंटियों की धनराशि ₹ 582 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 352 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 58 करोड़) तथा अन्य (₹ 172 करोड़) शामिल है। 31 मार्च 2020 को कुल लम्बित गारंटी ₹ 582 करोड़ थीं जोकि वर्ष के दौरान स रा घ उ की 0.23 प्रतिशत है तथा ये एफ आर बी एम की सीमा के अन्दर है। चार्ट-2.32 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.32: 31 मार्च 2020 के अंत में गारंटियाँ प्राप्त करने वाले निकाय



(₹ करोड़ में)

स्रोत: वित्त लेखे।

₹ 0.32 करोड़ धनराशि की गारंटी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम से सम्बन्धित है, वर्ष के दौरान लागू की गई। गारंटी की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणियों में भा स ले मा-1 की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। “गारंटी अधिनियम 2016 पर उत्तराखण्ड सिलींग” की आवश्यकतानुसार गारंटी कमीशन को निधि कोष में प्राप्त करना चाहिए, राज्य सरकार ने ₹ 4.45 करोड़ गारंटी मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के तहत गारंटी कमीशन के रूप में प्राप्त किये।

2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद राशि रखनी होगी। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (डब्लू एम ए)/विशेष वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (एस डब्लू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्लू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 1 अप्रैल 2019 से सामान्य डब्लू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 505 करोड़ है और बैंक द्वारा एस डब्लू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार बिना किसी अग्रिम के 226 दिनों तक न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया बैंक में रखा था और 55 दिन सामान्य डब्लू एम ए, 83 दिन एस डब्लू एम ए तथा दो दिन ओ डी से धन प्राप्त किया।

2.11.1 नगद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नगद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.48 में दिया गया है।

तालिका-2.48: नगद बकाया और उनका निवेश

	(₹ करोड़ में)	
	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
अ. सामान्य नगद बकाया		
ट्रेजरी में शेष	0.00	0.00
रिजर्व बैंक में जमा	1,158.50	595.25
अन्य बैंक में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	1,158.50	595.25
कैश बैलेंस निवेश लेखे में निवेश	247.48	00
योग (अ)	1,405.98	595.25

ब. अन्य नगद बकाया और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे पी डब्ल्यू डी, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधि में निवेश	1,188.62	1,338.62
योग (ब)	1,177.10	1,327.10
योग (अ + ब)	2,583.08	1,922.35
अर्जित ब्याज	10.49	21.73

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नगद बकाया 2018-19 में ₹ 2,583.08 करोड़ से ₹ 660.73 करोड़ (26 प्रतिशत) घटकर 2019-20 में ₹ 1,922.35 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः रिजर्व बैंक में जमा (₹ 563.25 करोड़) में कमी तथा नगद बकाया निवेश लेखे में निवेश (₹ 247.48 करोड़) के कारण हुआ।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नगद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान ₹ 21.73 करोड़ अर्जित किए।

निर्धारित निधियों में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,338.62 करोड़ में से ₹ 1,303.62 करोड़ समेकित सिंकिंग निधि तथा ₹ 35 करोड़ गारंटी मोचन निधि में वर्ष के अन्त में निवेश किये।

पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक राज्य के नगद शेष निवेश को तालिका-2.49 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.49: नगद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	592.21	344.74	(-) 247.47	37.56
2016-17	344.74	451.51	106.77	24.06
2017-18	451.51	385.49	(-) 66.02	14.05
2018-19	385.49	247.48	(-) 138.01	10.49
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य सरकार के नगद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2016-17 के दौरान निवेश काफी बढ़ गया था तथा फिर धीरे-धीरे कम होता गया और 2019-20 में यह शून्य हो गया।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नगद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा ले और इसे उत्पादक उपयोग में लाये बिना नगद शेष में वृद्धि करे।

2015-20 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और उपलब्ध औसत नगद शेष के बीच तुलना चार्ट-2.33 में दर्शायी गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से ब्याज कम दर पर मिला।


चार्ट-2.33: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नगद शेष



चार्ट-2.34 में वर्ष 2019-20 के दौरान माहवार नगद शेष निवेश लेखा और नगद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.34: 2019-20 के दौरान नगद शेष निवेश लेखा और नगद शेष की माहवार गति

(₹ करोड़ में)



पूर्ववर्ती चार्ट में इंगित है कि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नगद शेष होने के बावजूद एवं उसका उत्पादक उपयोग किये बिना कई बार बाजार ऋणों का सहारा लिया था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5,100 करोड़ बाजार से उठाये। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार के पास माह अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2019 में पर्याप्त नगद शेष था। तथापि, सरकार ने इन माहों में बाजार ऋण उठाया, जो यह इंगित करता है कि उधारों से बचा जा सकता था। आगे, वर्ष 2019-20 के अन्त में, सरकार के पास नगद शेष निवेश लेखे के अन्तर्गत कोई शेष नहीं बचा था।

2.12 निष्कर्ष

- गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में ₹ 493 करोड़ (1.58 प्रतिशत) कमी आई। गत वर्ष की अपेक्षा राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 675 करोड़ कम रहा। स्वयं कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में वर्ष 2015-16 के दौरान 44.16 से वर्ष 2019-20 के दौरान 37.47 तक लगातार गिरावट देखी गई।
- 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 83.89 प्रतिशत (2017-18 में 82.92 प्रतिशत से 2019-20 में 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने अस्थिर प्रवृत्ति प्रस्तुत की। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 59 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 63 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 770 करोड़ की कमी दर्ज की गई और यह राज्य सरकार द्वारा अपने बजट और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में बताए गए प्रक्षेपण से भी काफी कम था।
- राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनमें संचित हानि थी तथा सरकारी निगम एवं कंपनियाँ भी जिन्होंने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था को बजटीय समर्थन दिया था और निवेश किया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टाक कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर औसत लाभ लगभग नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतानित राशि ₹ 18.92 करोड़ थी जो 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण (₹ 2,033.40 करोड़) पर 0.93 प्रतिशत थी।
- 2019-20 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में एस सी एस के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2019-20 के दौरान यह एस सी के औसत से कम था।
- वर्ष 2019-20 के वित्त लेखों के अनुसार 31 मार्च 2020 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 886.43 करोड़ की 210 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं।
- ₹ 8.93 करोड़ प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस के सापेक्ष, ₹ 4.45 करोड़ की प्राप्ति हुई फलस्वरूप ₹ 4.48 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त होने वाली गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटा कम हुआ।

- भविष्य में पुनर्भुगतान देनदारियाँ बहुत बढ़ जाएंगी और राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के विकास की वर्तमान दरों पर, राज्य को भविष्य में पर्याप्त राजस्व घाटा होता रहेगा। इसलिए, राज्य को अपनी ऋण देयता को पूरा करने के लिए उधारी को बढ़ाना पड़ेगा।
- कुल राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात में गत वर्ष की तुलना में 2.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 26.01 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन लक्ष्य 25 प्रतिशत से अधिक था।

2.13 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को अपने स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयत्न करने की आवश्यकता है। लंबित कर दावों को समय पर निपटाने के साथ करों के आकलन में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेत्तर राजस्व में सुधार करना चाहिए;
- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय में वृद्धि कर सकती है, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्योंकि यह परिसंपत्ति आधार को जोड़ता है जो बदले में आर्थिक विकास में योगदान देगा;
- राज्य सरकार, इसके द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है अतः राज्य सरकार ऋणों और अग्रियों को अनुदान के रूप में लेखांकित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखे सही स्थिति दर्शाते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के तौर पर दर्ज करने हेतु विचार कर सकती है;
- राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे एस सी एस की औसत के बराबर लाया जा सके;
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो; तथा
- राज्य सरकार गारंटी कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे गारंटी मोचन निधि में जमा कर सकती है।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन


अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया और आवंटित प्राथमिकताओं, अनुपूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित, की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक कार्यवाही लोक संसाधन के प्रभावी उपयोग का ब्यौरा देने के लिए एक माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने के साथ प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चित्र में दी गई है:



3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदान की माँग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में अधिदिष्ट है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में रखा जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरण के अनुमान और अनुदान के लिए माँग में व्यय संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाये जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने को छोड़कर राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष में पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु यह प्रावधानित है।


उत्तराखण्ड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं आकलन अधिकारियों द्वारा सामग्री प्रेषित की जाती है, इस प्रकार आकलनों और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरण के अनुमानों का निपटारा करें।
- राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से व्यय की वैधानिक स्वीकृति, अनुदानों/विनियोगों के लिए वार्षिक बजट और माँगों¹ को प्रस्तुत करके सुनिश्चित करती है।
- वास्तविक बजटीय राशि से अधिक के व्यय को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त माँग/विनियोग दिया जाता है।
- आगे वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहाँ बचत पूर्वानुमानित हैं, से उन इकाइयों जहाँ अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

¹ 2019-20 के अनुदान/विनियोजन के लिए 31 माँगें हैं।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में विहित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों एवं बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य साथ ही आगे दत्तमत/भारित में वर्गीकरण की सारांशीकृत स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/आधिक्य (+)	
दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
42,542.71	8,655.09	34,147.38	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72

स्रोत: विनियोग लेख।

3.2.2 भारत एवं दत्तमत वितरण

2015-16 से 2019-20 तक भारत एवं दत्तमत में कुल वितरण का विभाजन तालिका-3.2 में दिया गया है।

तालिका-3.2: 2015-16 से 2019-20 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2015-16	26,717.83	5,266.16	(-) 4,484.32	(-) 1,012.39
2016-17	28,180.63	9,065.26	(-) 7,595.99	(+) 2,911.80
2017-18	31,742.73	11,702.03	(-) 3,866.04	(+) 4,337.28
2018-19	34,617.56	14,778.29	(-) 4,950.03	(+) 6,308.38
2019-20	34,147.38	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72

स्रोत: विनियोग लेख।

जैसाकि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों में दत्तमत खंड में बचत है। हालाँकि, विगत चार वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2019-20 में भारत खंड में आधिक्य हुआ है।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे कुल योग पर आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को समझने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नि म ले प द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा। राज्य की संचित निधि में से पुनर्विनियोग, पूरक अनुदान अथवा अग्रिम द्वारा अथवा विनियोग से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने को छोड़कर बिना निधियों के प्रावधानों के नई योजना पर कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि दो विभागों ने वर्ष के दौरान बिना बजट प्रावधान के ₹ 29.28 करोड़ का व्यय किया जैसाकि नीचे तालिका-3.3 में वर्णित है:

तालिका-3.3: बिना बजट प्रावधानों के व्यय का सारांश

अनुदान/विनियोग	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/उपशीर्षों की संख्या
17- कृषि कार्य एवं अनुसंधान	4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	22.12	02
29- उद्यान विभाग	4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	7.16	01
	कुल योग	29.28	03

3.3.2 अंतरण विनियोग अधिनियम/अनुदान के लिए विस्तृत माँग द्वारा आदेशित न होना (लोक लेखा/बैंक खातों में)

यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान विनियोग अधिनियम का उल्लंघन करके राज्य की संचित निधि से ₹ 130.80 करोड़ की निकासी की गई और लोक लेखे में स्थानांतरित की गई थी। मुख्य शीर्षवार विवरण जहाँ से निधियों की निकासी की गई और लोक लेखे में जमा किया गया नीचे तालिका-3.4 में दिया गया है:

तालिका-3.4: मुख्य शीर्षवार विवरण जहाँ से निधियों की निकासी की गई और लोक लेखे में जमा किया गया

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष	जमा शीर्ष	राशि
2415	8448	14.05
3604		94.24
4515		22.51
कुल योग		130.80

स्रोत: वी एल सी आँकड़ें।

आँकड़ों के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि संचित निधि से लोक लेखे में अंतरित राशि ग्रामीण विकास/शहरी विकास (₹ 116.75 करोड़) और कृषि शोध एवं शिक्षा (₹ 14.05 करोड़) के लिए थी।

3.3.3 पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में एवं इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

व्यय और प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में विहित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) कहते हैं राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में रखा जाना है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘दत्तमत’ मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व लेखे में व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है, जैसाकि अध्याय-2 में व्याख्या की गई है।

राज्य के वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं। पूँजीगत सम्पदा का अधिग्रहण और अन्य पूँजीगत व्यय के लिए प्रावधान हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। ये वस्तु शीर्ष पूँजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित पूँजीगत मुख्य शीर्षों से एकमत होने चाहिए।

राजस्व प्रकार के व्यय का पूँजीगत व्यय में वर्गीकरण अथवा इसके विपरीत, राजस्व व्यय और राजस्व कमी/आधिक्य में अत्युक्ति/न्यूनोक्ति परिणामित होता है। वर्ष 2019-20 में व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे तालिका-3.5 में दिया गया है:

तालिका-3.5: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान का नाम व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	04,2014	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	0.11	वृहद कार्यों पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
2.	06, 2245		85.17	
3.	22,3054		234.44	
4.	23,2851		6.82	
5.	27,2406		0.82	
6.	29,2401		0.10	
7.	30,2230		1.50	
8.	31,2230		0.77	
9.	31,2406		0.62	
10.	01,4059	राजस्व की पूँजीगत में बुकिंग	1.50	सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य और रखरखाव पर व्यय की पूर्ति पूँजीगत व्यय से की गई।
11.	13,4215		0.95	
12.	13,4217		24.32	
13.	15,4250		24.11	
14.	19,4515		11.21	
15.	23,4859		4.94	
16.	17,4401		0.15	
17.	24,5055		0.30	
18.	27,4406		3.69	
19.	31,4702		0.80	
20.	15,4235		0.05	
21.	17,4401		0.55	
22.	19,4515		0.20	
23.	20,4711		4.38	
24.	25,4408		0.56	
25.	27,4406		4.73	

आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व खंड में ₹ 330.35 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। यह व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज होना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबन्धित था, जो कि सामान्यतः पूँजीगत खंड में दर्ज किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ₹ 82.44 करोड़ का व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज किया गया था। यह व्यय राजस्व खंड में दर्ज होना चाहिए था क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य व रखरखाव से संबन्धित था। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जहाँ स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों पर व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज किया गया हो।

बहिर्गमन गोष्ठी में राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि इस बारे में संशोधनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

आगे, उत्तराखण्ड में राज्य कमेटी द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति उप योजना/आदिवासी उप योजना के लागत/बजट में अनुदान शीर्ष 30 व 31 में क्रमशः अनुसूचित जाति उप योजना एवं आदिवासी उप योजना के लिए विभागों की माँग सम्मिलित है। यह भी पाया गया कि अनुदान के लिए अतिरिक्त माँग में लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक योजना और लघु

शीर्ष 796-आदिवासी उप योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि, बचे हुए अनुदानों में लघु शीर्ष 789 व 796 में कोई आवंटन नहीं किया गया है।

3.3.4 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, जो कि निम्न की पूर्ति के लिए आवश्यक है-

- नए व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता।
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नए व्यय की योजनाएँ” नहीं।
- प्रावधानों का न लिया जाना।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाये जाते हैं और पुनर्विनियोग के द्वारा अधिक्य पूर्ति के लिए अनुदान के अंदर बचत को प्रभावी बनाने की कोई संभावना न हो, संबन्धित विभाग का सचिव वित्त विभाग से अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों में जो कि अप्रत्याशित हैं और जिनमें अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, संविधान के प्रावधानों और संबन्धित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किए जा सकते हैं। ऐसे स्वीकृत अग्रिम अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा विनियमित किये जाते है और आकस्मिकता निधि में क्षतिपूर्ति की जाती है। एक उपशीर्ष से दूसरे में बहुत अधिक पुनर्विनियोग से हमेशा बचना चाहिए। नया व्यय अपरिहार्य है अथवा अनिवार्य रूप से आवश्यक है अथवा यह परिणामी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करेगा अथवा यह लोक राजस्व को बचाने के लिए आवश्यक है अथवा लोक सुरक्षा कार्य के दौरान नए व्यय का सूत्रपात करने के लिए तर्कसंगत कारण है। हालाँकि, ऐसे प्रकरणों में यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता और बजट में दिया गया है। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया मात्र विलोपन को सुधारने और दूरदृष्टि की कमी की परिकल्पना नहीं है।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.6 में दिखाया गया है:

तालिका-3.6: ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1.	04-न्यायिक प्रशासन	213.15	7.14	161.65	58.64
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,105.79	15.63	830.38	291.04

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,204.15	350.27	8,149.42	1,405.00
4.	10-पुलिस व जेल	1,930.53	40.03	1,820.88	149.68
5.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	8,151.25	228.52	7,402.91	976.86
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,251.00	51.24	1,782.43	519.81
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	583.28	98.21	520.75	160.74
8.	14-सूचना	70.73	5.31	56.00	20.04
9.	15-कल्याण	1,748.78	110.44	1,444.05	415.17
10.	16-श्रम एवं रोजगार	386.68	48.54	288.78	146.44
11.	17-कृषि कार्य एवं शोध	1,140.41	66.87	888.89	318.39
12.	18-सहकारी	82.86	4.21	50.94	36.13
13.	19-ग्रामीण विकास	957.48	68.66	683.17	342.97
14.	20-सिंचाई एवं बाढ़	521.80	55.92	423.94	153.78
15.	21-ऊर्जा	13.70	0.50	12.64	1.56
16.	22-लोक निर्माण	841.38	51.90	666.68	226.60
17.	23-उद्योग	239.03	57.16	221.31	74.88
18.	24-परिवहन	107.71	14.65	102.81	19.55
19.	25-खादय	224.32	1.27	48.52	177.07
20.	26-पर्यटन	85.15	13.60	57.52	41.23
21.	27-वन	959.24	71.04	631.28	399.00
22.	28-पशुपालन	324.98	19.04	293.72	50.30
23.	29-उद्यान विकास	313.04	15.82	260.87	67.99
24.	30-अनुसूचित जाति का कल्याण	1,098.05	111.48	829.57	379.96
25.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	339.87	44.46	239.03	145.30
योग		32,894.36	1,551.91	27,868.14	6,578.13
राजस्व (भारित)					
1.	04-न्यायिक प्रशासन	45.19	2.07	36.45	10.81
2.	22-लोक निर्माण	6.46	1.00	4.69	2.77
योग		51.65	3.07	41.14	13.58
पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	03-मंत्री परिषद	45.00	15.00	42.08	17.92
2.	04-न्यायिक प्रशासन	52.10	3.30	26.41	28.99
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	266.96	29.59	90.30	206.25
4.	10-पुलिस व जेल	36.50	17.23	36.07	17.66
5.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	387.73	59.50	257.91	189.32
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	176.72	11.50	97.60	90.62
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,157.50	274.64	1,015.41	416.73
8.	15-कल्याण	88.90	20.46	70.14	39.22
9.	19-ग्रामीण विकास	1,328.44	28.00	1,144.43	212.01
10.	20-सिंचाई एवं बाढ़	476.05	163.94	334.28	305.71
11.	21-ऊर्जा	323.33	28.00	139.12	212.21
12.	22-लोक निर्माण	1,047.00	182.00	848.83	380.17
13.	24-परिवहन	150.50	23.00	30.47	143.03
14.	26-पर्यटन	115.60	17.00	88.69	43.91
15.	27-वन	70.20	20.40	36.76	53.84
16.	28-पशुपालन	25.85	11.78	13.23	24.40
17.	30-अनुसूचित जाति का कल्याण	307.92	18.73	238.00	88.65
18.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	130.07	2.15	97.77	34.45
योग		6,186.37	926.22	4,607.50	2,505.09
महा योग		39,132.38	2,481.20	32,516.78	9,096.80



3.4. किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें वैधानिक प्राधिकार की अग्रिम आवश्यकता है

वर्ष 2019-20 में ऐसा कोई प्रकरण उत्तराखण्ड में प्रकाश में नहीं आया है।

3.4.1 अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग एक अनुदान के अंदर विनियोग की एक इकाई, जहाँ बचत का पूर्वानुमान है से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का स्थानांतरण है। पंद्रह प्रकरण जहाँ अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक है, तालिका-3.7 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-3.7: अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1.	05 निर्वाचन 2015 निर्वाचन 105 लोकसभा चुनाव कराने का व्यय 03- सामान्य निर्वाचन	64.65	11.19	1.50	77.34	67.49	9.85
2.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2245 राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत राहत 80 सामान्य 102 राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ 05 जिला आपात केंद्र का संचालन	1.91	0.12	2.24	4.27	3.11	1.16
3.	10- पुलिस व जेल 2055- पुलिस 001- निर्देश एवं प्रशासन 03- मुख्यालय	47.14	2.61	0.37	50.12	43.76	6.36
4.	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति 2202- सामान्य शिक्षा 02- माध्यमिक शिक्षा 001- निर्देश एवं प्रशासन 03- माध्यमिक शिक्षा की स्थापना	8.78	0.18	0.06	9.02	7.83	1.19
5.	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति 2202- सामान्य शिक्षा 02- माध्यमिक शिक्षा 101- निरीक्षण 03- क्षेत्रीय निरीक्षण	29.19	0.12	0.12	29.43	26.24	3.19
6.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 03- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना	91.45	6.30	15.75	113.50	99.60	13.90
7.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध 105- एलोपैथी 04- मेडिकल कालेज	277.65	18.42	0.20	296.27	234.26	62.01

8.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता का पूँजीगत लेखा 01- जलापूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 01- केन्द्रीय योजना/केंद्र प्रोनिधानित योजना	85.50	--	31.80	117.30	114.76	2.54
9.	20- सिंचाई एवं बाढ़ 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत लागत 01- बाढ़ नियंत्रण 103- सिविल कार्य 01- केन्द्रीय योजना/केंद्र प्रोनिधानित योजना	0	20.00	4.63	24.63	4.63	20.00
10.	20- सिंचाई एवं बाढ़ 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत लागत 01- बाढ़ नियंत्रण 051- निर्माण 98- नाबार्ड वित्तपोषित	40.00	35.00	21.02	96.02	89.96	6.06
11.	22-लोक निर्माण 5054- सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत लागत 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क कार्य 01- सी एस एस	25.00	30.00	20.00	75.00	10.91	64.09
12.	24- परिवहन 5053- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत लागत 02- विमान पत्तन 102- हवाई अड्डा 03- हेलीपैड व हेंगर का निर्माण	2.00	--	3.00	5.00	0.51	4.49
13.	27- वन 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन 02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन 110- वन्य जीवन संरक्षण 01- केन्द्रीय योजना/केंद्र प्रोनिधानित योजना	43.04	12.03	7.60	62.67	38.36	24.31
14.	28-पशुपालन 2403-पशुपालन 101- पशु चिकित्सा एवं पशु स्वस्थ 01- केन्द्रीय योजना/केंद्र प्रोनिधानित योजना	13.18	--	2.06	15.24	11.14	4.10
15.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2403- पशुपालन 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01- सी एस एस	0.72	1.05	0.01	1.78	0.45	1.33

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार 2019-20 में राज्य सरकार ने अनुदान के अंदर ₹ 274.71 करोड़ पुनर्विनियोजित किए। इसमें से ₹ 40.00 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2020) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोग 15 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में (₹ 1.00 करोड़ से अधिक की बचत हो) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन प्रकरणों में बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। हालाँकि, 2019-20 में पूँजीगत से राजस्व और इसके विपरीत तथा दत्तमत से भारित और इसके विपरीत में पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहाँ चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम हो, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतः क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि जो कुछ भी पूर्वाभास हो सके, केवल जहाँ तक उसकी आवश्यकता हो, उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को, आंकलनों की जाँच में, पूर्व वास्तविकताओं के औसत की ज्ञात अथवा यथोचित निकट तथ्यों, जो उस औसत को संशोधित करते हैं उनसे अच्छी तरह परखी और साबित जाँच लगातार लागू करनी चाहिए।

बचत जिसे आदर्श रूप से समय पर समर्पित किया जाना चाहिए, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना हो, उनको जितना शीघ्र संभव हो समर्पण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया तो अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनका वो उपयोग कर सकते थे। समर्पण सामान्यतः मार्च माह में किए जाते हैं और व्यय के आँकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन तथा विगत माह के व्यय की प्रगति को देख कर एक नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित स्तर की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिए।

जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि, जिसे समर्पित किया जा सकता है, का आकलन सावधानी से करना चाहिए। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को जारी करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय लेखों से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। अत्यधिक बचत भी अन्य विभागों को निधियों, जिसे वो प्रयोग कर सकते थे, से वंचित रखते हैं।

अनुदान में बड़ी बचत (₹100 करोड़ से अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.8 में दिया गया है:

तालिका-3.8: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	समर्पण	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1.	6 राजस्व व सामान्य प्रशासन	1,105.79	15.63	1,121.42	830.38	291.04	0.00	291.04
2.	10 पुलिस व जेल	1,930.53	40.03	1,970.56	1,820.88	149.68	91.15	58.53
3.	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	8,151.25	228.52	8,379.77	7,402.91	976.86	6.74	970.12
4.	12 चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2,251.00	51.24	2,302.24	1,782.43	519.81	0	519.81
5.	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	583.28	98.21	681.49	520.75	160.74	0	160.74
6.	15 कल्याण	1,748.78	110.44	1,859.22	1,444.05	415.17	4.48	410.69
7.	16 श्रम व रोजगार	386.68	48.54	435.22	288.78	146.44	24.90	121.54
8.	17 कृषि कार्य व शोध	1,140.41	66.87	1,207.28	888.89	318.39	31.54	286.85
9.	19 ग्रामीण विकास	957.48	68.66	1,026.14	683.17	342.97	69.42	273.55
10.	20 सिंचाई एवं बाढ़	521.80	55.92	577.72	423.94	153.78	0	153.78
11.	22 लोक निर्माण	841.38	51.90	893.28	666.68	226.60	0	226.60
12.	27 वन	959.24	71.04	1,030.28	631.28	399.00	0	399.00
13.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,098.05	111.48	1,209.53	829.57	379.96	0.85	379.11
14.	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	339.87	44.46	384.33	239.03	145.30	1.04	144.26
योग		22,015.54	1,062.94	23,078.48	18,452.74	4,625.74	230.12	4,395.62

पूँजीगत (दत्तमत)								
1.	6 राजस्व व सामान्य प्रशासन	410.25	0	410.25	197.90	212.35	0	212.35
2.	7 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध	266.96	29.59	296.55	90.30	206.25	0	206.25
3.	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	387.73	59.50	447.23	257.91	189.32	0.16	189.16
4.	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,157.50	274.64	1,432.14	1,015.41	416.73	0	416.73
योग		2,222.44	363.73	2,586.17	1,561.52	1,024.65	0.16	1,024.49
महा योग		24,237.98	1,426.67	25,664.65	20,014.26	5,650.39	230.28	5,420.11

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि शासन ने 15 अनुदानों के अंतर्गत 18 प्रकरणों में ₹ 1,426.67 करोड़ का अनुपूरक अनुदान माँगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष ₹ 5,650.39 करोड़ (23.31 प्रतिशत) की बचत थी। शासन इन अनुदानों में मात्र ₹ 230.28 करोड़ ही समर्पित कर सका जो कि इन अनुदानों में हुई बचत का मात्र चार प्रतिशत था। बचत के कारण न तो विनियोग लेखे में दिये गए थे न ही राज्य सरकार द्वारा दिये गए (दिसंबर 2020)। हालाँकि, 2019-20 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों में निरंक व्यय का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

विगत पाँच वर्षों में अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, का विवरण तालिका-3.9 में दिया गया है।

तालिका-3.9: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ (2019-20 में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या व नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	वर्षों की संख्या	बजट 2019-20	विगत पाँच वर्षों का कुल बजट
1.	25 खाद्य (राजस्व दत्तमत)	61.12	54.50	76.71	66.45	21.51	1	225.59	1,430.29
2.	6 राजस्व व सामान्य प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	66.73	8.68	79.95	38.45	48.24	3	410.25	1,676.90
3.	7 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ (पूँजीगत दत्तमत)	77.37	21.21	41.94	51.13	30.45	3	296.55	1,538.46
4.	21 ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	52.12	34.66	41.99	76.95	39.60	3	351.33	1,702.17
5.	24 परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	16.56	36.55	87.36	7.43	17.56	4	173.50	654.40
6.	27 वन (पूँजीगत दत्तमत)	58.37	60.97	106.68	43.98	40.58	2	90.60	568.85

जैसाकि उपरोक्त तालिका-3.9 में वर्णित है, छह अनुदानों में बजट प्रावधान की कम उपयोगिता (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आयी। इसके अतिरिक्त विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि परिवहन विभाग विगत पाँच में से चार वर्षों में बजट आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं था और इस प्रकार एक नियमित चूककर्ता है।

3.5.2 ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका-3.10 में दिया गया है।

तालिका-3.10: मार्च के अंत में ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि
1.	04 न्यायिक प्रशासन	310.44	12.50	322.94	224.51	98.43	7.40
2.	10 पुलिस व जेल	1,967.03	57.26	2,024.29	1,856.95	167.34	91.15
3.	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	8,538.98	288.02	8,827.00	7,660.82	1,166.18	6.90
4.	15 कल्याण	1,837.68	130.90	1,968.58	1,514.19	454.39	4.48
5.	16 श्रम व रोजगार	402.03	48.54	450.57	292.99	157.58	24.93
6.	17 कृषि कार्य व शोध	1,165.41	66.87	1,232.28	926.07	306.21	31.54
7.	18 सहकारी	182.86	4.21	187.07	150.92	36.15	11.81
8.	19 ग्रामीण विकास	2,285.91	96.66	2,382.57	1,827.59	554.98	79.42
9.	28 पशुपालन	350.83	30.81	381.64	306.95	74.69	1.29
10.	31 अनुसूचित जनजातियों का विकास	469.93	46.61	516.54	336.80	179.74	1.04
योग		17,511.10	782.38	18,293.48	15,097.79	3,195.69	259.96

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा वर्गीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण

उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा वर्गीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.2 में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा वर्गीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण




जैसाकि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 21 अनुदानों/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 प्रतिशत से अधिक था। दो अनुदानों/विनियोगों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से कम का उपभोग था और तीन अनुदानों/विनियोगों में उपभोग 90 प्रतिशत से अधिक था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट-3.3 में दिया गया है:

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण




जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 261 करोड़ अभ्यर्पित किए गए, जो कि कुल बचत ₹ 3,225 करोड़ का मात्र 8.09 प्रतिशत है जो कि 31 अनुदानों/विनियोगों में हुई है। कुल अभ्यर्पण ₹ 261 करोड़ में से, ₹ 259 करोड़ (99.23 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल व अनुपूरक) और उसके सापेक्ष उपयोग नीचे चार्ट-3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2015-16 से 2019-20 में बजट उपयोग



3.6 अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धन उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु आवंटित मात्रा से अधिक व्यय किया जाता है तो राज्यपाल ऐसे आधिक्य की माँग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। इसका तात्पर्य है कि एक राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य विधानसभा वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण करे।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमितीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधानसभा द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2019-20 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि खराब योजना का सूचक भी है, जिसे, इस उद्देश्य के लिए किए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए, बचा जा सकता था। वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय का सार तालिका-3.11 में दिया गया है।

तालिका-3.11: वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों से अधिक वितरण का सार

(₹ करोड़ में)

		विभाग / अनुदान का नाम		
		07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध	17- कृषि, निर्माण एवं शोध	25- खाद्य
दत्तमत	पूँजीगत	0.00	12.18	982.58
भारित	पूँजीगत	6,219.72	0	0
अनुदान/विनियोग की संख्या		01	01	01
कुल आधिक्य		6,219.72	12.18	982.58
महायोग		7,214.48		

स्रोत: विनियोग लेखे।

आधिक्य के कारण ना ही विनियोग लेखे में और ना ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए (दिसंबर 2020)।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

2019-20 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण तालिका-3.12 में दिया गया है।

तालिका-3.12: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=8-7	10
1.	07	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	472.84	0	472.84	472.95	0.11	2019-20 के विनियोग लेखे में कारण नहीं दिये गए
2.	07	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	2,815.20	0	2,815.20	9,048.96	6,233.76	
3.	17	4401	फसल व्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	15.00	0	15.00	27.18	12.18	
4.	25	4408	खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूँजीगत परिव्यय	28.50	0	28.50	1,011.08	982.58	
							योग	7,228.63	

स्रोत: विनियोग लेखे।

3.6.3 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था तथा बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए अधिक व्यय राज्य विधायिका की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया भी व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। बजट तैयार करते समय अनुचित अनुमान के कारण लगातार व्ययाधिक्य हो सकता है। तीन अनुदानों में वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान देखे गये निरंतर आधिक्य को नीचे तालिका-3.13 में दिया गया है:

तालिका-3.13: विगत पाँच वर्षों 2015-20 के दौरान तीन अनुदानों में देखे गये अधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	अनुदान संख्या-25: खाद्य					
	कुल अनुदान	16.20	12.07	19.27	19.00	28.50
	व्यय	2,220.03	2,257.87	1,341.66	1,433.04	1,011.08
	आधिक्य	2,203.83	2,245.80	1,322.39	1,414.04	982.58
2.	अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध					
	कुल अनुदान	आधिक्य नहीं	2,032.23	2,640.23	3,182.00	2,876.31
	व्यय		5,218.68	7,651.62	10,230.14	9,096.03
	आधिक्य		3,186.45	5,011.39	7,048.14	6,219.72
3.	अनुदान संख्या-17: कृषि, निर्माण एवं शोध					
	कुल अनुदान	38.08	108.33	23.03	आधिक्य नहीं	25.00
	व्यय	47.45	124.41	26.75		37.18
	आधिक्य	9.37	16.08	3.72		12.18

स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुदान संख्या 7, 17 एवं 25 में 2015-16 से 2019-20 की अवधि में लगातार अधिक्य देखे गये हैं। सरकार द्वारा उपरोक्त के कोई कारण नहीं दिये गए हैं। यह इस तथ्य का संकेतक है कि उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 के अंतर्गत आवश्यक बजट अभ्यास नहीं किया जा रहा है।

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के व्ययाधिक्य का नियमितीकरण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में उल्लेख है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि विनियोग खाते के माध्यम से, उस वर्ष के लिए कुल अंतिम विनियोजन से अधिक किसी भी अनुदान या आरोपित विनियोग के अंतर्गत कोई व्यय किया गया था तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 2005 से 2019 तक विगत वर्षों के ₹ 35,659.13 करोड़ का व्ययाधिक्य अभी तक विधानसभा द्वारा नियमित

नहीं किया गया है। नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य का वर्षवार विवरण तालिका-3.14 में दिया गया है।

तालिका-3.14: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या / विनियोग	अनुदान/विनियोग का विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	6	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	3	07,19 एवं 25	8,464.98	
योग			35,659.13	

स्रोत: विनियोग लेख।

राज्य सरकार द्वारा इसका अभी तक कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिनमें प्रावधान है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून के अंतर्गत किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि राशि को राज्य विधानसभा से नियमित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

3.7 पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान हैं। संपत्ति निर्माण के साथ-साथ संस्था का समर्थन करने के निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

आई जी ए एस-2 के अनुसार, अनुदान के लिए अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह देखा गया है कि पूँजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटे को कम करके दर्शाया जाता है।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.15 में दिया गया है।


तालिका-3.15: पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	55	138	48	47	46
कुल पूँजीगत व्यय	4,217	4,954	5,914	6,184	5,414
पूँजीगत व्यय में स अ का अंश (प्रतिशत में)	1.30	2.78	0.81	0.76	0.86
स अ से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने पर राजस्व घाटे (-)/राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 1,907	(-) 521	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182

पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है:

चार्ट-3.5: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण



राज्य सरकार ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि में सहायता अनुदान को पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप 2015-16 से 2019-20 की अवधि में राजस्व घाटे को 0.76 प्रतिशत से 2.78 प्रतिशत तक कम दर्शाया गया।

बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

एकमुश्त बजट प्रावधान

उत्तराखण्ड राज्य में कोई एकमुश्त बजटीय प्रावधान मौजूद नहीं है।

3.8 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और लोक व्ययों का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुश्रवण तंत्र, कमजोर योजना क्रियान्वयन क्षमताएँ और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर बजटीय आवंटन विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है।

2019-20 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.16 में दी गई है।

तालिका-3.16: 2019-20 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय का प्रकार	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)/ आधिक्य (+)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण			
						धनराशि	प्रतिशत		
मतदेय	I. राजस्व	33,158.08	1,603.17	34,761.25	28,129.01	(-)6,632.24	261.11	8.10	
	II. पूंजीगत	6,571.08	927.56	7,498.64	5,892.58	(-)1,606.06			
	III. ऋण एवं अग्रिम	282.81	0	282.81	125.78	(-) 157.03			
योग	40,011.97	2,530.73	42,542.70	34,147.37	(-) 8,395.33				
भारित	IV. राजस्व	5,774.61	3.17	5,777.78	4,729.78	(-) 1,048.00			
	V पूंजीगत	1.00	0	1.00	0	(-) 1.00			
	VI लोक ऋण पुनर्भगतान	2,876.31	0	2,876.31	9,096.04	(+) 6,219.72			
योग	8,651.92	3.17	8,655.09	13,825.81	(+) 5,170.72				
आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग (यदि कोई हो)	0	0	0	0	0				
महायोग	48,663.89	2,533.90	51,197.79	47,973.18	(-) 3,224.61	261.11			8.10

स्रोत: विनियोग लेखें।

जैसाकि उपरोक्त में दर्शाया गया है कि यहाँ पर कुल मिलाकर ₹ 3,224.61 करोड़ की बचत थी जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 9,444.34 करोड़ की बचत व ₹ 6,219.72 करोड़ के आधिक्य के प्रति संतुलन का परिणाम था।

2015-20 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.17 में दिया गया है।

तालिका-3.17: 2015-20 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	32,692.64	40,422.21	39,957.78	45,585.09	48,663.90
अनुपूरक बजट	4,788.06	1,507.87	3,015.75	2,452.40	2,533.90
पुनरीक्षित आकलन	33,545.57	32,049.06	37,992.87	43,460.93	45,081.50
वास्तविक व्यय	31,984.00	37,245.89	43,444.76	49,395.84	47,973.19
बचत (-)/आधिक्य (+)	(-) 5,496.70	(-) 4,684.19	(+) 471.23	(+) 1,358.35	(-) 3,224.61
बचत की प्रतिशतता	14.67	11.17	लागू नहीं	लागू नहीं	6.30

स्रोत: विनियोग लेखें तथा संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़।

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.6 में दिया गया है।

चार्ट-3.6: विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के नीचे 1,181 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत व्यय बुक किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,181 विस्तृत शीर्षों में से 925 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी, जिसके लिए 2019-20 के विनियोग लेखों में उचित कारण नहीं दिया गया था।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

विभाग कई बार विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। वहीं उसी समय कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के लाभ को, ऐसे मामलों में जनता तक नहीं पहुँचाया जाता है। इसके अलावा, इससे परियोजना की लागत में वृद्धि होती है।

सरकार, वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कई नई नीतियों/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उसी वित्तीय वर्ष के लिए होती हैं अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ति प्रकृति की होती हैं।

पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.18 में दिया गया है।

तालिका-3.18: पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
पूँजीगत (मतदेय)						
1.	3 मंत्रिपरिषद	45.00	15.00	60.00	42.08	17.92
2.	4 न्यायायिक प्रशासन	52.10	3.30	55.40	26.41	28.99
3.	7 वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	266.96	29.59	296.55	90.30	206.25
4.	10 पुलिस एवं जेल	36.50	17.23	53.73	36.07	17.66
5.	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	387.73	59.50	447.23	257.91	189.32
6.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	176.72	11.50	188.22	97.60	90.62
7.	13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,157.50	274.64	1,432.14	1,015.41	416.73
8.	15 कल्याण	88.90	20.46	109.36	70.14	39.22
9.	19 ग्रामीण विकास	1,328.44	28.00	1,356.44	1,144.43	212.01
10.	20 सिंचाई एवं बाढ़	476.05	163.94	639.99	334.28	305.71
11.	21 ऊर्जा	323.33	28.00	351.33	139.12	212.21
12.	22 लोक निर्माण	1,047.00	182.00	1,229.00	848.83	380.17
13.	24 यातायात	150.50	23.00	173.50	30.47	143.03
14.	26 पर्यटन	115.60	17.00	132.60	88.69	43.91
15.	27 वन	70.20	20.40	90.60	36.76	53.84
16.	28 पशुपालन	25.85	11.78	37.63	13.23	24.40
17.	29 उद्यान विकास	11.50	0.35	11.85	8.77	3.08
18.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	307.92	18.73	326.65	238.00	88.65
19.	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	130.07	2.15	132.22	97.77	34.45
	योग	6,197.87	926.57	7,124.44	4,616.27	2,508.17

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूँजी खंड के अंतर्गत ₹ 2,508.17 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता है।

3.10 विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अनुदान और मूल बजट में योजनाओं के अंतर्गत ₹ 274.71 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद पुनर्विनियोग का कोई प्रकरण नहीं हुआ है।

3.11 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के अनुच्छेद 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2019-20 के लिए पाँच मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2020 में किया गया, जैसाकि नीचे दी गयी तालिका-3.19 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.19: अनुदान, जहाँ केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था
(प्रतिशतता का घटता क्रम)


क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय, (कुल व्यय का प्रतिशत)
1.	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	13.30	28.24	30.36	134.35	206.25	110.00	53.33
2.	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0	0.45	0.13	39.32	39.90	39.03	97.82
3.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.53	0.93	4.36	24.41	30.23	18.41	60.90
4.	4401	फसल व्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	(-) 1.75	(-) 1.23	2.64	12.82	12.48	6.50	52.08
5.	4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	0	2.59	0.20	15.00	17.79	15.00	84.32
योग			12.08	30.98	37.69	225.90	306.65	188.94	61.61

व्यय में मासिक एकरूपता नहीं थी जैसाकि उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि पाँच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत

73.66 था। यद्यपि, आगे विश्लेषण से पता चला कि ऐसे कोई प्रकरण/उपशीर्ष (योजनाएँ) नहीं थे, जहाँ मार्च 2020 में पूरा व्यय किया गया हो।


मासिक प्राप्तियाँ और इन प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का विवरण चार्ट-3.7 में नीचे दिया गया है।

चार्ट-3.7: वर्ष 2019-20 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय



माह मार्च 2020 में किए गए अधिकतम प्रतिशतता व्यय के साथ 2019-20 के दौरान किए गए मासिक व्यय का विवरण चार्ट-3.8 में नीचे दिया गया है।

चार्ट-3.8: मार्च माह के अधिकतम प्रतिशतता के साथ उद्योग विभाग का माहवार व्यय



जैसाकि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि उद्योग विभाग के अंतर्गत 31 प्रतिशत व्यय मार्च माह में किया गया था।

3.12 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.12.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या-12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अनुदान संख्या-27 वन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या-12: चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 19.80 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष से 3.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि तालिका-3.20 में सारांशित है।

तालिका-3.20: वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 2211- परिवार कल्याण	2017-18	1,799.45	151.88	1,951.33	1,441.16	510.17	26.14	-
	2018-19	2,102.77	120.14	2,222.91	1,726.45	496.45	22.33	19.80
	2019-20	2,251.00	51.24	2,302.24	1,782.43	519.81	22.58	3.24
	योग	6,153.22	323.26	6,476.48	4,950.04	1,526.43	23.57	--

स्रोत : विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान निरंतर बचत हुई। अवधि 2017-20 के दौरान ₹ 323.26 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि विगत तीन वर्षों में मूल प्रावधान (₹ 6,153.22 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 4,950.04 करोड़) से अधिक था।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) विगत वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसाकि तालिका-3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.21: अनुदान में विगतवर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन प्रतिशत में	
		2017-18	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1.	2210-01-110-15	1,218.74	1,785.00	2,000.00	566.26	215.00	46.46	12.04
2.	2210-01-110-23	99.71	133.68	74.08	33.97	(-) 59.60	34.07	(-) 44.58
3.	2210-02-101-01	2,242.29	1,764.61	351.45	(-) 477.68	(-) 1,413.16	(-) 21.30	(-) 80.08
4.	2210-02-101-03	1,271.03	1,286.43	1,519.02	15.40	232.59	1.21	18.08
5.	2210-02-101-04	281.35	291.45	352.54	10.1	61.09	3.59	20.96
6.	2210-02-101-08	14,790.69	14,930.36	17,127.68	139.67	2,197.32	0.94	14.72
7.	2210-02-102-04	857.21	815.52	944.15	(-) 41.69	128.63	(-) 4.86	15.77

8.	2210-03-103-03	6,435.96	7,675.61	9,007.30	1,239.65	1,331.69	19.26	17.35
9.	2210-03-104-03	6,609.25	8,599.67	9,960.37	1,990.42	1,360.70	30.12	15.82
10.	2210-03-110-01	15,996.41	28,792.59	23,188.84	12,796.18	(-) 5,603.75	79.99	(-) 19.46
11.	2210-03-110-17	7,119.01	8,716.01	9,699.18	1,597.00	983.17	22.43	11.28
12.	2210-04-102-03	1,640.98	1,750.80	2,144.45	109.82	393.65	6.69	22.48
13.	2210-05-105-01	142.34	107.04	210.92	(-) 35.30	103.88	(-) 24.80	97.05
14.	2210-05-105-04	15,949.84	20,423.60	23,426.11	4,473.76	3,002.51	28.05	14.70
15.	2210-05-105-10	150.00	250.00	300.00	100.00	50.00	66.67	20.00
16.	2210-06-003-03	231.30	264.36	324.07	33.06	59.71	14.29	22.59
17.	2210-06-101-03	3,665.10	5,991.99	9,566.32	2,326.89	3,574.33	63.49	59.65
18.	2210-06-101-99	2,901.66	2,040.28	1,128.20	(-) 861.38	(-) 912.08	(-) 29.69	(-) 44.70

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 193.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्व वर्ष के सापेक्ष 47.92 प्रतिशत की कमी हुई, जैसाकि निम्न तालिका-3.22 में सारांशित है।

तालिका-3.22: वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	2017-18	123.85	22.70	146.55	63.94	82.61	56.37	-
	2018-19	183.80	46.00	229.80	187.40	42.40	18.45	193.09
	2019-20	176.72	11.50	188.22	97.60	90.62	48.15	(-) 47.92

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2017-18 और 2019-20 के दौरान ₹ 34.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 300.57 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 161.54 करोड़ से अधिक था।

अनुदान संख्या-12 में पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन जिसका विवरण तालिका-3.23 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.23: पिछले वर्षों की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		वित्तीय वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1.	4210-01-110-23	500.00	2,200.00	2,500.00	1,700	300	340.00	13.64
2.	4210-02-103-03	200.00	200.00	109.78	0	(-) 90.22	0.00	(-) 45.11
3.	4210-03-105-01	1,286.71	7,962.08	315.34	6,675.37	(-) 7,646.74	518.79	(-) 96.04
4.	4210-03-105-03	250.00	428.62	100.00	178.62	(-) 328.62	71.45	(-) 76.67
5.	4210-03-105-08	2,910.00	4,000.00	2,448.00	1,090	(-) 1,552	37.46	(-) 38.80

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

लेखा शीर्ष के उप-शीर्ष के विचलन की प्रवृत्ति के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष के दौरान उप-शीर्ष में व्यय में विचलन विगत वर्ष की तुलना में (-) 96.04 प्रतिशत से 13.64 प्रतिशत के मध्य था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान वर्ष के अंत तक निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया था:

तालिका-3.24: 2017-18 से 2019-20 के दौरान अनुपयोगी समग्र प्रावधान की सारांशीकृत स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2017-18	2210-01-110-97	12,000.00	-	12,000.00
2.		2210-06-101-08	350.00	-	350.00
3.		2210-06-800-14	100.00	-	100.00
4.		4210-01-110-24	300.00	-	300.00
5.		4210-01-110-25	100.00	-	100.00
6.		4210-01-110-27	100.00	-	100.00
7.		4210-03-105-11	100.00	-	100.00
8.	2018-19	4210-03-105-10	100.00	50.00	150.00
9.	2019-20	4210-01-110-14	200.00	-	200.00
10.		4210-01-110-30	1,000.00	-	1,000.00
11.		4210-02-104-03	400.01	-	400.01
12.		4210-02-110-12	1,000.00	-	1,000.00
13.		4210-02-800-03	200.00	-	200.00
14.		4210-03-103-02	200.00	-	200.00
15.		4210-03-105-10	200.00	-	200.00

स्रोत:-विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

2017-18 से 2019-20 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0211 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.25 में सारांशित है।

तालिका-3.25 अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0211 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरीक्षित आकलन (प्रतिशत में)
0210	2017-18	73.29	83.29	84.12	0.83	1.00
	2018-19	90.54	90.54	99.27	8.73	9.64
	2019-20	103.26	153.26	183.83	30.57	19.95
0211	2017-18	0.02	0.02	0.02	0	0
	2018-19	0.02	0.02	0.30	0.28	1,400.00
	2019-20	0.01	0.01	0.02	0.01	100.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

यद्यपि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगतवर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.26 में दिया गया है।

तालिका-3.26 वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरीक्षित अनुमान से प्रतिशत में विचलन
1.	0210-01-020	2017-18	9.10	9.10	12.55	3.45	37.91
		2018-19	11.15	11.15	0	(-) 11.15	(-) 100.00
		2019-20	12.24	12.24	13.62	1.38	11.27
2.	0210-01-101	2017-18	2.70	2.70	34.61	31.91	1181.85
		2018-19	2.60	2.60	0	(-) 2.60	(-) 100.00
		2019-20	2.80	2.80	86.79	83.99	2,999.64
3.	0210-01-800	2017-18	25.75	25.75	6.16	(-) 19.59	(-) 76.08
		2018-19	31.05	31.05	99.27	68.22	219.71
		2019-20	40.54	90.54	4.24	(-) 86.30	(-) 95.32
4.	0210-04-105	2017-18	0.09	0.09	0.00	(-) 0.09	(-) 100.00
		2018-19	0.09	0.09	0.00	(-) 0.09	(-) 100.00
		2019-20	0.08	0.08	0.01	(-) 0.07	(-) 87.50
5.	0210-04-501	2017-18	2.00	2.00	1.52	(-) 0.48	(-) 24.00
		2018-19	2.00	2.00	0	(-) 2.00	(-) 100.00
		2019-20	2.00	2.00	0.88	(-) 1.12	(-) 56.00
6.	0210-04-800	2017-18	0.15	0.15	0.84	0.69	(-) 60.00
		2018-19	0.15	0.15	0	(-) 0.15	(-) 100.00
		2019-20	0.10	0.10	0.31	0.21	210.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या-12 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल दो लेखाशीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ बुक की जाती हैं और प्राप्तियाँ मुख्यतः दो लघु शीर्षों² में बुक की जाती हैं।

² लघु शीर्ष 101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ व 800-अन्य प्राप्तियाँ।

अनुदान संख्या 27: वन

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान 11.37 प्रतिशत तथा 2019-20 में 2.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई जैसाकि तालिका-3.27 में सारांशित है।

तालिका-3.27: 2017-18 से 2019-20 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति
(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2406- वानिकी और वन्य जीव 2407- वृक्षारोपण	2017-18	621.70	12.10	633.80	550.89	82.91	13.08	-
	2018-19	727.35	14.81	742.16	613.54	128.62	17.33	11.37
	2019-20	959.24	71.04	1,030.28	631.28	399.00	38.73	2.89
योग		2308.29	97.95	2,406.24	1,795.71	610.53	25.37	लागू नहीं

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान निरंतर बचत थी। 2017-20 के दौरान ₹ 97.95 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 2,308.29 करोड़), वास्तविक व्यय ₹ 1,795.71 करोड़ से बहुत अधिक था। कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यय की प्रवृत्ति में विगत वर्षों से महत्वपूर्ण विचलन (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) हुआ, जैसाकि निम्न तालिका-3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.28: विगत वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय विचलन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन प्रतिशत में	
		2017-18	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1.	2406-00-101-01	371.92	997.65	127.46	625.73	(-) 870.19	168.24	(-) 87.22
2.	2406-01-101-05	693.08	1,118.02	1,250.52	424.94	132.50	61.31	11.85
3.	2406-01-101-06	326.97	919.87	1,154.67	592.90	234.80	181.33	25.53
4.	2406-01-101-07	950.00	1,026.14	1,800.00	76.14	773.86	8.01	75.41
5.	2406-01-800-50	196.50	127.85	274.05	(-) 68.65	146.20	(-) 34.94	114.35

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 32.94 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के दौरान 4.77 प्रतिशत की कमी हुई जैसाकि तालिका-3.29 में सारांशित है।

तालिका-3.29: 2017-18 से 2019-20 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4406-वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	2017-18	53.95	-	53.95	57.56	(+) 3.61	--	-
	2018-19	81.20	6.58	87.78	38.60	(-) 49.18	56.03	(-) 32.94
	2019-20	70.20	20.40	90.60	36.76	(-) 53.84	59.43	(-) 4.77

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान निरंतर बचत थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 75.36 करोड़) मूल अनुदान (₹ 151.40 करोड़) से कम था।

तालिका-3.30: अनुदान में विगत वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय विचलन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन प्रतिशत में	
		2017-18	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1.	4406-01-101-03	263.09	535.83	810.35	272.74	274.52	103.67	51.23
2.	4406-01-101-04	288.96	124.51	66.92	(-) 164.45	(-) 57.59	(-) 56.91	(-) 46.25
3.	4406-01-101-09	1,912.46	2,273.00	1,519.13	360.54	(-) 753.87	18.85	(-) 33.17
4.	4406-02-110-01	1,728.96	84.40	109.53	(-) 1,644.56	25.13	(-) 95.12	29.77
5.	4406-02-110-02	200.00	369.00	550.00	169.00	181.00	84.50	49.05

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.31 में दिया गया है।

तालिका-3.31: 2017-18 से 2019-20 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2017-18	2406-01-800-18	149.00	-	149.00
2.		4406-01-070-02	200.00	-	200.00
3.		4406-01-800-11	200.00	-	200.00
4.	2018-19	2406-01-800-18	204.00	-	204.00
5.		4406-01-70-02	0.01	197.98	197.99
6.		4406-01-101-01	150.03	-	150.03
7.		4406-01-102-97	500.00	-	500.00
8.		4406-01-800-11	200.00	-	200.00
9.	2019-20	2406-04-103-04	3,000.00	-	3,000.00
10.		2406-04-103-05	2,300.00	-	2,300.00
11.		2406-04-103-06	-	500.00	500.00
12.		2406-04-103-07	1,500.00	-	1,500.00

क्र. सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
13.		4406-01-101-08	150.00	-	150.00
14.		4406-01-101-11	200.00	-	200.00
15.		4406-01-101-13	150.00	-	150.00
16.		4406-02-110-03	150.00	-	150.00
17.		4406-02-110-04	150.00	-	150.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

2017-18 से 2019-20 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0406 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समय स्थिति तालिका-3.32 में सारांशित है।

तालिका-3.32: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0406 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
0406	2017-18	500.00	500.00	312.20	(-) 187.80	(-) 37.56
	2018-19	507.35	507.35	368.73	(-) 138.62	(-) 27.32
	2019-20	810.12	540.12	410.16	(-) 129.96	(-) 24.06

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.33 में दिया गया है।

तालिका-3.33: प्राप्तियों की स्थिति, मुख्य शीर्ष-0406

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
1.	0406-01-101	2017-18	356.02	356.02	195.98	(-)160.04	(-) 44.95
		2018-19	368.02	368.02	225.70	(-)142.32	(-) 38.67
		2019-20	361.58	361.58	258.70	(-)102.88	(-) 28.45

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं और प्राप्तियाँ, प्रमुख रूप से दो लघु शीर्षों 101 और 800 के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं।

3.13 निष्कर्ष

- वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 51,197.80 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 3,224.61 करोड़ की कुल बचत हुई।
- 45 प्रकरणों में ₹ 2,481.20 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 15 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।

- विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस में ₹ 259 करोड़ अभ्यर्पित किए जिससे इन निधियों को अन्य विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रही।
- वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक की अवधि से संबन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 35,659.13 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमंडल से नियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 330.35 करोड़ का व्यय राजस्व संवर्ग के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत संवर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहत निर्माण कार्यों से संबन्धित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत संवर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार, ₹ 82.44 करोड़ का व्यय पूँजीगत संवर्ग के अंतर्गत दर्ज किया गया था। यह व्यय राजस्व संवर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि, यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य तथा रख-रखाव से संबन्धित था।

3.14 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को अपनी बजटीय धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत/अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत/आधिक्य का अनुमान एवं अभ्यर्पण कर सकती है ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके।*
- *राज्य सरकार को अनुमोदित अनुदानों एवं विनियोगों से अधिक व्यय से बचने के लिए अपने व्यय बजट की योजना को सख्ती से बनाना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय में एवं पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय में दर्ज करने के प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।*

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सामरिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 राज्य के लोक लेखा अथवा समेकित निधि के अलावा कोष

4.1.1 श्रम उपकर


केंद्र सरकार के भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के अनुसार, निजी या सार्वजनिक दोनों तरह के निर्माणकर्ताओं को ₹ 10 लाख और उससे अधिक की परियोजनाओं की निर्माण लागत का एक प्रतिशत, राज्य के श्रम विभाग को कल्याण उपकर के रूप में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 को लागू किया और अधिनियम को लागू करने के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया। उपकर के रूप में प्राप्त राशि को उत्तराखण्ड के श्रम आयुक्त/सचिव के नाम पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए खाते में जमा किया जाना है।

एकत्रित किए गए उपकर एवं इसके सापेक्ष हुए व्यय का विवरण नीचे तालिका-4.1 में दिया गया है:

तालिका-4.1: एकत्रित किए गए उपकर एवं इसके सापेक्ष किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बैंक प्रारम्भिक शेष	प्राप्त श्रम उपकर	बैंक ब्याज	एफ डी आर ब्याज	प्राप्त एफ डी आर परिपक्व राशि	पंजीकरण शुल्क और अन्य प्राप्त आय	कल्याण व्यय	अन्य व्यय	एफ डी आर के लिए हस्तांतरित राशि	बैंक अंतिम शेष= (क+ख+ग+घ+ङ +च-छ-ज-झ)
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	
2015-16	12.95	43.78	0.37	0.60	45.08	0.03	9.94	0.62	62.31	29.94
2016-17	29.94	54.89	1.46	0.11	8.29	0.14	30.96	2.31	11.25	50.31
2017-18	50.31	67.09	2.05	7.07	23.21	0.00	36.08	1.75	22.52	89.38
2018-19	89.38	87.10	3.74	11.72	72.59	0.28	88.65	2.32	71.40	102.44
2019-20	102.44	149.54	3.17	6.10	5.16	1.35	190.61	2.39	9.71	65.05
योग	402.40	10.79	25.60	154.33	1.80	356.24	9.39	177.19		



जैसाकि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, बोर्ड को 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 402.40 करोड़ की राशि श्रम उपकर के रूप में, ₹ 190.72 करोड़ की ब्याज एवं एफ डी आर के रूप में और ₹ 1.80 करोड़ पंजीकरण शुल्क तथा अन्य आय के रूप में प्राप्त हुई। अतः बोर्ड के पास कुल ₹ 594.92 करोड़ उपलब्ध थे जिसके सापेक्ष ₹ 356.24 करोड़ की राशि श्रम कल्याण पर और ₹ 9.39 करोड़ अन्य खर्चों पर व्यय की गई थी। बोर्ड ने बैंक सावधि जमा में ₹177.19 करोड़ का निवेश भी किया था।

4.1.2 नियामक

संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में नियामक प्राधिकरण 'राज्य' हैं। उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा धन 'सरकार की ओर से' कार्य के निर्वहन के कारण है। इसलिए, उनकी निधियों को भारत/राज्य के लोक लेखे में रखा जाना चाहिए। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के कानून मंत्रालय की निर्धारित स्थिति है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग और उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थिति नीचे तालिका-4.2 में दी गई है।

तालिका-4.2: नियामकों और निधियों का विवरण

क्र. सं.	नियामक प्राधिकरण का नाम	निधि का गठन	शासन पर बकाया राशि
1.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	निधि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में न राखी जाएगी और ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं में सहायक लेखों का रख रखाव किया जाएगा। कोष में लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, अर्थ दंड और प्राप्तियाँ सम्मिलित होंगी।	वर्ष 2019-20 के लिए नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, ₹ 14.41 करोड़ की राशि 2019-20 के दौरान निधि में स्थानांतरित कर दी गई थी। 31 मार्च 2020 तक निधि की कुल राशि ₹ 127.86 करोड़ थी, जो सरकारी लेखे से बाहर रही।
2.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	प्राधिकरण के नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक में निधियाँ रखी जा रही हैं।	31 मार्च 2019 तक, निधि में ₹ 4.15 करोड़ की राशि थी, जो सरकारी लेखे से बाहर थी।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि संबंधित निधि नियमों में संशोधन करके इस राशि को लोक लेखे में लाया जा सके।

4.2 राज्य सरकार के ऋण जो संचित निधि में जमा नहीं किए गए

राज्य सरकार ने सूचित किया कि सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में गैर-बजटीय उधारी का सहारा नहीं लिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उक्रपमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान जहाँ भी प्राप्त हुई हैं, ऐसी कोई उधारी नहीं देखी गई।

4.3 विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना

31 मार्च 2020 तक, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा भुगतान न किए जाने से, बिजली उपयोग के कारण उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को; सिंचाई विभाग की ओर से संविदात्मक देयता; और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा दवा खरीद की प्रतिबद्ध देयता के कारण ₹ 313.71 करोड़ (मूलधन ₹ 244.92 करोड़ और विलम्बित भुगतान अधिभार के रूप में ₹ 68.79 करोड़) का एक स्थगित दायित्व था।

तालिका-4.3: वित्तीय वर्ष के दौरान स्पष्ट देनदारियों को शामिल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	देयता के कारण	मूल राशि	विलंबित भुगतान अधिभार	कुल राशि
1.	सिंचाई विभाग	यू पी सी एल	134.08	68.19	202.27
2.	लोक निर्माण विभाग		2.18	0.60	2.78
3.	सिंचाई विभाग	ठेकेदार	12.55	0.00	12.55
4.	चिकित्सा विभाग	अस्पताल	96.11	0.00	96.11
योग			244.92	68.79	313.71

4.4 ब्याज आरक्षित जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना

ब्याज आरक्षित जमाओं (लेखों के मुख्य लेखा शीर्ष 8338 से 8342) में राशि पर ब्याज की व्यवस्था और भुगतान करना सरकार की एक देयता है। इस संबंध में देयता के निर्वहन का विवरण निम्न तालिका-4.4 में दिया गया है:

तालिका-4.4: ब्याज आरक्षित जमा के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज आरक्षित जमा का नाम	1 अप्रैल 2019 को शेष राशि	ब्याज दर	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	स्थानीय निधि की जमा-8338	282.99	5.44 प्रतिशत	15.39
2.	अन्य जमा-8342 (8432-117 सी पी एस को छोड़कर)	17.72	डब्लू एवं एम की ब्याज का औसत	0.97
योग		300.71		16.36

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के 2019-20 के वित्त लेखे।

राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज आरक्षित जमाओं के प्रारम्भिक शेष पर 5.44 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, सरकार ने इन

जमाओं पर वर्ष के दौरान ₹ 16.36 करोड़ का आवश्यक प्रावधान नहीं किया। इसलिए, इसने उस सीमा तक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा प्रभावित किया।

4.5 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। ये स्थानान्तरण वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की समस्त सहायता जारी करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई। चूंकि ये धनराशि राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती है, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने 2019-20 के दौरान उत्तराखण्ड में 280 क्रियान्वयन एजेंसियों को 137 योजनाओं के अंतर्गत सीधे ₹ 2,304.31 करोड़ जारी किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धन का सीधा हस्तांतरण 2018-19 में ₹ 1,778.24 करोड़ से 29.58 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 2,304.31 करोड़ हो गया है। कुछ प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्हें 2019-20 के दौरान भारत सरकार से सीधे धन प्राप्त हुआ था, उन्हें नीचे तालिका-4.5 में दिया गया है।

तालिका-4.5: क्रियान्वयन एजेंसी के नाम जिन्होंने 2019-20 के दौरान भारत सरकार से सीधे धन (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त किया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2019-20 के दौरान जारी की गई धनराशि
1.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	एम्स ऋषिकेश	669.08
2.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री-किसान)	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	438.56
3.	एन एफ एस ए के अंतर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड	370.41
4.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	321.66
5.	2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए योजना	उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, राजपुर पूनपुर-नदेही	64.71
6.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना	सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण	57.76
योग			1,922.18


क्रियान्वयन एजेंसी को पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तांतरित धनराशि का समग्र विवरण तालिका-4.6 में प्रदर्शित है।

तालिका-4.6: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धन

क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण	2017-18	2018-19	2019-20
हस्तांतरित धनराशि (₹ करोड़ में)	2,175.18	1,778.24	2,304.31

क्रियान्वयन एजेंसी जिन्होंने भारत सरकार से 2019-20 के दौरान विभिन्न विकासत्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सीधे धनराशि प्राप्त की तथा उस धनराशि की मात्रा का विवरण चार्ट-4.2 में दिया गया है।

चार्ट-4.2: क्रियान्वयन एजेंसियाँ जिन्होंने भारत सरकार से 2019-20 के दौरान सीधे धन प्राप्त किया



स्रोत: 2019-20 के लिए पी एफ एम एस डाटा।

4.6 स्थानीय निधियों में जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अनुसार पंचायत निकाय निधि शासकीय कोषालय और उप कोषालय अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाक घर में रखी जाएगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916, जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार भी नगर निगम निधियाँ, शासकीय कोषालय अथवा उप कोषालय अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

तालिका-4.7: स्थानीय निधि में जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पंचायत निकाय कोष (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.62	14.62	14.62	14.62	14.79
	प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	14.62	14.62	14.62	14.79	14.79
नगर निगम निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	49.33	44.18	66.15	236.59	340.59
	प्राप्ति	311.99	345.54	728.37	711.61	835.76
	व्यय	317.15	323.57	557.93	607.61	734.74
	अंतिम शेष	44.18	66.15	236.59	340.59	441.61

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2019-20।

जैसाकि ऊपर दी गई तालिका-4.7 से स्पष्ट है, पंचायत निकाय कोष 2015-16 से लगभग निष्क्रिय है। हालाँकि, नगरपालिका कोष संचालन में है और 31 मार्च 2020 तक इसमें ₹ 441.61 करोड़ का समग्र शेष है। इसके अलावा, नगरपालिका कोष में प्रतिशत उपयोग 2017-18 से आगे घट रहा है। 2017-18 में धन का उपयोग 70.22 प्रतिशत, 2018-19 में 64.08 प्रतिशत और 2019-20 में 62.46 प्रतिशत था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सचिव (वित्त) से पंचायत निकाय निधि के निष्क्रिय रहने का विषय उठाया गया था। सचिव (वित्त) ने बताया कि मामले की जाँच की जाएगी और सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4.7 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

उत्तराखण्ड वित्तीय नियमों के प्रस्तर 369-सी सी (ए) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए अनुदानों के लिए, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसाकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सहमति दी गई है और इसे उनकी स्वीकृति की तारीख से 12 महीनों के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा और हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च, 2020 तक ₹ 1,636.69 करोड़ के कुल 201 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के संबंध में आयु-वार स्थिति को तालिका-4.8 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.8: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जोड़		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	कुल धनराशि	संख्या	कुल धनराशि	संख्या	कुल धनराशि	संख्या	कुल धनराशि
2017-18 तक	353	490.03	225	385.61	369	532.60	209	343.04
2018-19	209	343.04	122	479.16	212	468.87	119	353.33
2019-20	119	353.33	*149	1,537.25	67	253.89	201	1,636.69

*उनको छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, 2019-20 के दौरान निकाले गए सहायता अनुदान की उ प्र केवल 2020-21 में देय होती है।


स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड।

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2020 तक जमा करने के योग्य 52 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2019 तक ₹ 99.44 करोड़ की राशि दी गई थी। उपरोक्त में से, ₹ 29.87 करोड़ की राशि वाले 33 उपयोगिता प्रमाणपत्र अगस्त 2020 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि जमा राशि पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 6.99 करोड़ विभिन्न बैंकों के पास थे और सरकार को हस्तांतरित नहीं किए गए थे। 31 मार्च को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण नीचे तालिका-4.9 में दिया गया है।

तालिका-4.9: 31.03.2020 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण

वर्ष जिस में सहायता अनुदान स्थानांतरित किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18	7	9.48
2018-19	45	89.96
2019-20	149	1,537.25
योग	201	1,636.69

उपयोगिता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था।



4.7.1 अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में दर्ज करना

कुछ राज्यों में सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने का एक तंत्र है। ये अनुदान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की वी एल सी प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के बकाया राशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी की जाती है। इस प्रणाली को काम करने के लिए, अनुदानग्राही संस्थान को ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों के सापेक्ष बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

यदि अनुदान सहायता राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यह आवश्यक है कि सरकार लेखों की पारदर्शिता के लिए अनुदानग्राही संस्था के विवरण और प्रकृति प्रदान करे।

उत्तराखण्ड में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को कोई कोड आवंटित नहीं किया जा रहा है।

वित्त लेखे 2019-20 के विवरण-10 के अनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को अनुदान के रूप में ₹ 4,800.18 करोड़ की राशि दी गई। जिसमें प्रमुख लाभार्थी थे (i) पंचायती राज निकाय ₹ 902.05 करोड़, (ii) शहरी स्थानीय निकाय ₹ 814.62 करोड़, (iii) स्वायत्त निकाय

(विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएँ) ₹ 648.60 करोड़ (iv) गैर-सरकारी संगठन ₹ 12.37 करोड़ और (v) अन्य ₹ 2,422.55 करोड़। कुल अनुदान सहायता ₹ 4,800.18 करोड़ में से, ₹ 2,422.55 करोड़ (50.47 प्रतिशत) अन्य को दी गई थी। सरकार ने, अन्य के रूप में अनुदान की पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड करना जारी रखा है, यह 2017-18 में 35.08 प्रतिशत, 2018-19 में 42.44 प्रतिशत और 2019-20 के दौरान 50.47 प्रतिशत था।

4.8 सार-आकस्मिक बिल

वर्ष 2019-20 तक वर्षवार आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का विवरण तालिका-4.10 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.10: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के जमा करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जमा		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2017-18 तक	1,736	127.50	17	0.61	1,737	127.52	16	0.59
2018-19	16	0.59	19	0.73	25	0.76	10	0.56
2019-20	10	0.56	61	6.03	34	3.58	37	3.01

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा जारी डाटा।

तालिका-4.10 से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान ₹ 6.03 करोड़ की राशि के लिए 61 ए सी बिल तैयार किए गए तथा ₹ 3.58 करोड़ की राशि के लिये 34 डी सी सी बिलों को वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया गया था। ₹ 3.01 करोड़ के बकाया 37 ए सी बिलों में चार ए सी बिल (₹ 0.27 करोड़) 2018-19 से संबंधित तथा 33 ए सी बिल (₹ 2.74 करोड़) 2019-20 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2020 तक ₹ 1.40 करोड़ की राशि वाले 10 डी सी सी बिल प्राप्त हुए।

सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति को चार्ट-4.4 में दिया गया है।

चार्ट-4.4: बकाया डी सी सी बिल



जैसाकि ऊपर विस्तृत किया गया है, राशि ₹ 3.01 करोड़ डी सी सी बिल (i) पशुपालन विभाग ₹ 1.13 करोड़, (ii) समाज कल्याण विभाग ₹ 1.03 करोड़, (iii) खेल और युवा कल्याण ₹ 0.84 करोड़, और (iv) ग्रामीण विकास विभाग ₹ 0.01 करोड़ से संबंधित है। ए सी बिल के विश्लेषण से पता चला कि ये बिल सामान्य उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए थे न कि पूँजीगत संपत्ति निर्माण के लिए। पशुपालन विभाग के तहत, लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए दुधारू पशुओं की खरीद के लिए ए सी बिल तैयार किए गए थे। समाज कल्याण में, ए सी बिल आँगनवाड़ी केंद्रों को राशन के पैसे के वितरण के लिए थे। खेल विभाग ने विभिन्न जिलों में खिलाड़ियों के बीच नकद पुरस्कार वितरण के लिए ए सी बिल प्राप्त किए थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस तक कोई ए सी बिल आहरित नहीं किया गया था।

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों व्यर्थ/गबन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हो यह ही सुनिश्चित करने के लिए करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4.9 व्यक्तिगत जमा लेखे

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय नियमों (नियम 8), में निहित प्रावधानों के अनुसार, निधियों की निकासी, जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, तय होगी और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, बजट अनुदान के कालातीत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से धन निकालने की प्रथा वर्जित है।

2019-20 के अंत में, 48 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 200.29 करोड़ की अनपेक्षित शेष राशि राज्य के संचित कोष में अहस्तांतरित रही। 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति को तालिका-4.11 में दिया गया है।

तालिका-4.11: 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान बंद		अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
47	180.09	01	20.20	-	-	48	200.29

निम्न तालिका में वित्त वर्ष 2015-20 के दौरान अंतिम दिन को 8443-106 जिला अधिकारी, देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी धनराशि की स्थिति दी गई है।

तालिका-4.12: 2015-20 के दौरान डी एम देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में धन का पडा रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पी डी ए में रखी धनराशि	119.50	112.07	93.59	98.36	96.18

राज्य में 31 मार्च 2020 तक ₹ 200.29 करोड़ के अंतिम शेष के साथ 48 व्यक्तिगत जमा खाते थे। जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के एक व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित ₹ 96.18 करोड़ (48.02 प्रतिशत) की राशि थी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पूर्व अनुमोदन के बाद खाता संचालित किया जा रहा था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इसे बंद करने की आवश्यकता थी और शेष राशि संचित निधि में हस्तांतरित करनी थी। यह भी पाया गया कि डी एम, देहरादून के पी एल ए में जमा राशि राज्य सरकार के अन्य विभागों के उपयोग के लिए थी, जैसे राज्य संपदा विभाग (₹ 67.37 करोड़), विधान सभा (₹ 1.3 करोड़), खेल विभाग (₹ 10.00 करोड़) और उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय विभाग (₹ 5.13 करोड़) तथा यह तीन वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी पड़े थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस लेखे से ₹ 3.95 करोड़ खर्च किए गए थे, और ₹ 1.76 करोड़ इस खाते में स्थानांतरित किए गए थे। व्यक्तिगत जमा लेखों में पड़ी हुई राशियाँ परिणाम स्वरूप व्यय को उस सीमा तक अधिक दर्शाती हैं। व्यक्तिगत जमा लेखों का समय-समय पर मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा लेखों में पड़े बकाया शेष राशि को संचित निधि में हस्तांतरित नहीं करना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि खातों को जल्दी बंद करने हेतु कदम उठाए जाएंगे।

तालिका-4.13: निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खाते

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष के बाद से रखी धनराशि	पी डी लेखों की संख्या	लेखों में रखी धनराशि (लाख में)	पी डी लेखों की संख्या जिनमें शून्य शेष है
1.	2013-14	9	0.000	9
2.	2014-15	8	18.000	7
3.	2015-16	6	0.003	5
4.	2016-17	6	0.000	6
5.	2017-18	3	91.958	1
6.	2018-19	6	6,772.298	2
7.	2019-20	10	13,387.350	3
	योग	48	20,269.609	33

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड।

कुल 48 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 33 खातों में शेष राशि शून्य है। 17 व्यक्तिगत जमा खाते पाँच साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे और 15 व्यक्तिगत जमा खाते तीन साल से अधिक समय से असंचालित थे। सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, इन जमाओं के तहत रखी गई राशि को राज्य के संचित कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शून्य शेष वाले खातों को वर्ष के अंत में (31 मार्च 2020) बंद नहीं किया गया था।

4.9.1 निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते

केन्द्रीय कोषागार देहरादून के निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका-4.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.14: केंद्रीय कोषागार देहरादून के निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खाते (8443-106 के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	पी डी ए धारक का नाम	अंतिम शेष	अंतिम लेन-देन की तिथि
1.	8443-00-111	कारीगर क्षतिपूर्ति ए डी एम (ए)	16.52	29.03.2014
2.	8443-00-800	एम डी/परिवहन निगम	100.00	29.02.2016
3.	8448-00-102	इ ओ/नगर निगम (13 एफ सी), देहरादून	1.02	31.03.2016
4.	8448-00-102	इ ओ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), ऋषिकेश	0.09	27.01.2014
5.	8448-00-102	इ ओ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), विकासनगर	0.09	17.7.2015
6.	8448-00-102	इ ओ/नगर पंचायत (एस एफ सी), सेलाकई देहरादून	62.50	17.03.2018
7.	8448-00-120	एफ ओ/बेसिक शिक्षा कोष देहरादून	11.04	26.10.2016
योग			191.26	

स्रोत: मुख्य कोषालय कार्यालय, देहरादून।

जैसाकि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2020 तक 8443-106 के अलावा सात निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खाते थे, जिसमें ₹ 1.91 करोड़ शेष था। उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत जमा खाता नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 10 (2) के अनुसार, तीन साल से अधिक समय तक गैर संचालित खातों को बंद किया जाना चाहिए और इन खातों के तहत जमा राशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। केंद्रीय कोषागार, देहरादून के सात लेखों में से, छः लेखों में, पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं किया गया था। इसलिए, सरकार के लेखे में ₹ 1.29 करोड़ की राशि जमा की जानी चाहिए थी। विभाग या कोषागार के मिलान के अभाव में, मामला सुलझाया नहीं जा सका।

4.10 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि इस तरह के उदाहरण नियमित रूप से होते हैं, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ चर्चा करे और उचित लघु शीर्ष खोलने की स्वीकृति प्राप्त करे। लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय के अविवेकपूर्ण दर्ज करने से लेन-देन की पारदर्शिता और प्रकृति प्रभावित होती है, और खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2019-20 के दौरान, लेखे के 25 मुख्य शीर्ष के तहत ₹ 284.41 करोड़ की राशि, व्यय का 1.62 प्रतिशत (₹ 17,504.05 करोड़) इन मुख्य शीर्ष के सापेक्ष दर्ज की गई और कुल राजस्व व्यय का 0.87 प्रतिशत (₹ 32,858.80 करोड़) को राजस्व लेखे में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार, 44 मुख्य शीर्ष के लेखे में ₹ 2,896.23 करोड़, प्राप्त का 19.86 प्रतिशत (₹ 14,585.99 करोड़) को इन मुख्य शीर्ष के सापेक्ष बुक किया गया और कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.43 प्रतिशत (₹ 30,722.57 करोड़) लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के तहत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे उदाहरण जहाँ वर्ष 2019-20 के दौरान महत्वपूर्ण राशि (20 प्रतिशत या अधिक और ₹ 5.00 करोड़ से अधिक) प्राप्तियों और व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' और '800-अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था, तालिका-4.15 में प्रदर्शित किया गया था।

तालिका-4.15: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय में 2019-20 के दौरान बुक की गई महत्वपूर्ण राशि

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों का प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय का प्रतिशतता
1.	0029-भूराजस्व	24.21	17.58	72.61	2013-मंत्रिपरिषद	36.71	7.36	20.05
2.	0049-ब्याज प्राप्तियाँ	47.81	25.65	53.65	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8.43	7.21	85.53
3.	0055-पुलिस	23.18	9.40	40.55	2217-शहरी विकास	110.98	22.72	20.47
4.	0059-लोक निर्माण	52.59	20.56	39.09	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	12.31	12.01	97.56
5.	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	43.01	20.36	47.34	2425-सहयोग	55.97	24.21	43.26
6.	0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	2,492.90	*2,441.08	97.92	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	136.23	28.31	20.78
7.	0075-विविध सामान्य सेवाएँ	17.10	12.82	74.97	2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	13.30	7.78	58.50
8.	0217-शहरी विकास	35.57	35.57	100.00	---	---	---	---
9.	0406-वानिकी और वन्यजीव	410.16	151.41	36.91	---	---	---	---
	योग	3,146.53	2,734.43	86.90	योग	373.93	109.60	29.31


स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा तैयार 2019-20 के वित्त लेखे।

*पेंशनरी देयताओं के विभाजन के लेखे में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त ₹ 2,400 करोड़ सम्मिलित हैं।

जैसाकि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, नौ मुख्य लेखों से संबंधित लगभग 87 प्रतिशत प्राप्तियाँ '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुक की गई थीं। इसी तरह, सात मुख्य लेखों से संबंधित राजस्व व्यय का लगभग 29 प्रतिशत '800-अन्य व्यय' के तहत बुक किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के तहत बुक की गई बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 के संचालन की सीमा चार्ट-4.5 और चार्ट-4.6 में दी गई है।





4.11 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष

उचन्त एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचन्त और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/निर्माण और वन प्रभाग आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका-4.16 में दी गई है।

तालिका-4.16: उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2019-20		2018-19		2017-18	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658-उचन्त लेखे						
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	54.71	3.61	30.38	3.45	8.27	(-)38.97
निवल	(डेबिट) 51.10		(डेबिट) 26.93		(डेबिट) 47.24	
102-उचन्त लेखे (सिविल)	566.35	411.83	549.40	368.32	552.63	409.83
निवल	(डेबिट) 154.52		(डेबिट) 181.08		(डेबिट) 142.80	
107- कैश सेटलमेंट उचन्त लेखे	966.77	885.52	3.16	0.26	3.16	0.26
निवल	(डेबिट) 81.25		(डेबिट) 2.90		(डेबिट) 2.90	
110-रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	214.67	219.61	219.66	219.61
निवल	(क्रेडिट) 4.94		(क्रेडिट) 4.94		(डेबिट) 0.05	
112-स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	28.03	266.57	28.03	315.31	28.03	198.81
निवल	(क्रेडिट) 238.54		(क्रेडिट) 287.28		(क्रेडिट) 170.78	
113-भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.78	24.74	25.47
निवल	(डेबिट) 0.11		(क्रेडिट) 0.03		(क्रेडिट) 0.73	
117-रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन	18.12	17.94	18.12	17.94	18.12	17.94
निवल	(डेबिट) 0.18		(डेबिट) 0.18		(डेबिट) 0.18	
123-ए आई एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.29	0.53	0.27	0.50	0.25	0.48
निवल	(क्रेडिट) 0.24		(क्रेडिट) 0.23		(क्रेडिट) 0.23	
129-सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73
निवल	(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76	

8782-नकद प्रेषण और अधिकारियों के बीच समायोजन उसी लेखा अधिकारी को लेखे प्रदान करना						
102-लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.74	277.17	398.86	1,283.25	1,406.60
निवल	(क्रेडिट) 76.61		(क्रेडिट) 121.69		(क्रेडिट) 123.35	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	100.93	126.41	246.94	253.29
निवल	(क्रेडिट) 59.72		(क्रेडिट) 25.48		(क्रेडिट) 6.35	
8793-इंटर स्टेट उच्चत लेखे	2,087.89	2,013.35	2,090.76	2,012.46	2,071.79	1,309.85
	(डेबिट) 74.54		(डेबिट) 78.30		(डेबिट) 761.94	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार वित्त लेखे 2019-20।

उच्चत के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गई है:

लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उच्चत के तहत उच्चत शेष (डेबिट/क्रेडिट), 102-उच्चत लेखा (सिविल) और 110-रिजर्व बैंक उच्चत-केंद्रीय लेखा कार्यालय के तहत मुख्य शीर्ष 8658-उच्चत लेखे 2019-20 के वित्त लेखों में प्रदर्शित हैं उनका विवरण निम्नवत है:

वेतन और लेखा कार्यालय-उच्चत (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) और महालेखाकार के तहत पी ए ओ की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2020) पिछले वर्ष के अंत में ₹ 26.93 करोड़ के डेबिट बैलेंस के सापेक्ष ₹ 51.10 करोड़ था। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियों में 6.19 प्रतिशत और संवितरण 93.91 प्रतिशत किया गया। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी तक वसूल किया जाना है।

उच्चत लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102): कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में लेन-देन/रसीद लेखों को अंतिम शीर्ष तक नहीं लिया जा सकता है, उन्हें प्रारम्भ में इस उच्चत शीर्ष में बुक किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 566.35 करोड़ (57.90 प्रतिशत) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 411.83 करोड़ (42.10 प्रतिशत) की राशि को इस लघु शीर्ष के तहत बुक किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के डेबिट शेष ₹ 181.08 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2020 तक ₹ 154.52 करोड़ का डेबिट शेष बकाया था। इसका अर्थ है कि 2019-20 के दौरान इस धनराशि के लेन-देन को लेखे के अंतिम शीर्ष में लेना बाकी था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उच्चत-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के लेखों की प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत तक समायोजित करना एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना है। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 266.57 करोड़ (90.49 प्रतिशत) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (9.51 प्रतिशत) की राशि लघु शीर्ष-112 से जारी की गई। इसका मतलब है कि मार्च 2020 तक आई टी विभाग को ₹ 238.54 करोड़ की राशि बिना क्रेडिट के पड़ी थी। हालाँकि, वर्ष 2019-20 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2018-19 की तुलना में कम (₹ 287.28 करोड़) था।


उपरोक्त के अलावा, यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष-उच्चत के अंतर्गत इन लघु शीर्ष लेखों के तहत कोई प्रतिकूल शेष नहीं था।

4.12 विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है। यह नियंत्रण अधिकारी को खर्च पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसा मिलान 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) (79.03 प्रतिशत) जिसमें ₹ 21,153.13 करोड़ (कुल व्यय ₹ 38,272.98 करोड़¹ का 55.27 प्रतिशत) व्यय के आच्छादन में से 49 मु नि अ द्वारा पूरा किया गया (सात मु नि अ द्वारा पूर्णतः तथा 42 मु नि अ द्वारा आंशिक) और 48 मु नि अ (77.08 प्रतिशत) में से 37 मु नि अ (छ: मु नि अ द्वारा पूर्णतय और 31 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से) जिसमें ₹ 29,287.77 करोड़ (₹ 30,722.57 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 95.33 प्रतिशत) की प्राप्तियों का आच्छादन था।

2017-18 से 2019-20 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट-4.7 में दिखाया गया है।



¹ कुल व्यय ₹ 38,272.98 करोड़ में ऋण एवं अग्रिमों का ₹ 125.78 करोड़ का वितरण सम्मिलित नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा तालिका-4.17 में दिया गया है।

तालिका-4.17: प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूरी तरह से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान का प्रतिशत
प्राप्तियाँ							
2017-18	48	36	-	12	27,104.57	23,860.46	88.03
2018-19	48	48	-	00	31,216.45	29,555.88	94.68
2019-20	48	06	31	11	30,722.57	29,287.77	95.33
व्यय							
2017-18	62	48	-	14	34,997.06	31,263.90	89.33
2018-19	62	55	-	07	38,380.44	36,524.41	95.16
2019-20	62	07	42	13	38,272.98	21,153.13	55.27

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 2019-20 में तैयार वित्त लेखे।

मिलान और आँकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में कोडल प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग होती है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि के संबंध में वर्ष 2019-20 में मिलान वर्ष 2018-19 में 95.16 प्रतिशत के सापेक्ष 55.27 प्रतिशत हो गया।

4.13 नगद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बहिखाते के अनुसार 31 मार्च 2020 तक का नगद शेष ₹ 595.25 करोड़ था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वारा निकाले गए नगद शेष और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा रिपोर्ट किए गये नगद शेष जो ₹ 423.90 करोड़ था, के बीच ₹ 171.35 करोड़ का निवल अंतर था। यह अंतर स्क़ॉल न मिलने आदि के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड ने कहा कि मामला मिलान के लिए आर बी आई और कोषाध्यक्षों के पास विचाराधीन था। इसके अलावा, 2016-17 से 2018-19 तक विलंबित जमा के कारण एजेंसी बैंक द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किए जाने वाले अर्थदंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 4.40 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था तथा राज्य सरकार और निधि निपटान लिंक ऑफिस, भारतीय स्टेट बैंक कानपुर को सूचित किया गया था। हालाँकि, उक्त अर्थदंड ब्याज को राज्य सरकार के खातों में जमा किया जाना शेष था। वर्ष 2019-20 के दौरान, आर बी आई ने मिलान के परिणामस्वरूप ₹ 2,140.25 करोड़ (₹ 2,148.41 करोड़ डेबिट और ₹ 8.16 करोड़ क्रेडिट) को मंजूरी दे दी। 2019-20 में कोई नकद शेष अंतर बढ़े लेखे में नहीं डाला गया था।

4.14 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा तीन भारत सरकार का लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन तालिका-4.18 में विस्तृत है।

तालिका-4.18: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ	इस मानक के लिए सरकार को वर्ष के अंत में अतिरिक्त, विलोपन, लागू कमी और बकाया के साथ-साथ अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियाँ की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अर्थात यह विवरण उस हद तक अधूरा है।
2.	आई जी ए एस-2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 की जरूरत उस हद तक पूरी नहीं हुई है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य ने ₹ 4,800.18 करोड़ की अनुदान राशि जारी की और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ₹ 553.98 करोड़ की राशि का प्रावधान किया।
3.	आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय इसके कि ऋण, यदि कोई हो, जिसे नित्यता के लिए स्वीकृत किया गया था।

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून द्वारा बनाए गए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, जैसा भी मामला हो, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखापरीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय के प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। ये एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

4.15.1 निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

प्राधिकरणों के लेखों के बकाया का ब्योरा तालिका-4.19 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.19: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2019-20 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2016-17	04
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवम निर्माण निगम	2019-20	01
3.	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण	2017-18	03
4.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2019-20	01
5.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, देहरादून	स्थापना से लेखे लंबित (2005)	

तालिका-4.19 से देखा जा सकता है कि इन पाँच प्राधिकरणों के लेखे एक वर्ष से 15 वर्ष तक लंबित हैं।

4.16 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के काम-काज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है। इस तरह की तैयारी के बाद, यथाशीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बनाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की किसी भी टिप्पणी या पूरक के साथ रखा जाना चाहिए। संबंधित अधिनियमों में वैधानिक निगमों (विभागीय उपक्रमों सहित) को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। विभागीय उपक्रम वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ करते हैं। उन्हें संचालन के कार्य परिणामों को दिखाते हुए, निर्धारित प्रारूप में सालाना प्रोफार्मा लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है ताकि सरकार उनके काम का आकलन कर सके।

उपरोक्त तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों और निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम बैठक रखने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि दो आम

बैठक के बीच 15 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त आम बैठक में रखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 129 (7) कंपनी अधिनियम के धारा 129 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने और कारावास का प्रावधान करती है।

4.16.1 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने में देरी

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ करने वाले तीन विभागीय उपक्रमों को प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय संचालन के कार्य परिणाम दिखाते हैं ताकि सरकार उनके कामकाज का आकलन कर सके। सरकार के अंतर्गत विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करें। मार्च 2020 तक, प्रोफार्मा लेखों को तैयार करने और सरकार द्वारा किए गए निवेश की विभागानुसार स्थिति तालिका-4.20 में दी गई है।

तालिका-4.20: लेखों को अंतिम रूप देने और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अंतिम लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों की तैयारी में देरी के लिए टिप्पणियाँ/कारण
सिंचाई विभाग				
1.	सिंचाई कार्यशाला प्रभाग, रुड़की	2011-12	1.92	#
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	#	#
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07		

#सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधानमंडल के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप, आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार समय पर नहीं किया जा सकता है। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के गलत उपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4.16.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे प्रस्तुत करने में देरी

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे फरवरी 2021 के अन्त तक बकाया हैं, उनकी स्थिति का विवरण तालिका-4.21 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.21: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थिति जिनके लेखे बकाया हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वह अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	लंबित लेखों की संख्या	निवेश	हानि/लाभ
1.	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2019-20	3	1.20	(-) 13.85
2.	उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2019-20	11	17.46	0.86
3.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18 से 2019-20	3	26.00	5.05
4.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है	2019-20	1	4.00	3.17
5.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2019-20	6	8.95	(-) 2.21
6.	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2019-20	1	17.99	4.40
7.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2019-20	14	13.42	(-) 1.51
8.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2019-20	8	6.79	(-) 1.54
9.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	स्थापना से			लागू नहीं
10.	इको टूरिज्म विकास निगम उत्तराखण्ड	स्थापना से			लागू नहीं
11.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2019-20	1	0.00	0.06
12.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2016-17 से 2019-20	4	229.36	(-) 11.99
13.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2019-20	1	0.00	15.88
14.	किशाऊ निगम लिमिटेड	2017-18 से 2019-20 (स्थापना से)	3		लागू नहीं
15.	यू पी ए आई लिमिटेड (31.03.1991 से परिसमापन के अंतर्गत)	1989-90 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.17	0.00
16.	ट्रांस केबल लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	2000-01 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.00	(-) 0.84
17.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1997-98 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.00	(-) 1.19
18.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निगम की सहायक)	1990-91 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.00	(-) 0.02
19.	उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निगम की सहायक)	1987-88 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निगम की सहायक)	1989-90 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.00	0.00
21.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	2009-10 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.20	(-) 0.19
22.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2019-20	सतत चूककर्ता	0.22	(-) 0.02

22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसे थे जिनके लेखे एक से 33 वर्ष तक बकाया थे। 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में से आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को लेखे भेजने में सतत चूककर्ता थे। इसके अतिरिक्त, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया थे उनमें हानि हुई और इनमें प्रदत्त पूँजी ₹ 275.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 491.85 करोड़ की संचित हानि थी।

4.17 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए, सरकार/विभागों

के प्रमुखों को प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई थी, और संस्थानों का कुल व्यय आदि विस्तृत जानकारी, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रदान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या अधिकारियों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान/या ऋण में ₹ 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जो यह दर्शाता है (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय।

यद्यपि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। हालाँकि, 27 निकायों में से 13 निकायों के मामले में सूचना सीधे इस कार्यालय को उन संस्थाओं से प्राप्त हुई, जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया था। सूचना का अप्रस्तुतिकरण लेखापरीक्षा और लेखा, (संशोधन) 2020 पर विनियमों का उल्लंघन था।

4.18 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

2019-20 के दौरान सभी लेखा प्रतिपादन करने वाली संस्थाएँ (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन प्रभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपती हैं, ने समय पर अपने लेखों को सौंप दिया था और छूटने का कोई प्रकरण नहीं था।

4.19 गबन, हानि, चोरी आदि

लेखापरीक्षा में 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 76.61 लाख की सरकारी धनराशि से जुड़े गबन के दो मामलों का अवलोकन किया गया, जिस पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। हालाँकि, 2019-20 के दौरान धाँधली, नुकसान, चोरी आदि के कोई मामले नहीं देखे गए। इन दोनों मामलों का विवरण तालिका-4.22 में दिया गया है।

तालिका-4.22: हानि एवं गबन के मामलों का विवरण

विभाग का नाम	गबन/हानि/सरकारी सामग्री की चोरी के मामले		गबन, हानि, चोरी आदि लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण
	मामलों की संख्या	कुल धनराशि (₹ लाख में)	विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार
शिक्षा विभाग	01	7.00	चंपावत न्यायालय में लंबित
सिंचाई विभाग	01	69.61	नैनीताल न्यायालय में लंबित
योग	02	76.61	

4.20 लेखा शीर्षों का अनाधिकृत संचालन

राज्य सरकार द्वारा 2019-20 के दौरान लेखाशीर्षों के अंतर्गत व्ययों की बुकिंग का विवरण जो मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुरूप नहीं है नीचे तालिका-4.23 में दिए गए हैं:

तालिका-4.23: लेखा शीर्षों का अनाधिकृत संचालन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	राशि (₹ लाख में)
1.	3604-01 एवं 02	1,716.67
2.	2810-02 एवं 60	13.30
3.	2501-01	93.41
4.	2070-104	14.74
5.	2059-80-102	2.14
योग		1,840.26

स्रोत: लेखों पर टिप्पणी 2019-20।

2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,840.26 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 32,858.80 करोड़ का 5.60 प्रतिशत) की राशि विभिन्न लेखों के शीर्षों के अंतर्गत बुक की गई थी, जो कि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में दर्ज नहीं हैं। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

4.21 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके बनाए जाने से चर्चा नहीं की है जबकि लोक लेखा समिति के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था।

4.22 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2019 तक दिये गए ₹ 99.44 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 52 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2020 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2020 तक ₹ 3.01 करोड़ के 37 संक्षिप्त आकस्मिक बिल बकाया थे। पाँच स्वायत्त निकायों और 25 सार्वजनिक उपक्रमों से संबन्धित लेखे बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित वाले बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपूर्ण अनुश्रवण तंत्र को इंगित करता है।
- 2019-20 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय का मिलान 55.27 प्रतिशत था। राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बुक किये गए प्राप्तियों एवं व्ययों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकड़ों से मिलान न किया जाना सरकार के भीतर खराब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है और लेखों की शुद्धता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय और प्राप्तियाँ बुक की गई थी। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के संचालन ने

वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को असुरक्षित किया।

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

4.23 संस्तुतियाँ

- सरकार, विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के सम्बन्ध में समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना और विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रेषण करना सुनिश्चित कर सकती है।
- सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान करें।
- राज्य सरकार को बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष 800 का संचालन हतोत्साहित करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि समुचित लेखा शीर्ष में पहचान कर बहीखातों में ठीक प्रकार से लेन देन वर्गीकृत किया जा सके।
- राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अध्याय-5
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा की गयी है, जैसाकि उनके लेखों से विदित होता है। वर्ष 2019-20 (या पूर्व के वर्षों में जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गयी है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, किसी भी अन्य कंपनी¹ जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नि म ले प द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ सहपठित नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नि म ले प चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, नि म ले प को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। विधायिका द्वारा नियंत्रित कुछ सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा केवल नि म ले प द्वारा की जाती है।

¹ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (कठिनाईयों को दूर करना) सातवें आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा।

5.3 रा सा क्षे उ तथा राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान

रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की कंपनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों हेतु रा सा क्षे उ स्थापित किए जाते हैं। 31 मार्च 2020 तक, उत्तराखण्ड में 30² रा सा क्षे उ थे, जिनमें तीन³ सांविधिक निगम और 27 सरकारी कंपनियाँ (आठ अकार्यरत सरकारी कंपनियों⁴ सहित) नि म ले प के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। इन रा सा क्षे उ का नाम **परिशिष्ट-5.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी सरकारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। राज्य में आठ⁵ अकार्यरत रा सा क्षे उ हैं। ये पिछले आठ से 33 वर्षों से अकार्यरत हैं और इसमें ₹ 27.24 करोड़ का निवेश पूँजी (₹ 3.36 करोड़) और दीर्घावधि के लिए ऋण (₹ 23.88 करोड़) में किया गया है। यह एक संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता है।

रा सा क्षे उ के आवर्त का अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) राज्य अर्थव्यवस्था में रा सा क्षे उ की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए रा सा क्षे उ और स रा घ उ के आवर्त का विवरण नीचे **तालिका-5.1** में दिया गया है।

तालिका-5.1: उत्तराखण्ड के रा सा क्षे उ के सापेक्ष स रा घ उ के आवर्त का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	8,770.99	9,275.08	10,148.52
उत्तराखण्ड का स रा घ उ	2,22,836	2,45,895	2,53,666
उत्तराखण्ड के स रा घ उ से टर्नओवर का प्रतिशत	3.94	3.77	4.00

² 25 रा सा क्षे उ के विवरणों पर चर्चा की गयी जिनमें से तीन रा सा क्षे उ किसान निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम और उत्तराखण्ड के इकोटूरिज्म कॉर्पोरेशन निगम के प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, दो अकार्यरत रा सा क्षे उ अर्थात् उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टेज लिमिटेड के विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

³ उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवम् निर्माण निगम।

⁴ अकार्यरत सरकारी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

⁵ यू पी ए आई, ट्रांस केबल लिमिटेड (कुमाँ मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (कुमाँ मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमट्रॉन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँ मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)। इसके अलावा, चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रमशः गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, ट्रांस केबल लिमिटेड और उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड, जो 2016-17 तक कार्यरत थे, उन्हें वर्ष 2018-19 के लिए अकार्यरत रा सा क्षे उ के रूप में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इन रा सा क्षे उ में कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं हुई है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इन रा सा क्षे उ के आवर्त में 2017-18 की तुलना में 2019-20 के दौरान 15.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि संबंधित वर्षों में उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार दर्ज की गयी है। यद्यपि, स रा घ उ में रा सा क्षे उ का योगदान सीमांत है।

5.4 रा सा क्षे उ में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 रा सा क्षे उ में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण तालिका-5.2 में नीचे दिए गए हैं।

तालिका-5.2: रा सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश

निवेश ⁶ (₹ करोड़ में)					
क्षेत्र का नाम	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की पूंजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण
ऊर्जा	3,273.97	3,273.97	3,398.45	507.02	6,672.42
वित्त	24.45	17.88	3.82	1.17	28.27
सेवाएँ	258.81	249.57	92.20	29.81	351.01
आधारभूत संरचना	33.00	30.30	268.47	24.02	301.47
अन्य	41.42	35.93	288.57	263.96	329.99
योग	3,631.65	3,607.65	4,051.51	825.98	7,683.16

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

रा सा क्षे उ के नवीनतम निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 7,683.16 करोड़ के कुल निवेश का 86.84 प्रतिशत (₹ 6,672.42 करोड़) प्राप्त हुआ था।

5.4.2 रा सा क्षे उ में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

रा सा क्षे उ में से किसी ने भी अपने शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किए हैं।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान, रा सा क्षे उ के निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था। राज्य सरकार ने रा सा क्षे उ में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

5.5 रा सा क्षे उ से प्रतिफल

5.5.1 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ

2018-19 में सात की तुलना में 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या 10 थी। 2019-20 में लाभ 2018-19 की तुलना में ₹ 106.06 करोड़ से बढ़कर ₹ 258.80 करोड़ हो गया।

⁶ निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

2018-19 में सात रा सा क्षे उ में 3.17 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 10 रा सा क्षे उ की इक्विटी (आर ओ ई) पर लाभ बढ़कर 7.36 प्रतिशत हो गया। 2019-20 में 13⁷ हानि में रहने वाली सहित सभी 25 रा सा क्षे उ में इक्विटी पर लाभ (आर ओ ई) (-) 54.71 प्रतिशत था।

शीर्ष तीन रा सा क्षे उ, जिन्होंने अधिकतम लाभ अर्जित किया, का विवरण नीचे दी गयी तालिका-5.3 में संक्षेपित है।

तालिका-5.3: शीर्ष तीन रा सा क्षे उ जिन्होंने अधिकतम लाभ अर्जित किया

रा सा क्षे उ का नाम	शुद्ध अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	कुल रा सा क्षे उ के लाभ में लाभ की प्रतिशतता
यू जे वी एन लिमिटेड	123.01	47.53
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	97.34	37.61
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	15.88	6.13
योग	236.23	91.28

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2019-20 के दौरान, शुद्ध लाभ ₹ 236.23 करोड़ जो की रा सा क्षे उ के कुल लाभ का 91.28 प्रतिशत था, में मुख्यतः योगदान तीन रा सा क्षे उ का था।

5.5.2 रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी शेयर पूँजी पर रा सा क्षे उ द्वारा न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना होगा। ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को भुगतान किये गये लाभांश की राशि नीचे तालिका-5.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका-5.4: बिजली क्षेत्र रा सा क्षे उ के लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभांश घोषित करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5
2017-18	1	1,167.86	63.73	27.28
2018-19	1	1,190.99	26.24	22.53
2019-20	2	1,829.06	220.35	16.93

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

केवल एक ऊर्जा क्षेत्र (यू जे वी एन लिमिटेड) ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान लाभांश भुगतान/घोषित किया जबकि उत्तराखण्ड के ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड और यू जे वी एन लिमिटेड ने

⁷ एक रा सा क्षे उ अर्थात् देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड लाभ-अलाभ स्थिति पर कार्यरत है क्योंकि इसे व्ययों को पूरा करने के लिए केवल एक सरकारी अनुदान प्राप्त है और एक रा सा क्षे उ अर्थात् यू पी ए आई परिसमापन के अन्तर्गत था। इसके अलावा, इन 13 हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ में से एक गैर-कार्यशील रा सा क्षे उ अर्थात् गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड सम्मिलित है।

2019-20 के दौरान लाभांश भुगतान/घोषित किया। साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र के अलावा किसी भी रा सा क्षे उ ने लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

5.6 ऋण सेवा

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी के उपार्जन (ई बी आई टी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की कंपनी की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। रा सा क्षे उ में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण जिसमें ब्याज का भार था, नीचे दी गयी तालिका-5.5 में दिया गया है।

तालिका-5.5: रा सा क्षे उ का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ई बी आई टी) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले रा सा क्षे उ ⁸ की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2017-18	431.14	170.23	13	6	7 ⁹
2018-19	297.61	(-) 289.42	12	3	9 ¹⁰
2019-20	264.29	(-) 33.80	12	6	6 ¹¹

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2019-20 में छः रा सा क्षे उ¹² का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक छः रा सा क्षे उ का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। अतः रा सा क्षे उ ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रहे थे।

⁸ एक ऊर्जा क्षेत्र पी एस ई किशाऊ निगम लिमिटेड को नहीं माना गया है क्योंकि इसका परिचालन मार्च 2020 तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।

⁹ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

¹⁰ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम और पुल, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

¹¹ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड।

¹² यू जे वी एन लिमिटेड, उत्तराखण्ड विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, पुल, रोपवे एवं उत्तराखण्ड के अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

5.7 निजी कंपनियों के सापेक्ष सूचीबद्ध रा सा क्षे उ का प्रदर्शन

चूँकि उत्तराखण्ड में कोई भी रा सा क्षे उ सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए निजी कंपनियों के साथ रा सा क्षे उ के प्रदर्शन की तुलना नहीं की जा सकती।

5.7.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है, जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है। आर ओ सी ई की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय (ई बी आई टी) को पूँजी द्वारा¹³ विभाजित करके की जाती है। आर ओ सी ई का 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान का विवरण तालिका-5.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.6: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ई बी आई टी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर ओ सी ई (प्रतिशत में)
2017-18	177.75	5,050.68	3.52
2018-19	(-) 283.77	4,529.40	(-) 6.26
2019-20	(-) 220.38	4,737.77	(-) 4.65

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण।

यह देखा गया कि 2017-18 में आर ओ सी ई सकारात्मक था। यद्यपि, 2018-19 में यह नकारात्मक हो गया तथा 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें मामूली सुधार हुआ।

5.7.2 रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि लाभ के लिए किसी कंपनी की सम्पति का कितना प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। शुद्ध आय (अर्थात् करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयर धारक निधि से विभाजित करके आर ओ ई की गणना की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि शुद्ध आय और शेयर धारक निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है।

शेयर धारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी और मुक्त कोषों में से, शुद्ध संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी सम्पत्तियाँ बेची जाती है और सभी ऋणों का भुगतान किया जाता है तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। सकारात्मक शेयर धारकों के फंड से पता चलता है कि कंपनी ने अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सम्पति जमा की है जबकि नकारात्मक शेयर धारक इक्विटी का अर्थ है कि देनदारियाँ सम्पति से अधिक हैं।

रा सा क्षे उ से संबंधित शेयर धारकों के फंड और आर ओ ई का विवरण निम्न तालिका-5.7 में दिया गया है।

¹³ नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त आरक्षित जमा एवं आधिक्य + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका-5.7: रा सा क्षे उ से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल जिनमे राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारक निधि (₹ करोड़ में)	आर ओ ई (प्रतिशत में)
2017-18	(-) 238.89	944.00	--
2018-19	(-) 587.81	956.48	--
2019-20	(-) 375.44	686.26	--

चूँकि 2017-18 से 2019-20 के दौरान रा सा क्षे उ की शुद्ध आय ऋणात्मक थी, इसलिए आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी।

5.8 रा सा क्षे उ जिनमें हानि हुई

5.8.1 वहन की गई हानि

मार्च 2020 के अंत तक अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानि वहन करने वाले 13¹⁴ रा सा क्षे उ थे। इन रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गई हानि 2017-18 में ₹ 371.62 करोड़ से बढ़कर ₹ 623.24 करोड़ हो गयी जैसाकि उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार तालिका-5.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.8: 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में रहने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	कुल मूल्य ¹⁵
सांविधिक निगम				
2017-18	02	(-) 51.49	(-) 662.04	2,006.21
2018-19	03	(-) 20.36	(-) 310.10	(-) 71.50
2019-20	01	(-) 11.99	(-) 427.65	(-) 189.05
सरकारी कंपनियाँ				
2017-18	10	(-) 320.13	(-) 3,152.36	(-) 1,787.31
2018-19	13	(-) 673.51	(-) 3,806.25	(-) 2,316.84
2019-20	12	(-) 622.25	(-) 4,127.34	(-) 2,639.93
योग				
2017-18	12	(-) 371.62	(-) 3,814.40	218.90
2018-19	16	(-) 693.87	(-) 4,116.35	(-) 2,388.34
2019-20	13	(-) 634.24	(-) 4,554.99	(-) 2,828.97

वर्ष 2019-20 में, 13 रा सा क्षे उ द्वारा वहन की गई ₹ 634.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 577.31 करोड़ की हानि एक रा सा क्षे उ (उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा वहन की गई।

¹⁴ 13 रा सा क्षे उ में एक गैर कार्यशील रा सा क्षे उ गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड भी सम्मिलित है।

¹⁵ कुल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूँजी और स्वतंत्र आरक्षित जमा और आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाना। स्वतंत्र आरक्षित जमा का अर्थ है, लाभ के लिए सृजित सभी भंडार और शेयर प्रीमियम खाता, लेकिन परिसम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन से सृजित भंडार और मूल्य हास प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है।

5.8.2 रा सा क्षे उ में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक, 15 रा सा क्षे उ थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 5,134.38 करोड़ थी। इन 15 रा सा क्षे उ में से 12 रा सा क्षे उ ने ₹ 628.73 करोड़ की हानि वहन की और दो रा सा क्षे उ ने हानि वहन नहीं की, यद्यपि उनकी संचित हानि उनके अंतिम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 543.44 करोड़ थी। 15 रा सा क्षे उ में से एक (यू पी ए आई लिमिटेड) परिसमापन में था।

15 में से 11 रा सा क्षे उ का निवल मूल्य, संचित हानि से पूरी तरह समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। इन 11 रा सा क्षे उ का निवल मूल्य 31 मार्च 2020 तक ₹ 1,723.11 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 3,410.49 करोड़ था। 11 रा सा क्षे उ में से, जिनकी पूँजी का क्षय हुआ था (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य होने के कारण), दो रा सा क्षे उ ने 2019-20 के दौरान ₹ 4.46 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। 15 में से 11 रा सा क्षे उ पर, जिनकी पूँजी का क्षय हो गया था, 31 मार्च 2020 को बकाया सरकारी ऋण ₹ 307.69 करोड़ था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा

नि म ले प एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। नि म ले प के पास पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। विधायी शासित कुछ निगमों में यह प्रावधानित है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा नि म ले प द्वारा की जाए और प्रतिवेदन विधायिका को सौंपा जाए।

5.10 नि म ले प द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधानित है कि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नि म ले प द्वारा की जानी है।

वर्ष 2019-20 के लिए नि म ले प द्वारा उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2019 के दौरान की गई।

5.11 रा सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक¹⁶ (ए जी एम) के तीन माह के भीतर तैयार की जानी है। उनके बनने के तुरंत बाद, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं नि म ले प की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा

¹⁶ प्रथम ए जी एम के मामले में, यह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन की दिनांक से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति, अर्थात् 30 सितम्बर, से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।

प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ वार्षिक प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाने चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान संबंधित अधिनियम में अधिनियमित है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए लोक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की ए जी एम करने की आवश्यकता होती है। यह भी अंकित है कि एक ए जी एम की तारीख से आगामी ए जी एम के मध्य 15 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त ए जी एम में प्रस्तुत करना होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन पर उत्तरदायी व्यक्तियों, कंपनी के निदेशकों सहित, पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।

विभिन्न रा सा क्षे उ के वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2020 तक लम्बित थे, जैसाकि निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है।

5.11.2 रा सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक, नि म ले प की लेखापरीक्षा के दायरे में 27 सरकारी कंपनियाँ थी। इनमें से वर्ष 2019-20 के लिए 26 कंपनियों, यू पी ए आई (31.03.1991 से परिसमापन के तहत) को छोड़कर, के लेखे देय थे। यद्यपि, केवल पाँच सरकारी कंपनियों ने 31 दिसम्बर 2020¹⁷ तक नि म ले प को लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 21 सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कंपनियों के शेष लेखों को जमा करने का विवरण नीचे तालिका-5.9 में दिया गया है।

तालिका-5.9: सरकारी कंपनी के जमा किए जाने वाले शेष लेखों का विवरण

विवरण		सरकारी कंपनियाँ
31.03.2020 तक नि म ले प की लेखापरीक्षा के दायरे में कुल कंपनियों की संख्या		27
घटाएँ नई कंपनियाँ जिनमें 2019-20 के लेखे बकाया नहीं थे		0
कंपनियों की संख्या, जिन पर 2019-20 के लेखे बकाया थे		26 ¹⁸
उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए 31 दिसम्बर 2020 तक नि म ले प की लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत किए।		05
बकाया लेखों की संख्या (21 सरकारी कंपनियाँ)		248
बकाया का विभाजन	(i) परिसमापन के तहत	01
	(ii) मृत	178
	(iii) अन्य	70
अन्य श्रेणी के सापेक्ष बकाया समयवार विश्लेषण	एक वर्ष (2019-20)	4
	दो वर्ष (2018-19, 2019-20)	2
	तीन वर्ष और अधिक	64

¹⁷ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों के लिए ए जी एम की तिथि कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आदेश दिनांक 17 अगस्त 2020 के अनुसार, 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ा दी गयी थी।

¹⁸ यू पी ए आई लिमिटेड, जो परिसमापन पर थी, के कोई लेखे बकाया नहीं थे और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

नि म ले प द्वारा तीन सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की गई है। तीन सांविधिक निगमों के, जहाँ नि म ले प एक मात्र लेखापरीक्षक है, वर्ष 2019-20 के लिए कोई भी लेखे 31 दिसम्बर 2020 से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये थे। 31 दिसम्बर 2020 तक इन सांविधिक निगमों के छः लेखे लम्बित थे।

5.12 नि म ले प का पर्यवेक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रारूप और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा सिद्धांत जो लेखा सिद्धांतों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से हैं, वित्तीय विवरण तैयार करने आवश्यक हैं। सांविधिक निगमों को नियमों, जो नि म ले प के परामर्श से बनाए गए हैं और ऐसे निगमों को संचालित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत, निर्धारित प्रारूप में अपने लेखों को तैयार करने की आवश्यकता है।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

नि म ले प द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

नि म ले प सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन के पर्यवेक्षण के लिए एक समग्र भूमिका निभाता है, जिससे कि सांविधिक लेखापरीक्षक उसे सौंपे गए कार्यों को ठीक और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। यह कार्य शक्तियों के प्रयोग द्वारा निर्वहन किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक लेखापरीक्षा अथवा टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व इकाई के प्रबंधन का है।

सांविधिक लेखापरीक्षक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नि म ले प द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत, स्वतंत्र लेखापरीक्षा के सिद्धांतों के अनुसार भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के सैद्धांतिक लेखापरीक्षा प्रावधान और नि म ले प द्वारा दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नि म ले प को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नि म ले प एक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करता है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत प्रतिवेदित को ए जी एम के सम्मुख रखा जाएगा।

5.13 नि म ले प की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

30 सितम्बर 2020 तक 10 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2019-20 और विगत वर्षों के लिए ग्यारह वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। नि म ले प द्वारा लेखापरीक्षा में रा सा क्षे उ के पाँच वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई और छः रा सा क्षे उ के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

5.13.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

वर्ष 2019-20 के दौरान, सरकारी कंपनियों का कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसे ए जी एम के सम्मुख रखने से पूर्व उनके वित्तीय विवरणों में संशोधन किया हो।

5.13.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2019-20 के दौरान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, नि म ले प द्वारा आयोजित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में पुनरीक्षण का कोई प्रकरण नहीं है।

5.13.4 सरकारी कंपनियों पर नि म ले प की सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 और विगत वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात नि म ले प ने पाँच सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की।

सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनमें से वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 38.86 करोड़ और सम्पत्ति/देनदारियों पर ₹ 57.22 करोड़, नीचे तालिका-5.10 और तालिका-5.11 में विस्तृत की गयी हैं।

तालिका-5.10: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के लिए ₹ 22.01 करोड़ से अधिक का लाभ दर्शाया गया क्योंकि कंपनी ने अर्जित ब्याज ₹ 22.01 करोड़ (भूमि प्रीमियम पर ब्याज शुल्क ₹ 14.83 करोड़ और लीज रेंट ₹ 7.18 करोड़ पर ब्याज) का प्रावधान नहीं किया था, जो राज्य सरकार को देय था। कंपनी द्वारा हुडको से लिए गए ऋण के संबंध में राज्य सरकार को गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण गारंटी शुल्क ₹ 3.58 करोड़ तथा जुर्माने (एक प्रतिशत) का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अल्पावधि प्रावधानों को कम दर्शाया और लाभ को ₹ 3.58 करोड़ अधिक दर्शाया गया। पूँजीगत कार्य प्रगति (सी डब्ल्यू आई पी) में सिडकुल द्वारा ₹ 6.76 करोड़ की राशि, जिसमें सिडकुल परिसर के बाहर सड़क निर्माण का व्यय सम्मिलित है। चूँकि कंपनी द्वारा किए गए व्यय के परिणामस्वरूप कंपनी के नाम पर किसी भी सम्पत्ति का निर्माण नहीं हुआ था और कार्य वर्ष 2016-17 में भी पूरा हो गया था, इसलिए इसे व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और लाभ और हानि खाते में अंकित करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप सी डब्ल्यू आई पी को ₹ 5.61 करोड़ से अधिक और ठेकेदार द्वारा अग्रिम ₹ 1.15 करोड़ के साथ-साथ ₹ 6.76 करोड़ का लाभ अधिक दर्शाया गया। सी डब्ल्यू आई पी में उत्तराखण्ड सरकार के निर्देश पर ₹ 3.56 करोड़ की राशि के लिए सिडकुल द्वारा किए गए व्यय को सम्मिलित किया गया था (राज्य सरकार की ओर से व्यापार की सहूलियत के लिए ₹ 1.59 करोड़ का परामर्श शुल्क, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल पर ₹ 1.24 करोड़ और ₹ 0.73 करोड़ भू-निर्माण और बागवानी रखरखाव कार्यों इत्यादि)। इन व्ययों के परिणामस्वरूप कंपनी के नाम पर किसी भी सम्पत्ति का निर्माण नहीं हुआ था, जिसे लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.56 करोड़ से सी डब्ल्यू आई पी तथा उतनी ही राशि का लाभ अधिक दर्शाया गया।
2.	यू जे वी एन लिमिटेड (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने अपनी ढकरानी पाँवर परियोजना में बिजली उत्पादित की और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिकृत वितरण लाइसेंस (यू पी सी एल) के माध्यम से आपूर्ति करने के बजाय स्वयं ठेकेदारों को आपूर्ति की। इस संबंध में दर्ज की गयी आय ₹ 2.95 करोड़ थी। यह सही नहीं था क्योंकि यह यू जे वी एन लिमिटेड से संबंधित नहीं था, इसलिए इसे यू पी सी एल को देय के रूप में हस्तांतरित/दर्शाया जाना चाहिए क्योंकि यू पी सी एल राज्य में एकमात्र वितरण लाइसेंसधारी है। इसी प्रकार, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 11.63 करोड़ की धनराशि भी प्रतिधारित आय में सम्मिलित की गयी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष में ₹ 2.95 करोड़ से लाभ और साथ ही साथ ₹ 11.63 करोड़ प्रतिधारित आय अधिक दर्शाई गई और ₹ 14.58 करोड़ की अन्य देनदारियों को कम दर्शाया गया।

तालिका-5.11: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> मूर्त सम्पत्ति में वर्ष 2016-17 के दौरान भीमताल, जशोधरपुर, कोटद्वार, बहादुराबाद और सितारगंज में सम्पन्न हुए सिविल कार्यों की राशि ₹ 24.51 करोड़ सम्मिलित नहीं थी, जिसे गलत तरीके से पूँजीगत कार्य प्रगति (सी डब्ल्यू आई पी.) के रूप में दर्शाया गया था। गैर पूँजीकरण के कारण, इन परिसम्पत्तियों पर 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूल्य हास का प्रावधान नहीं किया गया था। परिसम्पत्तियों के गैर-पूँजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 23.42 (शुद्ध ब्लॉक) करोड़ से मूर्त सम्पत्तियों को कम दिखाया गया। अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में सिडकुल द्वारा सी ई ओ राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून दक्षिण स्टैंड नामकरण अधिकार के लिए, किए गए ₹ 25 करोड़ के भुगतान सम्मिलित थे। ए एस-26 के अनुसार, एक अमूर्त सम्पत्ति की मूल्य हास राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक व्यवस्थित रूप में आंशिक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अमूर्त सम्पत्ति का उपयोगी जीवन उस तारीख से दस वर्ष से अधिक नहीं होगा जब परिसम्पत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो। जब परिसम्पत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो तो परिशोधन शुरू हो जाना चाहिए। वर्ष 2016-17 में स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। इसलिए कंपनी के नामकरण अधिकारों के लिए किए गए भुगतान को अमूर्त सम्पत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और आनुपातिक आधार पर परिशोधन किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया था। गैर-पूँजीकरण और किए गए भुगतान के परिशोधन के कारण अमूर्त सम्पत्तियों की कीमत ₹ 24.28 करोड़ कम दर्शाई गई और वर्ष के लिए लाभ का आधिक्य ₹ 0.72 करोड़ और अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों द्वारा ₹ 25 करोड़ से अधिक दर्शाई गई।
2.	यू जे वी एन लिमिटेड (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हाइब्रिड सिस्टम (सिस्टम) की लागत ₹ 8.80 करोड़ सम्मिलित नहीं थी, जिसे छिबरो पॉवर स्टेशन में स्थापित किया गया था (20 मार्च 2020)। जैसाकि सिस्टम 31 मार्च 2020 से पहले स्थापित किया गया था, इसे पूँजीगत कार्य प्रगति पर दर्शाने के बजाय पूँजीकृत होना चाहिए था। इसके अलावा, सिस्टम की शेष लागत ₹ 0.54 करोड़ के लिए देनदारी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूँजीगत कार्य प्रगति ₹ 8.26 करोड़ से अधिक दर्शायी गयी, ₹ 0.54 करोड़ की अन्य देनदारियों के साथ साथ सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में ₹ 8.80 करोड़ से कम दर्शाया गया।

5.13.5 सांविधिक निगम जहाँ नि म ले प एक मात्र लेखापरीक्षक है

नि म ले प द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी की गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जहाँ नि म ले प एकमात्र लेखापरीक्षक है, जिनमें लाभ पर वित्तीय प्रभाव ₹ 124.79 करोड़ था, नीचे विस्तृत हैं:

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (2018-19)

- निगम ने सातवें वेतन आयोग के एरियर का प्रावधान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.68 करोड़ का लाभ अधिक दर्शाया गया।

- निगम ने ₹ 25.66 करोड़ की राशि से ग्रेच्युटी का कम प्रावधान किया, परिणामस्वरूप उतनी ही धनराशि से लाभ को अधिक दर्शाया गया।
- निगम ने समूह अवकाश नकदीकरण योजना का कम प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.07 करोड़ का लाभ अधिक दर्शाया गया।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (वर्ष 2018-19)

- वर्तमान दायित्व और प्रावधानों में (i) ₹ 4.31 करोड़, 31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले 96 कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण का दायित्व, (ii) ₹ 54.65 लाख जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक 3 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते के दायित्व और (iii) ₹ 2.52 करोड़, वर्ष 2018-19 के लिए बकाया व्ययों के दायित्व होने के कारण, वर्ष 2019-20 में भुगतान किए गए। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों और प्रावधानों को कम दर्शाया गया और अधिशेष को ₹ 7.38 करोड़ से आधिक्य दर्शाया गया।

5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा प्रकरणों पर, लेखापरीक्षक एवं जिसके पास कॉर्पोरेट इकाई के सुशासन का उत्तरदायित्व है, के मध्य संचार स्थापित करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख अवलोकन नि म ले प द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत टिप्पणियों के रूप में सूचित किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि म ले प द्वारा अवलोकित की गयी अनियमितता या कमियों से भी, सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया। वर्ष के दौरान, नि म ले प द्वारा किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड मेट्रो रेल शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड को प्रबंधन पत्र जारी किया। कमियाँ अनुप्रयोग और लेखांकन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित थीं।

5.15 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2020 तक, तीन सांविधिक निगमों सहित 30 रा सा क्षे उ थे। 30 रा सा क्षे उ में से, आठ अकार्यरत रा सा क्षे उ है। ये रा सा क्षे उ विगत आठ से 33 वर्षों से अकार्यरत है।
- रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित ₹ 258.80 करोड़ के कुल लाभ में से 91.28 प्रतिशत का योगदान केवल तीन रा सा क्षे उ द्वारा किया गया था। 13 रा सा क्षे उ की ₹ 634.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 577.31 करोड़ की हानि का एक रा सा क्षे उ (उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा योगदान दिया गया था।

- रा सा क्षे उ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 21 सरकारी कंपनियों के 248 लेखे बकाया थे।
- 2019-20 के दौरान, रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर नि म ले प की टिप्पणियों से लाभप्रदता पर ₹ 163.65 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 57.22 करोड़ की धनराशि का प्रभाव पड़ा।

5.16 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि लेखों के अंतिमिकरण की अनुपस्थिति में, ऐसे रा सा क्षे उ में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहते हैं।
- अकार्यरत रा सा क्षे उ न तो राज्य अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही वांछित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार को अकार्यरत रा सा क्षे उ के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है।

देहरादून
दिनांक: 10 जून 2021


(एस. आलोक)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
	क. पर्वतीय		46,035 वर्ग किमी
	ख. मैदान		7,448 वर्ग किमी
	ग. वनीय		38,000 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत=21.90 प्रतिशत)		11.30 प्रतिशत
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)(अखिल भारतीय औसत=33 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		32
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.40)		70.90
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (यू के एच डी आर 2019)		0.72
	एच डी आई रैंक उत्तराखण्ड		लागू नहीं
10.	गिनी गुणांक 2009-10 (यू आर पी)		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)	0.26
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.36
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2019-20 चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)		2,53,666
12.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2019-20)	उत्तराखण्ड	9.00
		विशेष श्रेणी राज्य	9.93
13.	स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2019-20) चालू मूल्य पर	उत्तराखण्ड	10.35
		विशेष श्रेणी राज्य	11.24
14.	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)	उत्तराखण्ड	11.63
		विशेष श्रेणी राज्य	10.00

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 24 एवं 36)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
भाग अ. प्राप्तियाँ						
1. राजस्व प्राप्तियाँ	21,234	24,889	27,105	31,216	30,723	
(i) कर राजस्व	9,377 (44)	10,897 (44)	10,165 (37)	12,188 (39)	11,513 (37)	
एस जी एस टी	--	--	1,972 (19)	4,802 (39)	4,931 (43)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,105 (65)	7,154 (66)	3,703 (37)	1,883 (15)	1,811 (16)	
राज्य आबकारी	1,735 (19)	1,906 (18)	2,262 (22)	2,871 (24)	2,727 (24)	
वाहनों पर कर	471 (5)	556 (5)	816 (8)	909 (8)	908 (8)	
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	871 (9)	778 (7)	882 (9)	1,015 (8)	1,072 (9)	
भू-राजस्व	28 (--)	160 (1)	24 (--)	34 (--)	24 (--)	
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--	
अन्य कर	167 (2)	343 (3)	506 (5)	674 (6)	40 (--)	
(ii) करेत्तर राजस्व	1,220 (6)	1,346 (5)	1,770 (7)	3,310 (10)	3,999 (13)	
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	5,333 (25)	6,412 (26)	7,085 (26)	8,011 (26)	6,902 (22)	
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,304 (25)	6,234 (25)	8,085 (30)	7,707 (25)	8,309 (27)	
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	0.01	--	
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	27	35	34	27	19	
4. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	21,261	24,924	27,139	31,243	30,742	
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,798	6,501	7,526	7,275	6,148	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,701 (99)	6,355(98)	7,412 (98)	7,170 (99)	5,765 (94)	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	313 (05)	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97 (1)	146 (2)	114 (2)	105 (1)	70 (01)	
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	28,059	31,425	34,665	38,518	36,890	
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	191	395	105	217	94	
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	37,746	27,855	37,571	41,790	45,330	
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	65,996	59,675	72,341	80,525	82,314	
भाग ब. व्यय/संवितरण¹						
10. राजस्व व्यय	23,086	25,272	29,083	32,196	32,859	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	6,388 (28)	6,344 (25)	25,570 (88)	28,296 (88)	28,893 (88)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	16,698 (72)	18,928 (75)	3,513 (12)	3,900 (12)	3,966 (12)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)		8,410 (37)	9,934 (39)	12,409 (43)	13,525 (42)	13,844 (42)
सामाजिक सेवाएँ		9,927 (43)	10,529 (42)	10,929 (37)	12,209 (38)	12,593 (39)
आर्थिक सेवाएँ		3,983 (17)	3,903 (15)	4,276 (15)	5,003 (16)	4,704 (14)
सहायता अनुदान एवं अंशदान		766 (3)	906 (4)	1,469 (5)	1,459 (4)	1,717 (5)

¹ वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

11. पूँजीगत व्यय		4,217	4,954	5,914	6,184	5,414
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	4,197 (100)	4,076 (82)	4,274 (72)	3,533 (57)	3,055 (56)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	20 (-)	878 (18)	1,640 (28)	2,651 (43)	2,359 (44)
सामान्य सेवाएँ		111 (3)	72 (1)	804 (14)	454 (7)	362 (7)
सामाजिक सेवाएँ		864 (20)	948 (19)	1,086 (18)	1,099 (18)	1,610 (30)
आर्थिक सेवाएँ		3,242 (77)	3,934 (80)	4,024 (68)	4,631 (75)	3,442 (63)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण		83	165	77	183	126
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)		27,386	30,391	35,074	38,563	38,399
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान		1,997	1,128	1,721	2,057	2,131
	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,966	1,093	1,681	2,013	2,084
	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	31	35	40	44	47
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग		--	--	-250	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)		29,383	31,519	36,545	40,620	40,530
17. आकस्मिकता निधि संवितरण		385	228	482	107	26
18. लोक लेखा संवितरण		36,537	26,607	35,366	39,947	42,569
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)		66,305	58,354	72,393	80,674	83,125
भाग स. घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)		(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136
21. राजकोषीय घाटा (4-13)		6,125	5,467	7,935	7,320	7,657
22. प्राथमिक घाटा(-)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)		(-) 3,154	(-) 1,744	(-) 3,948	(-) 2,845	(-) 3,153
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)		2,971	3,723	3,987	4,475	4,504
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता		3,596	3,850	3,664	4,466	4,800
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)		9	90	90	167	140
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज		0.19	3.84	5.24	6.08	5.18
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) [@]		1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895	2,53,666
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)		39,069	44,583	51,831	58,039	65,982
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)		1,743	1,248*	1,173	1,311	582
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)		2,805	2,805	2,105	2,105	उपलब्ध नहीं
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)		182	297	260	202	210
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)		582.13	1,007.56	631.94	480.30	627.08
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)						
I संसाधन का जुटाव						
	स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.05	0.06	0.046	0.050	0.040
	स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.01	0.01	0.008	0.013	0.016
	केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.06	0.07	0.068	0.064	0.060

* नोट: बदला हुआ प्रपत्र।

II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.29	1.22	1.29	1.24	1.25
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.84	0.83	0.83	0.83	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.39	0.38	0.34	0.35	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.26	0.26	0.24	0.25	0.21
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.16	0.17	0.16	0.14
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.16	0.15	0.15	0.13
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	(-) 0.01	(-) 0.002	(-) 0.009	(-) 0.004	(-) 0.008
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.035	(-) 0.028	(-) 0.036	(-) 0.03	(-) 0.03
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	(-) 0.018	(-) 0.009	(-) 0.018	(-) 0.012	(-) 0.012
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+) 0.302	(+) 0.070	(+) 0.249	(+) 0.134	(+) 0.279
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.027	(-) 0.021	(-) 0.026	(-) 0.022	(-) 0.026
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.22	0.23	0.23	0.24	0.26
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.84	1.79	1.91	1.86	2.15
ऋण पुनर्भुगतानसे ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	29.38	17.35	22.87	28.27	34.66
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	5.10	15.21	22.69	18.69	14.08
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.90	0.96	0.94	0.93	0.90

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट से स रा घ उ आकलन से चालू मूल्य पर स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं। (www.des.uk.gov.in)।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 75)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का लेखा या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में धन के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारत व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी के साथ एक विभाग द्वारा सौंपा गया एक अधिकारी। इस शब्द में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किसी भी अन्य अधिकारी को राज्य सरकार की ओर से बिल बनाने और भुगतान करने के लिए। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	आधिक्य अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा का अर्थ है। जमा और आरक्षितियाँ जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनती हैं, सार्वजनिक लेखे में शामिल हैं। सार्वजनिक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारत विनियोग के भीतर एक अन्य इकाई के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण का मतलब है।

13.	संशोधित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, उस वर्ष के पाठ्यक्रम में तैयार किया गया है, जिसमें पहले से दर्ज किए गए लेन-देन के संदर्भ में और पहले से ही जारी किए गए आदेशों में शेष वर्ष के लिए प्रत्याशा।
14.	अनुदान के लिए पुनरीक्षित अनुमान	विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण का अर्थ है, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाना। पूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक प्रमुख लेखा है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल रखता है।
16.	उप-लेखा शीर्ष	एक मुख्य लेखा शीर्ष और उसके अधीन उप-लेखा शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष का मतलब है, जब गौण प्रमुख कई हैं और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
17.	उप-लेखा शीर्ष	एक प्रमुख प्रमुख या एक उप-प्रमुख प्रमुख के अधीनस्थ का अर्थ है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ उप-लेखा शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" की पहचान करता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब उप-लेखा शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस उप-लेखा शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाती है।
19.	मुख्य निर्माण	मुख्य कार्य का मतलब है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों में से समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु कार्य का मतलब है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों की अनन्य राशि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-प्रमुख को आवंटित किया गया है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनःविनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान या	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुमान	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 5.3; पृष्ठ 130)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

वित्त क्षेत्र	
1.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)
3.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ विकास निगम लिमिटेड की सहायक)
सेवा क्षेत्र	
4.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड
5.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड
6.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
7.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म विकास निगम
आधारभूत क्षेत्र	
8.	उत्तराखण्ड राज्य आधारभूत एवं उद्योग विकास निगम लिमिटेड
9.	उत्तराखण्ड पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य आधारभूत विकास निगम लिमिटेड
10.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी आधारभूत एवं भवन निर्माण लिमिटेड
11.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड
12.	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम
अन्य क्षेत्र	
13.	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड
14.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15.	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड
16.	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड
17.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
19.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम
20.	यू पी ए आई लिमिटेड
21.	ट्रांस केबल लिमिटेड (कुमाऊँ विकास निगम लिमिटेड की सहायक)
22.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (कुमाऊँ विकास निगम लिमिटेड की सहायक)
23.	कुमाऊँ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)
24.	उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)
25.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)
26.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम
ऊर्जा क्षेत्र	
27.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
29.	यू जे वी एन लिमिटेड
30.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट-6.1

शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत (रा ल ब) निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण के समर्थन हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>